छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016

(श्रावण-31, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाहन 11:00 बजे समवेत हुई.

(माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)

राष्ट्रगीत

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" की धुन बजाई गई)

समय: 11.02 बजे

निधन का उल्लेख

श्री पुरीराम चौहान, अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री पुरीराम चौहान का दिनांक 04 अगस्त, 2016 को निधन हो गया है ।

श्री पुरीराम चौहान का जन्म 05 मार्च, सन् 1938 को सारंगढ़ में हुआ था । आपका मुख्य व्यवसाय कृषि था । आप सन् 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के लिये सदस्य निर्वाचित हुए । आपकी समाज सेवा में विशेष अभिरूचि थी । आप अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये जीवन पर्यन्त सक्रिय रहे।

आपके निधन से प्रदेश ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिवंगत पूर्व सदस्य श्री पुरीराम चौहान जी के प्रति आपने जो उद्‌गार सदन में रखे । मैं स्वयं को उससे जोड़ता हूं । अविभाजित मध्यप्रदेश में सारंगढ़ विधानसभा से सन् 1985 में निर्दलीय विधायक की हैसियत से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया । सरल-सहज छत्तीसगढ़िया स्वभाव के और निर्दलीय होने के बाद भी विधानसभा में उनकी उपस्थिति और उस समय के तात्कालिक मध्यप्रदेश की विधानसभा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें

स्थान दे और मैं उनके परिवार के प्रति पूरे सदन की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पुरीराम चौहान जी का जन्म जो 05 मार्च 1938 को हुआ । सारंगढ़ के वॉर्ड क्रमांक-14 में उन्होंने अपना जन्म पाया । पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बीरबल राम चौहान था । स्वर्गीय श्री पुरीराम जी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा गृहण सन् 1959 में कर सन् 1961 में शासकीय सेवा में आये । सन् 1985 तक इन्होंने ग्राम सेवक के पद पर शासकीय सेवा की और सन् 1985 से 1990 तक सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में जनप्रतिनिधित्व किया ।

.....श्री यादव

यादव2016\\22-08-a10\11.05-11.10

.....(जारी श्री टी एस सिंहदेव) :- और 1985 से 1990 तक सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक विधायक के रूप में जनप्रतिनिधित्व किया । उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी लगातार इन्होंने जनसेवा की और दुर्भाग्य से 04.08.2016 को इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ । कांग्रेस विधायक दल की ओर से, सभी साथियों की ओर से, मैं भी स्वर्गीय पुरीराम चौहान जी के निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं ।

श्रीमती केराबाई मनहर (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पुरीराम चौहान आत्मज स्वर्गीय श्री वीरबल चौहान जी का जन्म 05 मार्च, 1938 को तत्कालिक नगर पालिका सारंगढ़ के चौहान मोहल्ला में हुआ था । उनकी पढ़ाई लिखाई सारंगढ़ के नगर पालिका स्कूल में हुई । श्री चौहान जी सन् 1961 से शासकीय सेवा में आए । 24 वर्षों तक सेवाएं देने के उपरांत शासकीय सेवा से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सारंगढ़ विधान सभा के लिए विधायक निर्वाचित हुए । श्री चौहान एक मृदुभाषी एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनका देहांत गुरूवार, दिनांक 04 अगस्त, 2016 को सारंगढ़ स्थित निवास स्थान में हो गया है । इनके निधन से क्षेत्र एवं समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । दिवंगत के सम्मान में अब सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा ।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट तक के लिए स्थगित।

(11:08 से 11:15 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\a12\11.10-11.15

समय: 11.15

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कार्यमंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प पर विचार-विमर्श किया गया तथा उस पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.)

समय: 11.17

पत्रों का पटल पर रखा जाना

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में लोकसभा की कार्यवाही, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विधेयक तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त लोक सभा सचिवालय का सूचना पत्र

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 105 के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में लोकसभा की कार्यवाही, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विधेयक तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त लोक सभा सचिवालय का सूचना पत्र पटल पर रखता हूं।

समय: 11.17

सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं:

1.श्री देवजी भाई पटेल

2. श्री सत्यनारायण शर्मा

3. श्री संतोष बाफना

4. श्री शिवरतन शर्मा

5. श्री धनेन्द्र साहू

समय: 11.18

संकल्प

यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के (ख) एवं (ग) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह कि यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के (ख) एवं (ग) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में संविधान के एक सौ बाईसवां संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संकल्प प्रस्तुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद आर्थिक सुधार और टैक्स के सबसे बड़े रिफार्म्स का यह संविधान संशोधन है। हमारे संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उस संविधान के तहत संविधान के अनुच्छेद की जो 246 धाराएं हैं उसमें ...

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\a13\11.15-11.20

जारी.....श्री अमर अग्रवाल :-

जो संविधान के अनुच्छेद की धारा 246 है, उसमें केन्द्र कौन से कर लगाएगा ? राज्य कौन से कर लगाएगा ? राज्य के क्या अधिकार होंगे ? केन्द्र के क्या अधिकार होंगे ? इसका उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के पास प्रत्यक्ष कर में इंकम टैक्स है, कस्टम है और अप्रत्यक्ष कर में उत्पादन शुल्क, स्पेशल एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सारे अधिकार आजादी के बाद केन्द्र सरकार के पास रहे । राज्यों के पास माल पर विक्रय कर, किसी सीमा में प्रवेश कर, मनोरंजन कर, लग्जीरियस टैक्स ये सारे अधिकार रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हालांकि कहना चाहिए कि हमने बहुत देर से इन रिफार्म्स के बारे में सोचना प्रारंभ किया । इस वेट और इस जीएसटी की शुरूआत 1954 से होती है । फ्रांस ने सबसे पहले इस टैक्स को लगाया और उसके बाद विश्व के अनेक राष्ट्रों में वैट और जीएसटी लगा हुआ है । जब केन्द्र में एनडीए की सरकार थी तो इन्हीं सारी बातों की कल्पना करके सन् 2000 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने सारे राज्यों के सशक्त वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति बनाई और उस सशक्त समिति को काम सौंपा गया कि सारे राज्यों में वैट लगे । उसी का परिणाम था कि अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में जो समिति बनाई गई 2005 में पूरे देश में वैट लागू हुआ । इसीलिए माननीय अटल जी ने जीएसटी की कल्पना करके 2004 में केलकर समिति बनाई ताकि जीएसटी पर यह देश आगे बढ़े । उस केलकर समिति की रिपोर्ट 2005 में आई और जब तक एनडीए की सरकार नहीं थी ।

लेकिन चूंकि यह देश की प्रगति के लिए टैक्स के रिफार्म्स का काम था इसलिए 2005 में सैद्धांतिक रूप से, उस समय जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस यूपीए की गवर्नमेंट ने संकल्प लिया कि इस जीएसटी की समिति की अनुशंसाओं को हम लागू करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यकता महसूस की गई कि पूरे देश की एक टैक्स प्रणाली हो । राज्यों को अलग-अलग दर पर टैक्स लगाने का अधिकार था, हालांकि इम्पावर कमेटी के माध्यम से कोशिश की गई कि पूरे देश में एक दर रहे, लेकिन उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी । सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट रोक लेगी, एक रेट रखो, इसके कारण सारा होता रहा । लेकिन कानून का एक स्वरूप बने कि पूरे देश में एक ही टैक्स रहेगा और हमारा पूरा भारत देश एक है । इसके लिए जीएसटी आवश्यक था । जीएसटी आवश्यक था इसलिए इसकी चर्चा 2005 से उस सशक्त समिति को सौंपा गया कि वह सशक्त समिति विचार करे जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं कि जीएसटी किस रूप में लागू हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 से जो यात्रा चली और मुझे 2005 से ही .....जारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\22-08-2016\a14\11.25-11.30

जारी....श्री अमर अग्रवाल :- और मुझे 2005 से ही उस कमेटी में जाने का अवसर मिला और 2005 से लेकर 2016 तक इसमें जीएसटी पर जितनी भी चर्चाएं हुईं, मैं उसका जिक्र बाद में अलग-अलग करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सी शंकाएं, कुशंकाएं पूरे देश के अर्थशास्त्रियों में है, सबके मन में है, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा । फिर ये तय हुआ, इसमें सारे राज्य सहमत हुए कि हमारे देश में जीएसटी आना चाहिए और जब सारे राज्यों की सहमति बनी और मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को, इस देश के वित्त मंत्री अरूण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल सारे राज्यों की आम सहमति को बनाया, बल्कि सारे राजनीतिक दलों की सहमति बनाकर 2014 में ये बिल लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था और किन्हीं कारणों से वह पास नहीं हो पाया ।

श्री अमरजीत भगत :- जिनका नाम ले रहे हैं, वही तो विरोध कर रहे थे ।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं उस पर भी आऊंगा । उतावलापन क्यों है, अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई है, सारी बातों पर आऊंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी नेतृत्व क्षमता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को इस बात को समझाने में समर्थ रहे कि ये देश

के हित में है और देश का मेरे ख्याल से बहुत कम अवसर संसद में देखने को मिले हों कि दोनों सदनों ने उस संशोधन के साथ सर्वानुमति से इस संविधान संशोधन को पास किया क्योंकि हम सब चाहे हम किसी राजनीतिक दल में काम करें, हम सब चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये प्रदेश आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि ये जीएसटी का संविधान संशोधन है, यह दोनों सदनों में पारित हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जिक्र किया कि 246 में राज्य और केन्द्र सरकार के जो करों का बंटवारा है, करों को लगाने की जो पद्धति है, शक्तियां हैं, उसमें संशोधन करके ये 122वां संविधान का संशोधन है और 246 (क) इस संविधान में एक नई धारा जोड़ी गई और उस धारा के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए । अब राज्य और केन्द्र अलग-अलग कर नहीं लगाएंगे, संयुक्त रूप से अब एक कर होगा, जिसका नाम होगा-गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स । ये एक नई व्यवस्था है और इस नई व्यवस्था में पहले जैसे सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को था, राज्य सरकार को नहीं था और इस नई व्यवस्था में सर्विस टैक्स में भी राज्यों को अधिकार होगा कि वे अपना एसजीएसटी लगा सकें । इस जीएसटी में तीन हिस्से होंगे । एक तो सेन्ट्रल का जो टैक्स है, वह सेन्ट्रल जीएसटी कहलायेगा, दूसरा जो राज्यों का टैक्स है, जो मर्ज होंगे, वह स्टेट जीएसटी कहलायेगा और जो अन्तर्राज्यीय है, जैसे हमारा माल बाहर जायेगा, आयेगा, वह आईजीएसटी कहलायेगा और पहली बार इम्पोर्ट को भी अन्तर्राज्यीय व्यापार मान लिया गया । अब जो इम्पोर्ट है, उसमें आईजीएसटी का प्रावधान है । ये जीएसटी के तीन कम्पोनेंट होंगे, जो इस धारा में है। इस तीन जीएसटी की दर क्या होगी, जो आज सबसे बड़ा प्रश्न आज पूरे देश में उत्सुकता का बना हुआ है कि इसकी दर क्या होगी । सेन्ट्रल जीएसटी कितना लगेगा, स्टेट जीएसटी कितना लगेगा, आईजीएसटी का क्या होगा, यह पूरे देश में एक उत्सुकता का विषय है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दर तय कौन करेगा, दर तय करने का अधिकार किसको होगा । इसी संविधान में धारा 279 (क) में ये स्थापित किया गया है कि एक जीएसटी कौंसिल बनेगी और वह जीएसटी कौंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्री या वाणिज्य कर मंत्री या नामित कोई भी मंत्री उसके सदस्य होंगे और इस जीएसटी कौंसिल का गठन जैसे ही ये संविधान पास हो जायेगा, माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे.....

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\a15\11.30-11.35

जारी...श्री अमर अग्रवाल- और इस जी0एस0टी0 काउंसिल का गठन जैसे ही यह संविधान पास हो जायेगा, माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे और उसमें सारे वित्तमंत्री या वाणिज्यकर जैसा मैंने बताया, उसके सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री होंगे। इसके साथ ही इसमें सारी व्यवस्थाएं इस संविधान की धारा में अलग-अलग जोड़ा गया हैं। इसमें सारे राज्य के मंत्री मिलकर एक उपाध्यक्ष चुन सकेंगे। इसी प्रकार से इसमें कोई भी निर्णय किस आधार पर होंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो केन्द्रीय संघ है, उसमें एक तिहाई वोट होगा और राज्यों का दो तिहाई बहुमत होगा, तभी कोई प्रस्ताव इस काउंसिल में पास माना जायेगा। किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि कोई रोट बदल दे या कोई नियम कर दे। बहुत सी चीजें हैं, ये सारी जी0एस0टी0 काउंसिल में तय होना है। वास्तव में आज जी0एस0टी0 इस देश में लगे, यह संविधान संशोधन में आया है, लेकिन किस रूप में लगे, क्या रेट होगा, ये सारा निर्धारण जी0एस0टी0 काउंसिल करेगी। जी0एस0टी0 काउंसिल क्योंकि अभी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जैसे ही यह संविधान संशोधन 50 परसेंट विधान सभाओं से पास होकर जायेगा, तो माननीय राष्ट्रपति जी को करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक अच्छा संविधान में संशोधन है, देश की प्रगति का संशोधन है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में यह विशेष सत्र हुआ। उसके पीछे यही बात थी कि जितनी जल्दी हम इसके ऊपर चर्चा कर के अनुसमर्थन करेंगे, उतना जल्दी टैक्स जी0एस0टी0 काउंसिल बनेगी और क्रियान्वित कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चौथीं विधान सभा है। आसाम, झारखण्ड, बिहार इन तीन राज्यों में अनुसमर्थन हो चुका। आज इस पर चर्चा जारी है। इसके बाद आज गुजरात में भी विधान सभा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि इसको लेकर बहुत सी शंकाएं-कुशंकाएं हैं क्योंकि 2005 से इंपावर कमेटी में चर्चा होती रही है। कभी टैक्स की दर क्या होगी, इस पर भी चर्चा होती रही। कभी थ्रेस होल्ड कितने टर्न ओवर तक लोग बाहर में हैं, इस पर भी चर्चा होती रही। इसके साथ ही जो कम्पोजिशन है, वह कितना होगा, उसकी भी बात होती रही। कौन से रेट सिंगल पाइंट लगेगा, स्टैण्डर्ड रेट लगेगा, इस पर भी चर्चा होती रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सारे चर्चा के विषय रहे। लेकिन उसका एक निचोड़ काल्पिनिक आधार पर आया और उसके आधार पर आज इस देश में कहना चाहिए अपने-अपने एक विचार

हैं। कोई बोलता है कि आम-उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, कोई बोलता है कि टैक्स ज्यादा पड़ेगा, कोई बोलता है कि टैक्स कम पड़ेगा, कोई बोलता है कि यह अनावश्यक टैक्स है क्योंकि अध्यक्ष माननीय महोदय, उन सारी चर्चाओं में अभी...

श्री बृहस्पत सिंह- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है। आपने इस तरह से कितने लोगों का कमेट्स लिया है ?

श्री अमर अग्रवाल- आप ही लोगों के वाट्सअप आये हैं। नेता जी का भी बयान आया है। अमित जोगी जी का भी वाट्सअप आ रहा है। आप ही लोगों के जो चर्चा के विषय हैं, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह- जैसे एक बात आयी।

अध्यक्ष महोदय- आप बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह- एक छोटा सा। अध्यक्ष जी, अभी एक बात आयी।

अध्यक्ष महोदय- आप बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह- एक छोटा सा पूछ रहा हूं। जिन विधानसभाओं में पारित नहीं करेंगे तो क्या वहां कानून का रूप नहीं आयेगा ? जैसे आपने कहा कि जो विधान सभा पास नहीं करेगी तो नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय- सदन आप चला रहे हैं क्या ? आप क्या बात कर रहे हैं? श्री अमर अग्रवाल- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा जी0एस0टी0 काउंसिल को तय करना है क्योंकि इस जी0एस0टी0 काउंसिल में सारे राज्य के वित्तमंत्री हैं और केन्द्रीय मंत्री भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, किसी भी तरह से उपभोक्ताओं पर उसका असर पड़े, किसी को परेशानी हो, किसी भी प्रकार से इसमें असुविधा हो, कोई सरकार नहीं चाहती है और 2005 से लेकर 2016 तक इसमें जो विलंब हुआ है, वह इसीलिए हुआ है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा टैक्स रिफार्म्स है और जब एक बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होता है तो उसमें शंकाएं होती है, कुशंकाएं होती हैं। भविष्य की चीजों के प्रति डर लगता है, इसीलिए बहुत विचार-विमर्श कर के इस 12-13 साल में एक निष्कर्ष निकला है और अब जो जी0एस0टी0 काउंसिल बनेगी, मैं उन बातों का जिक्र इसलिए करना

चाहता हूं क्योंकि आज यह जो संकल्प है, यह संविधान संशोधन का है। लेकिन मैं उन बातों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि वे सारी चर्चाएं यहां पर आए।

जारी... श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\a16\11.35-11.40

जारी श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बातों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ। क्योंकि आज जो ये संकल्प है ये संविधान संशोधन का है। लेकिन मैं उन बातों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि वह सारी चर्चा यहां पर आये और यहॉ आज जो चर्चा होगी, उसको जीएसटी कौंसिल में हम राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारी विधान सभा, हमारी जनता, इंडस्ट्रीलीज, हमारे उपभोक्ताओं की भावना, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी कौंसिल में हमारे राज्य के हितों को हम सुरक्षित रख सके। वह विषय भी आज आएंगे। इसलिए मैं कुछ थोड़ी सी चर्चा पिछले जो 5 सालों से लेकर 16 सालों तक हुईं, उनका जिक्र करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा विषय है कि इस टैक्स की दर क्या होगी ? आज सबसे बडा विषय है। पूरे देश की, सबकी उत्सुकता है कि इसका रेट क्या होगा ? ये वर्ष 2005 से क्योंकि अगर हम केन्द्र की सरकार का, जितने टैक्स इसमें मर्ज हो रहे हैं। चाहे वह कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वह सर्विस टैक्स हो, चाहे वह एडिशनल एक्साईज ड्यूटी हो, चाहे वह सीबीडी हो, उसका जो आर.एन.आर. (रेवेन्यू न्यूटल रेट) है। अगर वह सिंगल प्वाईंट होगा, एक दर होगी तो वह लगभग 9 से 10 प्रतिशत है और अगर मान लीजिए दो रेट होंगे, एक लोवर रेट और एक हाई स्टैण्डर्ड रेट। तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो आर.एन.आर., जो पी.आई.पी.एफ.पी. ने निकाला है वह 12 से 13 प्रतिशत जाएगी। अगर राज्यों का आर.एन.आर. देखें। मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करूं। अगर यहां सिंगल प्वाईंट टैक्स लगता है, केवल एक रेट। तो यहां का आर.एन.आर. 10 प्रतिशत आएगा, नियर एबाउट। अगर दो रेट होंगे, एक लोवर रेट और एक स्टैण्डर्ड रेट तो यहां का लगभग- लगभग जाएगा 13 प्रतिशत। अब प्रश्न यह उठता है कि पूरे देश की आज जो टैक्स रेवेन्यू है, चाहे से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो, एन.आई.पी.एफ.पी. के द्वारा उसका अभी जो सर्वे हुआ, उसमें लगभग-लगभग 27 प्रतिशत, अगर एक रेट रखेंगे तो 23 प्रतिशत आएगा, अगर दो रेट रखेंगे तो 27 प्रतिशत आएगा। ये पूरे देश का रेवेन्यू न्यूटल रेट है। यही आज जीएसटी कौंसिल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम

अब इसकी दर क्या रखें ? हम लोगों की इस बारे में निरंतर चर्चाएं हुई हैं। राज्य सभा में बीच में जो थोड़ा सा अवरोध आया। वह सिर्फ इसी बात के लिए आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा कहा गया कि संविधान में ही इसको 18 प्रतिशत पर ब्लॉक कर देना चाहिए और उस इम्पॉवर कमेटी में सारे दलों के प्रतिनिधि हैं। सारी पार्टियों के प्रतिनिधि है क्योंकि सब जगह अलग-अलग सरकारें हैं। कोई राज्य इस बात के लिए तैयार नहीं था कि संविधान में ही उस 18 प्रतिशत को उल्लेखित कर देना चाहिए। क्योंकि संविधान में उल्लेखित होने के बाद सरकारों के पास और केन्द्र सरकार के पास संविधान संशोधन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और यही सारी चीजों के कारण थोड़ी-थोड़ी चीजें, ये जीएसटी रूकता रहा। लेकिन ये सारे का सारे विषय एक व्यापक चर्चा के साथ जब तय हुआ कि जीएसटी कौंसिल के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि हैं तब जाकर राज्य सभा में ये बिल पास हुआ, फिर संशोधन के साथ पास हुआ, संशोधन के साथ पास होकर, लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद आज अनुसमर्थन के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार में आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आर.एन.आर. की चर्चा कर रहा था तो 27 प्रतिशत टैक्स, आज पूरे देश का रेवेन्यू उसके हिसाब से बनता है और ये विचारणीय प्रश्न है कि इस टैक्स का रेट क्या लगाया जाए ? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि या सारे देश की जो भावना है कि आज जनता के ऊपर अलग-अलग हम दर देखें क्योंकि ये तो मैंने एक एवरेज बताया। किसी-किसी आयटम में तो 35 प्रतिशत तक, एक उत्पाद पर जनता को टैक्स देना पड़ता है। एक उत्पाद पर 35 प्रतिशत तक जनता को टैक्स देना पड़ता है .....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\a17\11.40-11.45

पूर्व जारी.. श्री अमर अग्रवाल :- एक उत्पाद पर जनता को टैक्स देना पड़ता है। एक उत्पाद पर 35 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, उम्मीद है कि जो चर्चा का निचोड़ है कि यह जो टैक्स आर.एन.आर. है, यह जो 27 प्रतिशत है, 27 प्रतिशत तक तो टैक्स नहीं जायेगा। आम उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े इसलिए ये टैक्स कम होना है, ज्यादा नहीं होना है। रेट क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जी.एस.टी. कौन्सिल में जायेगा। लेकिन ये बात तय है कि जो आज गवर्नमेण्ट का कलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं।

श्री अमरजीत भगत :- इसके बाद भी आप स्टेट वित्त मंत्री हो करके विरोध करने क्यों गये थे? आप बोल रहे थे कि राज्य सरकार का अधिकार समाप्त हो जायेगा। आप भी बोल रहे थे और उस समय मुख्यमंत्री जी का भी छपा था।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपको बहुत हड़बड़ी है।

श्री अमरजीत भगत :- हडबडी आपको है, आज जल्दी में हैं। कारपोरेट जगत को जल्दी फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- कोई जल्दी में नहीं हूं। सर्वानुमति कांग्रेस की सील है। सर्वानुमति मे कांग्रेस का भी बहुमत है, अगर आरोप लगायेंगे तो उनके ऊपर भी लगता है, आप थोड़ा सोच-समझकर बोलिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कम होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार जब उसकी रेवेन्यू जा रही है तो ये टैक्स ला क्यों रही है? क्योंकि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अगर जब तक रेवेन्यू नहीं होगी, विकास का काम करना बहुत मुश्किल है। ये टैक्स आ क्यों रहा है? अध्यक्ष महोदय, टैक्स दर कम करने के बाद भी, अगर हम छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण ले लें, 12-13 साल में इस सरकार ने कोई टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की। अगर रेवेन्यू को देखेंगे तो रेवेन्यू हमेशा बढ़ती चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स की दर का को कम करके जो टैक्स का कम्प्लायन्स है, जो टैक्स बेस है, उसको बढ़ा लें तो अपने आप टैक्स कम होता है। यह जो जी.एस.टी. है, क्योंकि पूरे देश में एक नेटवर्क से स्थापित होगा, कर अपवंचन की संभावनायें खत्म हो जायेगी। इसलिए ये टैक्स रेट 30 से लेकर, 33 से लेकर, मैं ये तो नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन बहुत कम हो जायेगा, जिसके कारण सारी जो उत्पादन लागते हैं, वह कम हो जायेगी। उपभोक्ता को कम दाम में मिलेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अभी बात कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके ऊपर शंका लग रही है, इसीलिए शंका लग रही है कि जिस भी देश में इस बिल को पास किया है चाहे वह मलेशिया हो या कोई भी देश हो, वह

चुनाव हार गया है। इनका भी काम होने वाला है।

श्री अमर अग्रवाल :- सोचने के लिए ख्याल अच्छे हैं। आप लोगों का तो हारने का परमानेन्ट अधिकार हो गया है। इससे उत्पादन की लागत घटेगी।

श्री कवासी लखमा :- इतने दिन हम लोग उधर बैठे थे, आप लोगों को थोड़े समय के लिए फायदा मिल गया आने वाला समय हमारा ही होगा।

श्री अमर अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश का 13वां वित्त आयोग बना, उसने इस जी.एस.टी का फाईनेन्सियल सर्वे किया और जी.एस.टी का सर्वे करके ये अनुमानित किया है कि हमारी उत्पादन लागत घटेगी। हमारे एक्सपोर्ट में 3 से 4 प्रतिशत वृद्धि होगी। इम्पोर्ट में हमारी, क्योंकि आई.जी.एस.टी., अब टैक्स लगाने का अधिकार इम्पोर्ट मंहगा होगा। उससे जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, उनकी हम रक्षा कर पायेंगे। आई.जी.एस.टी. के कारण इम्पोर्ट कम होगा, लागत कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढेगा। ये अनुमान है कि लगभग 1 से 2 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. की ग्रोथ इस देश के लिए होगी। आप पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर पर जा रही है। इस आर्थिक मंदी के दौर में भारत की आर्थिक ग्रोथ सबसे तेज गति की आर्थिक ग्रोथ है। ये जी.एस.टी आने के बाद उस ग्रोथ में हम और ज्यादा छलांग लगा पायेंगे। जब हमारी आर्थिक ग्रोथ होगी, ये देश आगे जायेगा, इसलिए ये जी.एस.टी. आया है। इसलिए इसमें टैक्स कम होगा। अगर हम देश में परिप्रेक्ष्य में बातचीत करें।

श्री अमरजीत भगत :- आप लखमा जी के पसंद वाला को जी.एस.टी. से लिस्ट को हटा दिये हैं।

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\a18\11.40-11.45

श्री अमर अग्रवाल :- लखमा जी तो फ्री वाले हैं, उनको कोई टैक्स थोड़ी न पटाना है। वे तो स्पांसर्ड में चलते हैं।

श्री कवासी लखमा :- यह हमारे बारे में जिक्र हुआ, उसका टैक्स हटा दिए, ठीक है। लेकिन डीजल-पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिए हैं, ये क्या है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- उसको भी हटा दिए।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अगर पूरे देश के हिसाब से बात करें तो इस जी0एस0टी0 का अपना एक महत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही

है कि यह कंजम्शन बेस टैक्स है। जो राज्य उपभोग करेगा, वहां टैक्स से आय ज्यादा होगी, यह बात सही है। छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है। इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि इसमें कुछ उत्पादक राज्यों को घाटा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इसमें सी0एस0टी0 समाप्त हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि इसमें एन्ट्री टैक्स भी समाप्त होगा तो यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व का घाटा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही विषय है, जिसका जिक्र अमरजीत जी कर रहे थे कि हम विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जी0एस0टी0 का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। क्योंकि इस जी0एस0टी0 टैक्स रिफाम की शुरूआत किसी ने की है तो एन0डी0ए0 के समय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जी0एस0टी0 का विरोधी नहीं रही। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, यह बात सही है कि एक वाणिज्य मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हुई कि हमारे राजस्व की हानि हो रही है। कौन राज्य नहीं चाहेगा कि राजस्व की हानि हो तो उसकी क्षतिपूर्ति न हो ? हमने कभी जी0एस0टी0 का विरोध नहीं किया है। केवल हमारे राज्य के हित संवर्द्धित होते रहे, केवल उसकी मांग उठाई और उसमें असहमति व्यक्त की है। हमने जी0एस0टी0 का कोई विरोध नहीं किया, यह आपकी गलत धारणा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम बात करें तो लंबा इसीलिए लगा। क्योंकि केन्द्र की भी सरकार इस बात से चिंतित है कि इसमें लाख करोड़ रूपये का नुकसान हो जायेगा, तो राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए, जिन राज्यों को क्षति होगी, वे राज्य क्षतिपूर्ति नहीं कर पायेंगे। इसीलिए यह जी0एस0टी0 लंबा चलता रहा। जब जी0एस0टी0 लम्बा खीचने लग गया, मुझे याद आता है कि आज के भारत के राष्ट्रपति उस समय वित्तमंत्री थे, उन्होंने सारे राज्यों से आव्हान किया कि चलिए जी0एस0टी0 में आम सहमति बनने में समय है, लेकिन हम सी0एस0टी0 को खत्म करने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे बढ़ें और उस समय सहमति बनी कि 4 से 3 करेंगे, सारे राज्यों ने किया, फिर 4 से 2 की सहमति बनी, सारे राज्यों में 2 किया। लेकिन मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमसे कमिट किया था कि इसमें जो राजस्व की हानि होगी, उसकी भरपाई सेन्ट्रल की गवर्नमेंट करेगी। लेकिन सारे राज्यों के जो अनुभव रहे, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, कांग्रेस शासित राज्यों की भी बात करता हूँ जो इमपावर कमेटी के विषय हैं, जो हमारे अनुभव आए, सेन्ट्रल की गवर्नमेंट ने एक-दो साल बाद उस

सी0एस0टी0 का कम्पनसेशन देना बंद कर दिया। उसके कारण सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने लग गई। उसको लेकर जी0एस0टी0 पर आम सहमति कभी भी इसलिए नहीं बन पाई, कि जिन राज्यों को क्षति होना है, उसका जो हमारा अनुभव है, वह अच्छा नहीं रहा। इसलिए जी0एस0टी0 कानून का नहीं, हम इस बात के लिए अड़े रहे, छत्तीसगढ़ की राज्य और अन्य जो भी उत्पादक राज्य हैं, वे अड़े रहे कि जब तक हमको क्षतिपूर्ति का प्रावधान संविधान में नहीं हो जायेगा, छत्तीसगढ़ राज्य जी0एस0टी0 के लिए सहमत नहीं है। टैक्स से सहमत हैं, व्यवस्थाओं के लिए हम असहमत हैं। इसीलिए यह भ्रम का वातावरण है कि हम विरोध करते थे। हम कभी भी विरोध नहीं किए, विरोध के जो कारण हैं, वह यह व्यवस्था है। तो उस समय कम्पनसेशन नहीं मिला, लेकिन जब केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार रही, यू0पी0ए0 की सरकार .....

श्री अमरजीत भगत :- अभी आप बोल रहे हैं तो हम लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, दूसरे तरफ देखकर बोल रहे हैं। नजर मिलाकर बात करो तो समझ में आए।

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\22-08-2016\a19\11.50-11.55

श्री अमर अग्रवाल :- विधान सभा की परम्परा है कि अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। आपके जैसे इधर-उधर नहीं ताकना है । विधान सभा की नियमावली देख लो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो आप लोग थोड़ी देर में बोलेंगे ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आपको देखकर क्या बोलेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- न नजरें, झुकाकर बोलो, न मुंह छिपा के बोलो, बोलना है तो नजरें मिलाकर बोलो ।

श्री अमर अग्रवाल :- नजरें पूरी मिली हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा । जब एन.डी.ए. की सरकार आई, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बनें । वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी बनें । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पहली पॉवर कमेटी में आये, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुरानी गवर्नमेंट का कमिटमेंट उनने पूरा किया हो, न किया हो, हम पूरा करेंगे और उन्होंने पूरा किया । सारा कंपनशेसन जो पूरा था, सी.एस.टी. का, यह एन.डी.ए. की सरकार ने दिया । इससे सारे राज्यों का विश्वास जगा । सारे राज्यों को लगा कि

इसमें अगर हमको कोई घाटा होगा, केन्द्र की सरकार पूर्ति करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राज्यों ने कोई दल की बात नहीं करता, कोई स्टेट की बात नहीं करता, राज्य सभा में जो संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन में पहले जो ड्राफट था, केन्द्र की सरकार पांच साल तक क्षतिपूर्ति करेगी । कितना करेगी, क्या परशेंटेज होगा, उसमें नहीं था । करेगी, आवश्यक रूप से नहीं करेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं था । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संशोधन में हमने जुड़वाया । में की जगह सेल आवश्यक रूप से केन्द्र की सरकार को करना पड़ेगा और वह हमने जुड़वाया और संविधान में इस बात का प्रावधान कराया कि पांच साल तक पूर्ण क्षतिपूर्ति, आंशिक नहीं । पांच साल क्षतिपूर्ति करेगी, क्या परशेंटेज होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राज्य ने जो-जो कहा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, यह एक प्रगतिशील टैक्स रिफार्म है । सारे राज्यों को साथ लेकर चलना है । उनके मन में अगर कोई शंका है, कुशंका है, उनके कहीं हित है, उसको सुरक्षित रखते हुये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितनी बातों को हमने उठाया, उन सारी बातों का प्रावधान इस संविधान में किया गया है । आज छत्तीसगढ़ को इस बात का डर नहीं है कि हमारा जो उत्पादक राज्य है, हमको जो राजस्व की हानि होगी, हम विकास के काम नहीं कर पायेंगे । केन्द्र की सरकार को संवैधानिक रूप से बाध्यता है कि पांच साल तक हमको क्षतिपूर्ति करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उठता है कि पांच साल के बाद क्या होगा.....

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सब कुछ अभी बोल लेंगे, रिप्लाई में आप क्या कहेंगे ?

श्री अमर अग्रवाल :- किसका । समझाना जरूरी है । आपको जिसकी चर्चा करनी है .....

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप में माननीय मंत्री अपना वक्तव्य देते हैं । माननीय मंत्री जी ने तो इधर का उधर पूरा इतिहास ही पढ़ना शुरू कर दिया । दूसरे मेंबर की चर्चा हो जाने दीजिए, फिर रिप्लाई में कहियेगा, जो आपको कहना है ।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए तो सफाई देना पड़ रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- बहुत विरोध किये हैं ना, इसीलिए सफाई दे रहे हैं ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आप तो शंका-कुशंका करो ।

श्री कवासी लखमा :- इधर ले जाओ, उधर ले जाओ । इनका काम है राजनीति करना ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही संविधान संशोधन के संकल्प के साथ यह कहा क्योंकि जी.एस.टी काउँसिल में बहुत से निर्णय होने हैं, उसमें राज्य के हित जुड़े हुये हैं, उस पर व्यापक चर्चा हो, इसलिए इतिहास में जाना जरूरी है, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का उल्लेख किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल के बाद अब क्या होगा.....

श्री कवासी लखमा :- ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं बोलेंगे तो आर.एस.एस. वाला डंडा मारेगा।

श्री अमर अग्रवाल :- आपको तो जोगी जी भी डंडा मार रहे हैं और भूपेश बघेल भी मार रहा है । आप तो बीच के हो । आपकी स्थिति क्लियर नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- आपको अंदर की बात कैसे पता चल रही है ।

श्री अमर अग्रवाल :- वह रात में बार में जाकर अपना दर्द बताता है । बार वाला विभाग मेरे पास है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमर जी, राजेन्द्र राय जी जाते हैं, दमदारी से ।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं सियाराम जी भी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल के बाद क्या होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जहां भी टैक्स लगे हैं, उनके अनुभव के आधार पर, क्योंकि वहां टैक्स-वैक्स बढ़ेगा, जो उत्पादक राज्य हैं.....

श्री सुधीर शर्मा\22-08-2016\a20\11.55-12.00

..जारी श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जहां भी ये टेक्स लगे, उनके अनुभव के आधार पर, क्योंकि यहां टेक्स बेस बढ़ेगा, जो उत्पादक राज्य हैं, वहां इण्डस्ट्रीज़, उद्योग बहुत आयेंगे, क्योंकि सी.एस.टी. जीरो हो गया और जो उत्पादक राज्य हैं, इस टेक्स से, क्योंकि इस टेक्स में लागत कम होगी, रोजगार के अवसर जितने उत्पादक राज्यों को मिलेंगे, दूसरे राज्यों को नहीं मिलेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी । जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो हमारी पर केपिटा इंकम बढ़ेगी और जब हमारी पर केपिटा इंकम बढ़ेगी तो ये एक कन्जम्प्शन बेस्ड टेक्स है, अत: हमारे यहां कन्जम्प्शन बढ़ेगा और पांच साल के बाद आज जो हमारी रेवेन्यू हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा हो जाएगी और

इस जी.एस.टी. से कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे छत्तीसगढ़ की जो क्षतिपूर्ति की चिंता थी, उसका इसमें पालन है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत से विषय जी.एस.टी. काऊन्सिल में आना है । एक तो, जो हमारी थ्रेस होल्ड लिमिट है, आज अगर छत्तीसगढ़ की थ्रेस होल्ड लिमिट देखें तो 25 से 30 लाख रूपया है कि 25 से 30 लाख रूपए में कोई भी टेक्स नहीं लगेगा । फिर एक कम्पोजिशन होता है, कम्पोजिशन में 60 लाख रूपए तक कम्पोजिशन है कि 0.5 या 01 प्रतिशत पटा दो, आपको कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके अलावा किन पर टेक्स लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, छ.ग. सरकार और सारे राज्यों की एक्जम्प्शन लिस्ट है। इसके साथ कि ये तीनों विषयों पर अब क्या लिमिट हो, क्या सीमा हो, ये सारा प्रकरण जी.एस.टी. काऊन्सिल करेगी और हमारी कोशिश होगी और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो आम उपभोक्ता की कन्ज्यूमर चीजें हैं, उनको हम टेक्स से बाहर रखें, जो थ्रेस होल्ड लिमिट है, क्योंकि इसमें भी मत, मतान्तर है, क्योंकि नार्थ ईस्ट के राज्य हमेशा बोलते हैं कि यदि आप हमारी थ्रेस होल्ड लिमिट आप जी.एस.टी. में बढ़ा दोगे तो हमारे पास इंकम ही नहीं आएगी । इसीलिए इस संविधान संशोधन में, जो नार्थ ईस्ट या छोटे स्टेट हैं, उनको अलग रखा गया है, उनके लिए जी.एस.टी. काऊन्सिल अलग नियम बनाएगी और हमारी कोशिश होगी कि थ्रेस होल्ड लिमिट का भी इस छत्तीसगढ़ के, जो भी अब जी.एस.टी. काऊन्सिल में फायनल होगा, उसका उपभोक्ता पर असर न पड़े । कम्पोजिशन, एक्जम्प्शन लिस्ट हमारी सारी इस बात की कोशिश होगी कि ये जो जी.एस.टी. टेक्स है, एक प्रगतिशील टेक्स है, इसमें जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न जाए, इन सारी बातों को हम जी.एस.टी. काऊन्सिल में रखेंगे और आज जो भी चर्चा इस सदन में होगी कि जी.एस.टी. काऊन्सिल में क्या-क्या विषय होना चाहिए, क्या-क्या असुविधा है, क्योंकि कई लोगों ने इसका अध्ययन किया है, दुनिया का भी अध्ययन किया होगा, उन सारे सुझावों को इस विधान सभा, छत्तीसगढ़ की भावना को हम जी.एस.टी. काऊन्सिल में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सदन की भावना हम जी.एस.टी. के काऊन्सिल में पारित करवाकर यहां के लोगों का .....।

श्री अमरजीत भगत :- कृषि उत्पाद और वनोपज को बाहर किया है कि नहीं?

श्री अमर अग्रवाल :- मैंने अभी बोला है कि वह सब जी.एस.टी. काऊन्सिल पास करेगी। मैं वही बोल रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य

का जिसमें हित है और जो चर्चायें आयेंगी, हम दमदारी के साथ उस विषय को जी.एस.टी. काऊन्सिल में उठायेंगे और सारे राज्यों की सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि सारे राज्य, कोई नहीं चाहता कि उसको किसी भी प्रकार की परेशानी हो । एक अच्छा निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा, एक मॉडल बिल के रूप में पार्लियामेंट में आएगा, फिर हमारी विधान सभा में आएगा और मुझे विश्वास है कि ये जो संविधान संशोधन है, जिस भावना के साथ ये संविधान संशोधन किया गया है, इससे हमारा देश आर्थिक प्रगति करेगा और आज इसका अनुसमर्थन करके इस देश की प्रगति में हम भी छत्तीसगढ़ का योगदान चाहते हैं, इसलिए इसे अनुसमर्थन के लिए इस विधान सभा में लाया गया है । मेरा सबसे आग्रह है कि जिस प्रकार लोकसभा में हुआ, सर्वानुमति से, चाहे हम जो भी चर्चा करें, हमारी जो भी शंका, कुशंकायें हैं, उसके बारे में चर्चा कर सर्वसम्मति से ये विधान सभा पारित करेगी, तो छत्तीसगढ़ देश के कदम के साथ कदम मिलाकर देश की प्रगति में भी योगदान देगा और छत्तीसगढ़ भी प्रगति करेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\b10\12.05-12.10

(अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि)

श्री रामविचार नेताम, संसद सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय श्री रामविचार नेताम संसद सदस्य उपस्थित हैं । मैं इस सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा ।

लोकनिर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत):- महाराज, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- आप जो चाहें वही कहूंगा । (हंसी)

श्री लखमा कवासी :- महाराज जी तो सत्य ही कहेंगे लेकिन वह होगा तब तो ठीक है ।

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- और संसदीय भाषा में कहूंगा । (हंसी)

श्री देवजी भाई पटेल :- नहीं लेकिन यह जो कहेंगे वह होगा क्या ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- श्री चंद्राकर जी आप तो बाहर पता नहीं कहां-कहां होकर आ गये अब तो सुधर जाईये भई । नहीं तो मेरे पास उसकी चिकित्सा पद्धति है। (हंसी)

श्री देवजी भाई पटेल :- आपको चाहिए क्या ? वे जापानी तेल लेने गये थे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वही तो मैं बता रहा था कि वे लेकर आये हैं न । (हंसी)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल):- उनके पास सारी चिकित्सा पद्धति है । यूनानी से लेकर जापानी तक है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनके पास भालू की जड़ी नहीं होगी । क्या आपके पास भालू की जड़ी-बूटी है ?

श्री अजय चंद्राकर :- सबसे पहले खाद्य मंत्री श्री राठिया जी थे न वे पूरे सदन को दिये थे । (हंसी)

श्री लखमा कवासी :- श्री पुन्नू लाल जी के पास तो भरपूर है न । (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का एक सौ बाईसवां संशोधन विधेयक, 2014 के हम अनुसमर्थन के लिये आज सदन आहूत की गयी है । आज गुड सर्विस टैक्स जो है इस पर एक तरह से अगर हम विचार करें तो अप्रत्यक्ष करों के सुधार के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है । हमारे संविधान के संशोधन को पारित करने के लिये लोकसभा और राज्यसभा में अर्थात् दोनों सदनों से इसे पारित किया है और माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इसकी अच्छाईयों को समझा और उसके बाद कुछ संशोधन के साथ इस विधेयक को लोकसभा में फिर से पारित करने के लिये भेजा है । लोकसभा में यह विधेयक 06 मई, 2015 में पारित हुआ । राज्यसभा में 03 अगस्त, 2016 में संशोधन के साथ पारित हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर राज्यसभा में जो संशोधन किये गये थे, प्रस्तावित थे उसको लोकसभा के द्वारा 08 अगस्त, 2016 को सहमति दी गयी । माननीय मंत्री जी विस्तार से अभी जी.एस.टी. के बारे में बता रहे थे । दिनांक 28 फरवरी, 2005 को माननीय चिदंबरम् जी ने बजट में इसे रखा और तब से लगातार इसमें चर्चाएं होती रहीं । वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने भी सन् 2011 में इस संशोधन विधेयक को रखा था और इस पर काफी लंबी बहस होती रही । माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि एन.डी.ए. के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, विरोध हुआ और ये विधेयक पारित नहीं हो पाया । मैं चाहता हूं कि ये

सरकार की नीति को समझें, जब केंद्र में यू.पी.ए. की सरकार थी जब विधेयक पेश किया गया । उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया और यही परिस्थिति इस सदन में देखने को मिलती है कि जब नयी राजधानी की बात आयी थी तो हमारे इन्हीं साथियों ने उसका घनघोर विरोध किया था और उसके बाद नयी राजधानी की बात इन्होंने फिर साकार भी की तो यह आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? कभी आप विरोध करते हैं और फिर बाद में उसी चीज को एडॉप्ट करते हैं । ऐसे में ही केंद्र सरकार में जो यू.पी.ए. का जो बिल था उसका विरोध किया और बाद में आज आपने उसको एडॉप्ट भी करवाया । लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पहली बार इतिहास में पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी ने संशोधन के साथ माननीय जेटली जी के द्वारा लाया गया विधेयक जो वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया गया था, उसे पारित करवाया । माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से लेकर आज तक यह लंबित क्यों रहा ? आखिर जो .....श्री यादव

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\b11\12.05-12.10

.....(जारी श्री सत्यनारायण शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2014 से आज तक ये लंबित क्यों रहा आखिर आपने जो एक्सरसाईज अभी की, अभी आपने कांग्रेस के लोगों को विश्वास में लिया वह 2014 में भी ले सकते थे लेकिन आपकी मानसिकता नहीं थी । अध्यक्ष जी, इनकी सरकार का एक उदाहरण और देना चाहता हूं । माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने किसानों की पेडी, धान और कृषि उपज की रख रखाव के लिए गोडाउन के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया था । आपमें इतना सामंजस्य नहीं था ।

श्री राजेश मूणत :- सत्तू भईया, 2005 में जब पेश हुआ और दस साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं सहमति बनाकर इसको पारित किया ? राज्य की मांगे रखी गई थी उसके ऊपर क्यों सहमति नहीं बनाई ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप तो लोक निर्माण मंत्री वाले हो आप जी एस टी को क्या समझेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- मैं सब समझता हूं, लेकिन यहां भी होना चाहिए ।

समय : **अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि**

12:06 बजे **श्रीमती छाया वर्मा, राज्यसभा सदस्य**

अध्यक्ष महोदय :- आज अध्यक्षीय दीर्घा में माननीया श्रीमती छाया वर्मा, संसद सदस्य उपस्थित हैं । मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मूणत जी टैक्स डिजाईन की बात कर रहे थे । भाई, टैक्स डिजाईन का सिंपल प्रिंसपल है मोर टैक्सेस मोर लीकेज, लेस टैक्सेस लेस लीकेज । आपके लीकेज कहां कहां हैं, मैं बताऊं (हंसी) कहां कहां पर कर अपवंचन हो रहा है, कहां कहां करों की चोरी हो रही है, इसको समझने की कोशिश करिए । आपने 2014 में जो विधेयक पेश किया वह 08 अगस्त, 2016 में पारित हुआ है । वह भी जब हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने पूरी तरह से इस बात को आपको बताया कि इस देश की प्रगति के लिए जी एस टी बिल जरूरी है । आप कुल सुलह के रास्ते पर आए । आपने रजामंदी के लिए बैठकें कीं, सलाह की, सहमति बनाई । मैं आपको सहमति बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । एक अच्छे काम के लिए आपकी उदारता होनी चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बता रहा था कि जो बिल हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो अशासकीय संकल्प रखा था उसको आपने यहां पर पारित नहीं होने दिया । किसानों के हित की बात थी । तो आप ये रिजिटनेस छोड़िए । जिस तरह से केंद्र की सरकार ने रिजिटनेस छोड़कर इस बिल, इस विधेयक में कांग्रेस पार्टी के लोगों से सहयोग लिया तो आप यहां पर हठधर्मी क्यों करते हैं आप दो तरह के सिद्धांत क्यों लगाते हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील कहलाते हैं । यह अशासकीय संकल्प पारित हो जाता तो क्या बिगड़ता ? लेकिन आपने हमारी सरकार, हम, पारित नहीं होने देंगे, आपने इस आशय, मंशा से प्रतिपक्ष के नेता का अशासकीय संकल्प को धराशाही कर दिया और एक हमारी पार्टी की उदारता देखिए, हमारी पार्टी के नेताओं की उदारता देखिए कि उन्होंने इसको जानकर, अच्छी चीज समझकर इसमें सहयोग देकर आपका बिल पारित करवाया । पाण्डेय जी, कुल कह रहे हैं (हंसी)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आपकी पार्टी की उदारता नहीं रही । जब पूरा देश आपकी निंदा करने लगा कि आप आर्थिक विकास को रोक रहे हो तो मजबूरी में जाकर आपने पास किया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप कहां से आ रहे हैं ? बोल बम (हंसी) गोला काम कर रहा है (हंसी) भाई, दिन में तो मत लिया करो । (हंसी)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- बोल बम तो हमेशा रहता है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक बात की चिंता हर आदमी के मन में है । मंत्री जी, इस बात का ध्यान रखना होगा और आपको कौंसिल में इस बता की वकालत करनी पड़ेगी कि यहां गरीबों की रोटी न छिने । प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबों की थाली में महंगाई नहीं आएगी, दरें नहीं बढ़ेंगी । आपको गरीबों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा । हमको ऐसा लग रहा है कि फूड ग्रेड, कहीं ब्रेड, बटर के दाम न बढ़ जाएं । इस बात की चिंता हर आदमी के मन में है । आप कौंसिल के मेंबर जरूर रहेंगे । इस बिल, प्रस्ताव के अनुसमर्थन में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका समर्थन करें । इसलिए कि हमारे दल ने राज्यसभा में इसे पारित कराया । .....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\b12\.-.5

जारी... श्री सत्यनारायण शर्मा :- हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका हम समर्थन करें इसलिए कि हमारे दल ने राज्यसभा में इसे पारित कराया और आज हम भी इसका अनुसमर्थन करेंगे। लेकिन हम लोगों के मन में जो शंका, कुशंका है, जो विचार हैं, जिसकी चिन्ता है उसको हम इस सदन में कहना चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लघुशंका है तो बाहर जाकर आ जाईये। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी जेब में कर दूं। (हंसी) बाहर जाने की जरूरत क्या है? (हंसी) बसर्ते आपकी जेब फटी न हो। मैंने कई बार देखा है कि आपकी जेब फटी रहती है। आप क्वाईंस गिनते रहते हैं। वह क्वाईंस गिनने के अंदाज से पता लग जाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी देखने की आदत अच्छी नहीं है। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधिवत कानून रूप में किये जाने में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें 25 प्रतिशत राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना जरूरी है। यह एक विधिक अनिवार्यता है, इसमें कोई संशय नहीं और आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपके सैद्धांतिक मतभेद रहने के कारण उस समय जीएसटी लागू नहीं हो पाया। जब माननीय प्रणव मुखर्जी साहब ने वर्ष 2011 में इसे पेश किया तब आपने इसका विरोध किया था, आपसे सैद्धांतिक मतभेद थे इसलिए ताकि कांग्रेस की यूपीए सरकार को क्रेडिट न मिल जाए और इसलिए आपने इस बिल को रोका और आने नहीं दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैय्या, फिर आपने मंत्री जी का भाषण सुना ही नहीं? उन्होंने शंका समाधान किया था न कि सिर्फ आश्वासन।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मंत्री जी ने कितना शंका समाधान किया, कितना नहीं किया वह हम अभी बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैद्धांतिक मतभेदों के रहते वह विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब आपने सहमति बनाई है जबकि उस समय सारे प्रदेशों में जहां-जहां आपकी सरकारें थीं तब सबने इसका विरोध किया था और अब जाकर जब आपका दिमाग सही हुआ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपको गलत जानकारी है। मैं इम्पावर कमेटी में 12 साल से जा रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी इन सब कारणों से इसका विरोध किया था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- किस बात के लिए विरोध किया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्सवार को रोकने के लिए विरोध किया था। टैक्सवार हो रहा था। हर प्रदेश में अलग-अलग टैक्स था, कोई भी राज्य सेलटैक्स कम कर देता था इसके कारण होने वाले टैक्सवार को रोकने का विरोध किया था, किसी और बात का विरोध नहीं किया और टैक्सवार होना भी नहीं चाहिए। यदि टैक्सवार होता रहेगा तो इसी तरह की दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैय्या, एक बात तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे कि आपकी सरकार जीएसटी पर सर्वानुमति नहीं बना पाई। यह असफलता है इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों ने बनाने नहीं दिया। आप लोगों ने उसका विरोध किया और अब जाकर जब हमारे लोगों ने, हमारे मेंबरों ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में आपको सहयोग किया, आपके प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, आपके फाईनेंस मिनिस्टर ने बात की ।

श्री कवासी लखमा :- इनकी पार्टी बोलती थी कि यह बिल पेश होगा तो उंगली कट जायेगी।

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, इसकी परिकल्पना भी सोनिया गांधी जी ने की थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्यसभा में भी आप लोगों ने खूब विरोध किया, बहुत दिनों तक उसको लटकाकर रखा, आज जाकर तैयार होना पड़ा।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- शर्मा जी, जब दो साल बाद मानना ही था तो यह पहले क्यों नहीं मान लिया? अब तक लागू हो गया होता, चल जाता।

श्री अरूण वोरा :- इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि आज नरेन्द्र मोदी जी जिस जीएसटी बिल को लेकर आये हैं उसकी परिकल्पना आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि उस समय आपने इसका विरोध किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतने राष्ट्रीय नेताओं में दो लोगों का नाम आप जानते हो। उनके सिवाय एक नाम राहुल गांधी और बोलो तब आपका वाक्य पूरा होगा।

श्री अरूण वोरा :- इस नाम को तो पूरा देश स्मरण कर रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस विषय पर सोनिया जी का एकाध वक्तव्य लोकसभा में आया क्या? आप इसे बता दो कि कब आया? जरा पता करके बताओ। आप सोनिया जी को क्रेडिट दे रहे हैं, सोनिया जी ने कभी इस विषय को लोकसभा में रखा क्या, जरा पता करके बताओ?

श्री अरूण वोरा :- चाहे केन्द्र हो या राज्य हो जितनी भी योजनाएं आज संचालित हो रही हैं, इस बात को हम गर्व और दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की योजनाएं हैं। संसदीय मंत्री जी, आपको ज्ञान में वृद्धि करनी होगी। मुझे हर सत्र में आपके ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ती है। जब आप मुख्यमंत्री जी के पास बैठकर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सके तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो 1993 में उनके साथ विधायक थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात में है कि आप एक नाम ले रहे हैं, आप दोनों नाम लीजिए।

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\b13\12.00-12.5

श्री अरूण वोरा :- जब आप मुख्यमंत्री के पास बैठकर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सके तो फिर क्या करेंगे आप, बताइए ना ?(हंसी) हम तो 93 में उनके साथ विधायक थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप राहुल गांधी जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, इस संशोधन विधेयक में 162 धाराएं हैं, 25 अध्याय एवं 4 अनुसूची है । आईजीएसटी में 33 धाराएं हैं जो 11 अध्याय में विभक्त हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादकों को, जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जाना है । इसके बारे में मुझे

कुछ कहना है । यहां 25 परसेंट वैट लगा है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तमंत्री भी हैं 25 परसेंट वैट टैक्स है । इसके अतिरिक्त पेट्रोल पर 2 रूपए प्रति लीटर और डीजल पर 1 रूपया प्रति लीटर अधिभार लिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, यहां मध्यम श्रेणी के लोग निवास करते हैं । दूसरे राज्यों में जब वैट की दरों में कमी कर दी तो यहां सरकार ने 25 परसेंट क्यों बढ़ाया ? मध्यम वर्गीय लोग जिनके पास टू-व्हीलर हैं उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, क्या इस पर आपने कभी विचार किया है? अरे आप शराब पर बढ़ा देते । आपको वैट बढ़ाना ही था तो शराब पर बढ़ा देते । आपने शराब पर वैट कम कर दिया और पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया । अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि किसी दूसरे राज्य में 25 परसेंट नहीं होगा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- शर्मा जी, आप क्या चाहते हो कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में ले लिया जाए ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अभी बता रहा हूं मैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शराब की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी लखमा जी का पूरा ध्यान रखती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विशेष तौर पर महेश गागड़ा जी, उनका पूरा ध्यान रखते हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अच्छा, महेश गागड़ा जी उनके कॉम्पीटीशन में हैं ? मतलब महेश गागड़ा जी को भी आप नहीं बख्श रहे हो ।

श्री कवासी लखमा :- हमारे शर्मा जी का ध्यान कौन रखेगा बताओ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं । अरे वेट टैक्स चाहे हो । 2013 और आज के पेट्रोल, डीजल के रेट को देख लो, रेट कितना कम है?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- रेट कम होने से क्या होता है ? आपने वैट कम क्यों नहीं किया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पेट्रोल का रेट 15 रूपए कम है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया है । आपने कोई मेहरबानी की क्या ? मैं कह रहा हूं के इंटरनेशल मार्केट में रेट कम हो गया तो कम करना आपकी मजबूरी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपभोक्ता को इसका फायदा मिल रहा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उपभोक्ता को फायदा मिल रहा है लेकिन 25 परसेंट वैट तो देना पड़ रहा है । अध्यक्ष जी, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां वैट की दरों में कमी करके हम लोगों ने मध्यम वर्गीय लोगों को राहत दी । आपने क्यों नहीं किया ? किसने रोका था आपको ? आपको करना चाहिए था जो आप नहीं कर पाए। अगर आपको वैट बढ़ाना ही था तो शराब पर बढ़ा देते । इस सरकार को शराब की अवैध बिक्री होना मंजूर है । इस प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो, यह मंजूर है । लेकिन शराब पर वैट बढ़ाना मंजूर नहीं है । आप पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जरा सोचिए, विचार करिये । पेट्रोल डीजल जो मध्यम वर्गीय लोगों के काम आता है, कम से कम उस पर तो आपको वैट कम करना था, जो आपने नहीं किया ।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात को मानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के प्रमुख स्रोत हैं । इसे जीएसटी के पर्दे से बाहर रखा जाना भी जरूरी है । शायद, 5 साल तक पेट्रोलियम उत्पादों को इससे बाहर रखा जाएगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है। आगे चलकर कौन्सिल के मेम्बर इस पर क्या निर्णय लेंगे उसकी जानकारी अभी नहीं है । इसी तरह से चूंगी के स्थान पर जो प्रवेश कर आरोपित किया जाता था उसे जीएसटी में शामिल किया गया है । नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत इन सब में प्रवेश कर के रूप में 90 प्रतिशत राजस्व उससे मिलता था । अगर ये राशि जीएसटी में चली जाएगी तो ग्राम पंचायतों में नगर निगमों में, स्थानीय निकायों में विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हम इस बात को रखना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई की जाए और 5 सालों तक की जाए।

.....

जारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\22-08-2016\b14\12.20-12.25

जारी...श्री सत्यनारायण शर्मा :- पांच साल तक लगातार की जाये, इस बात की भी हम यहां मांग रखना चाहते हैं । इसी तरह से कोल के साथ-साथ जो हमारे पेट्रोलियम के उत्पादों, कोल हमारे इंधन के रूप में काम आता है । हमारे प्रदेश में सीमेंट, आयरन, कोल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है और इसी उत्पादकों की भांति जीएसटी की परिधि से इसे भी बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि राज्य की आय के स्त्रोतों में नुकसान न हो और इससे हमारे विकास के

काम प्रभावित न हो, ये मैं निवेदन करना चाह रहा था । इसी तरह से कोयला भी अन्य वस्तुओं की भांति जीएसटी में समाहित किया जा रहा है, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली है ।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस टैक्स है और यहां पर वस्तु एवं सेवा का अंतिम रूप से उपभोक्ता होगा । अत: उस राज्य को कर प्राप्त होगा, जहां ज्यादा उपभोक्ता होते हैं । हमारे सीमेंट, आयरन, कोल इत्यादि राज्य के दूसरे, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के राज्यों में उपभोग करते हैं इसलिए उनको फायदा होगा और इस विषय पर भी अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और अभी तक 900 करोड़ से एक हजार करोड़ तक राजस्व हमको मिलता रहा है । अब ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह डॉउट है और इसलिए राज्य को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लागू किया जाता है तो जो हमारी स्वतंत्र इकानॉमी है, उस पर विपरीत असर न हो, इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रहे तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा । इसके साथ-साथ ये जो जीएसटी लागू हो रहा है, उसमें इंफारमेशन टेक्नालॉजी का बड़ा रोल है और हम जानते हैं कि इसमें बहुत से छोटे व्यापारी इस साउन्ड इंफारमेशन टेक्नालॉजी नेटवर्क को समझने में उनको बड़ी असुविधा होगी । मैं तो यहां तक कहता हूं कि बहुत से अधिवक्तागणों को भी इसको समझने में असुविधा होगी, बहुत से अधिकारियों को असुविधा होगी और इसके लिए यहां बराबर वर्कशॉप हो, इसको करने के लिए सेमीनार हों, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सकें और अधिक से अधिक लोगों का इंवाल्वमेंट हो, ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था हो और टैक्स कंसलटेंट को भी उसमें इंवाइट करना चाहिए, ताकि उनसे भी किसी तरह से चूक न होने पाये । उसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको भी थोड़ा सा ठीक से काम करने की जरूरत है । अभी प्रॉसीक्यूशन की जहां पर स्थितियां होंगी, वहां पर भी ठीक से समझकर प्रॉसीक्यूशन की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा । अनावश्यक कोई निर्दोष आदमी दंडित न हो जाये, इस बात को भी आपको देखना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष जी, हम समझते हैं कि 50 प्रतिशत राज्य विधान मण्डलों के अनुसमर्थन के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कानून की शक्ल में यह विधेयक आ जायेगा और उसके 60 दिन के अंदर-अंदर कौंसिल का गठन भी जरूरी होता है । अगर 60 दिन में कौंसिल का गठन नहीं हुआ तो उसका परपस डिफिट हो जायेगा और इसलिए जब कौंसिल बनी, उस वक्त माननीय मंत्रीगणों को, माननीय अमर अग्रवाल जी को और ज्यादा सावधानी

बरतने की जरूरत है । ये जीएसटी का जो 122वां संशोधन विधेयक आया है, हमारी पार्टी, हम सब उसका अनुसमर्थन भी करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को साथ में लेकर चलने की जो उदारता दिखायी है और समान रूप से सभी को विचार-विमर्श करके, संवाद करके, डायलॉग करके हर काम को करने का सिलसिला उन्होंने जो दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी कुछ इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो जनता इसे एप्रीसिएट करेगी । अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\b15\12.25-12.30

श्री देवजी भाई पटेल(धरसींवा)- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास में सबसे बड़ा, अभूतपूर्व 122वें संविधान संशोधन देश की उच्च सदनों में सर्वानुमति से पारित होने के बाद नियमानुसार देश की राज्य विधान सभाओं में 50 प्रतिशत पारित होने के पश्चात् यह कानून मूर्त रूप लेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। इसमें भाषा, खान-पान, बोली हमारी सभी अलग-अलग विशेषताएं हैं। उसके बावजूद हम एक सूत्र में कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, जिसके कारण मैं यह समझता हूं कि यह जी0एस0टी0 बिल भी...।

श्री सत्यनारायण शर्मा- आप दाम्पत्य सूत्र में कब बधेंगे प्रभु, यह तो बताइये? (हँसी)

श्री देवजी भाई पटेल- उसी एक सूत्र में बांधने का माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने और माननीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरूण जेटली जी को इस ऐतिहासिक क्षण में, जिन्होंने देश के इतिहास के लिए एक अभूतपूर्व संशोधन विधेयक लाया है, पास कराया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

समय- 12.26 बजे) उपाध्यक्ष महोदय(श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह उसी के सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जी0एस0टी0 की परिकल्पना काफी लंबी और पुरानी है। जी0एस0टी0 वास्तव में एक उपभोग कर है। 1950 के दशक में दुनिया भर में बहस छिड़ी थी। लोग महसूस कर रहे थे कि पूंजी रातों-रात एक देश से दूसरे देश चली आती है, जिसके

कारण सेंसेक्स कभी भी एकदम से गिर जाते हैं। पूंजी नहीं रुकने से सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा लॉस (नुकसान) भी होता है। राज्य सरकारें, कई देश इस पूंजी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के टैक्सेस लगाते हैं, ब्याज दरों में छूट देते हैं, परंतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूंजी तो पूंजी है। इसकी प्रकृति को बदलना कठिन है। लिहाजा जी0एस0टी0 की अवधारणा का उदय और टैक्स वसूली का आधार, जो व्यापक बना है, वह इसी अवधारणा को लेकर बना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 का अगर हम ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो जी0एस0टी0 की शुरुआत पर चर्चा सबसे पहले फ्रांस में हुई, जैसा माननीय वित्तमंत्री जी ने भी बताया और ऐसे भी देश, जो स्वतंत्र हुए, जिनका सैकड़ों साल का इतिहास है, जी0एस0टी0 लागू करने में उन देशों में भी लगभग सकड़ों वर्ष लग गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जी0एस0टी0 1954 में फ्रांस में लागू हुई। फ्रांस के बाद अप्रैल, 1954 में यह मलेशिया में लागू की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र की वास्तविक पाठशाला कहा जाने वाला देश स्वीटजरलैण्ड में भी यह जी0एस0टी0 1986 में लागू हुई। जी0एस0टी0 समस्त टैक्सों में एक सर्वाधिक सफलतम योजना के रूप में माना गया। वर्ष 1991 में कनाड़ा और दक्षिण अफ्रिका तथा वहां के देशों में भी जी0एस0टी0 लागू हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आस्ट्रेलिया जैसे देश, जहां जी0एस0टी0 लागू करने में 1975 में चर्चा प्रारंभ हुई और वहां इसे वर्ष 2000 में लागू कर पाये मतलब 25 वर्षों के लंबे इतिहास में चर्चा के बाद वर्ष 2000 में आस्ट्रेलिया में इसे लागू कर पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम जी0एस0टी0 की चर्चा कर रहे हैं, जी0एस0टी0 हमारे देश में लागू हो रही है तो मैं समझता हूं कि विश्व के लगभग 175 देशों में जी0एस0टी0 आज लागू हो चुकी है।

जारी....श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\b16 \12.30-12.35

जारी श्री देवजी भाई पटेल :- जो मैं समझता हूँ कि विश्व के लगभग 175 देशों में यह जीएसटी लागू हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखें तो वर्तमान में कुछ चर्चाएं हो रही थी, हालांकि हमारी जीएसटी कौंसिल इस पर जब चाहे करेगी। मगर विश्व के हम देशों की चर्चा करें तो टैक्सेस की एक औसत दर बता रहे थे कि 18 से 20 प्रतिशत तक जीएसटी की

दर होनी चाहिए या 22 प्रतिशत होनी चाहिए। निश्चित रूप से जीएसटी लागू होने से देश के जो अनेक टैक्सेस, जो राज्यों के टैक्स हैं, उससे जो लगने वाली चीजों पर लगातार जो दरों में बढ़ोत्तरी होती है, उसमें कहीं न कहीं 10 से 12 प्रतिशत का कमी आकर, उपभोक्ता को सस्ती वस्तु मिलने का पर्याय होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अमेरिका में अभी तक नहीं लगा है। आपकी जानकारी के लिए अमेरिका में इसका इम्लीमिटेशन (लागू) नहीं हुआ है।

श्री देवजी भाई पटेल :- मैंने कहा कि 175 देशों में लागू है। न्यूजीलैण्ड में जीएसटी की दर 15 प्रतिशत है। आस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत, ग्रेट ब्रिटेन में 20 प्रतिशत, यूरोपीय देशों में 19 प्रतिशत है। जापान में साढे 19 प्रतिशत है। भारतवर्ष जीएसटी में जो अभी हम इसकी दर की चर्चा कर रहे थे 18 से 20 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की राज्य की सरकारों के हित में होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत को आजाद हुए मात्र 70 साल हुए हैं। हमनें 70 वीं आजादी का वर्ष मनाया। अगर हम दूसरे देशों की चर्चा करें जहां पर इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान, स्वीटजरलैण्ड जैसे देश में जीएसटी वर्ष 1954 के बाद प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता के बाद सैकड़ों वर्ष उनको लग गये। अगर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाए तो वह कभी परतंत्र रहा ही नहीं। मगर वहां पर जीएसटी लागू करने में काफी विलंब हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के साथियों को बताना चाहता हूँ जो यहां पर चर्चा हुई। हम राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग चर्चाएं करें। मैं सम्माननीय साथी, जो हमारे अपोजिसन के भी लोगों ने चर्चा की। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार कम से कम एक सकारात्मक माहौल बना। मैंने कहा कि विविधता में एकता ये हमारे देश की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर और हमें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में हमने ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चाहे वह आंतक की दृष्टि से अगर अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने की बात हो, चाहे देश को एकता के सूत्र में बांधने की बात हो। निश्चित रूप से वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही शख्स है, जिन्होंने एकता के सूत्र में देश को बांधने का सफलतम प्रयास किया। ये पहली बार प्रयास किया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देख लीजिए कश्मीर की हालत क्या है ? वहां 46-47 दिन से कर्फ्यू लगा है, एकता का क्या किये, सिर काटने की बात हो रही थी, आज देश में क्या हो रहा है ?

श्री देवजी भाई पटेल :- अगर मैं उस बात को बोलूंगा तो आपको चिढ़ लगेगी।

श्री मोहन मरकाम :- कोई चिढ़ नहीं लगेगी।

श्री देवजी भाई पटेल :- आपको मालूम है कि 1954 में जब देश का एकीकरण हुआ, रियासतों में बंटा हुआ था और अगर आज कश्मीर सुलग रहा है, उसकी गलती सिर्फ प्रथम प्रधानमंत्री की है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सियाराम कौशिक :- पटेल जी, गुजरात के हार्दिक पटेल का क्या हुआ ?

श्री देवजी भाई पटेल :- प्रथम प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को करने नहीं दिया।

श्री सियाराम कौशिक :- हार्दिक पटेल जी का क्या हो रहा है, ये बता दीजिए?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना इतिहास को जाने इस प्रकार से बात कहना ..।

श्री देवजी भाई पटेल :- ये मैं नहीं ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, आप तथ्य रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है कि पंडित नेहरू की गल्तियों के .... (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत ब्यान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :-पाकिस्तान का सिर काटने की बात हो रही थी। आज क्या हुआ, आज क्या हालात हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- ये बिल्कुल गलत ब्यानी कर रहे हैं। बाहर में भाषण देते हैं, उसको यहां मत दीजिए और इस प्रकार से बात मत करिये।

श्री मोहन मरकाम :-आज धारा 370 का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जो हमारे नेताओं ने किया, उसको कम करने का आप लोगों का ये षड़यंत्र है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके नेताओं ने मातृभूमि को विभाजित करने का काम किया। लाखों लोगों के कत्ले आम करने का काम, ये आपके नेताओं ने किया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अब क्या अफगानिस्तान पर भी बम गिराने वाले हो ?

श्री अरूण वोरा :- शिवरतन जी, देश की आजादी में आप कहां थे ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप कहां थे ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- देश की आजादी के समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी ।

श्री अरूण वोरा :- उस समय हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. के लोगों ने विरोध किया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारी पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी । पर आजाद भारत में सबसे ज्यादा देश की रक्षा करने के लिए कोई बलिदान करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- इनके नेता अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे।

श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\b17\12.35-12.40

श्री भूपेश बघेल :- इनके नेता अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पंडित नेहरू किया करते थे क्या?

श्री भूपेश बघेल :- पंडित नेहरू आपके कब से नेता हो गये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इससे पहले आप ध्यान से सुन रहे थे, जैसे ही भूपेश बघेल जी अंदर आये, आपको पावर आ गया।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवजी पटेल जी से जानना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की दो साल में क्या उपलब्धियां हैं, यह बता दें। आप जो बोल रहे हैं हम लोग वह चीज मान लेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें नेहरू जी और सरदार पटेल जी की चर्चा आई। एस.एस.गिल जी मध्यप्रदेश शासन के भी आई.ए.एस. के अधिकारी रहे, केन्द्र में भी आई.ए.एस. के अधिकारी रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उसको भी पढ़ लें। एक तो 1954 में रियासतों का विलीनीकरण नहीं हुआ था, 1948 तक हो गया था। दूसरा सरदार पटेल

जी ने ये भी लिख दिया था, उस पुस्तक के मुताबिक ये भी कह दिया था कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसको पाकिस्तान को दे दिया जाये। एस.एस.गिल जी की किताब में लिखा हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी गलत बोल रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं आपको किताब उपलब्ध करा दूंगा। आप उनको बोलियेगा कि गलत बोल रहे हैं। आपने जो इतिहास पढ़ा है वह बहुत किस्म का इतिहास है। इस किताब को मैं आपको नाम से दे रहा हूं। आई.ए.एस. अधिकारी जो गृह सचिव भी रहे, आप उनकी किताब पढ़ लीजिए। उसके बाद सदन में यहां पर बहस के लिए एक समय रख लीजिए। हम लोग उस पर भी बहस कर लेंगे। उस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है यदि उस समय नेहरू जी तत्कालीन राजा के विवशता का लाभ लेकर, राजा वहां पर भारत में विलीन करने के पक्ष में नहीं थे, वह स्वतंत्र राज्य, जो आज भी बात चल रही है, उस पक्ष के थे। लेकिन जब पाकिस्तान से कुछ लोग अंदर घुस आये और बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे के बाहर चला गया, दबाव में जब राजा ने कहा कि अब हमारी मदद करो, तब देश की फौजों को यही जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री ने भिजवाया। आप उस किताब को पढ़ लें और इसमें बहस के लिए समय लें लें। पर्याप्त समय ले लें, हम लोग भी पूरी बातों को रखेंगे। इस बात को भी पूरे तथ्यों के साथ अब रख देना चाहिए कि कब क्या हुआ, क्या नहीं, ये इतिहास का लिखना, दोबारा लिखना, तिबारा लिखना और इसका दूषित करना, ये बंद होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मै तो चाहता हूं कि विधानसभा उपाध्यक्ष जी अनुमति दें तो आप समय ले लीजिए, बिल्कुल इस विषय में बहस कर लेंगें। विधानसभा में बहस होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल उसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं अभी समय मांग रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, 25 अक्टूबर 1948 को महाराजा हरीसिंह ने नि:शर्त विलय का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया था।

श्री भूपेश बघेल :- यह भी चर्चा कर लीजिए कि सरदार पटेल जी ने आर.एस.एस. को प्रतिबंधित कर दिया था। ... (व्यवधान)..

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जब पाकिस्तान के कबिलाई घुस आये और राजा वहां असमर्थ हो गया, भारत देश में विलीन नहीं होना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया विचाराधीन विषय पर ही अपनी बात करें।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- सरदार बल्लभ भाई पटेल प्रतिबंधित किये तो 1963 के 26 जनवरी की परेड में पंडित नेहरू ने उस परेड में बुलवाया। यह 26 जनवरी जो संविधान दिवस है, जिस दिन से संविधान लागू है, 26 जनवरी 1963 को उसी पंडित नेहरू ने आर.एस.एस. वालों को परेड में बुलवाया था। तो यह भी याद रखो।

श्री टी.एस.सिहदेव :- वही सरदार पटेल ने वेन लगाया था, मत भूलियेगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय पाण्डेय जी, आप यह बता दीजिए कि महात्मा गांधी जी के करो या मरो नारे का विरोध आर.एस.एस. ने क्यों किया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरा आग्रह है कि जिस विषय पर बात हो रही है, उसी पर अपनी बात रखें।

श्री भूपेश बघेल :- पंडित नेहरू जी का विरोध कर रहे हो, सरदार पटेल जी ने प्रतिबंधित किया था। उनकी मृत्युपरांत नेहरू जी ने आमंत्रित किया है। जो जानकारी नहीं है उसकी बात न करें। 48 का 54 बता रहे हो।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जब साथी दूसरी बात को छेड़ेगे तो संभावित है कि दूसरी बात होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी आप दो भाषण तक चुप थे, जैसे ही भूपेश बघेल जी अंदर आये आपने परफारमेन्स दिखा दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नेहरू जी की बात आई न। भूपेश बघेल जी की बात नहीं आई। जी.एस.टी बिल में नेहरू जी का क्या लेना-देना।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये तो कटुसत्य है कि आज जो कश्मीर की समस्या है वह पंडित नेहरू की देन है।

श्री भूपेश बघेल :- उपाध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्य से अवगत करा रहा हूं। ये कटुसत्य है।

श्री भूपेश बघेल :- ये सत्य नहीं, असत्य है। ... (व्यवधान) ...

श्री शिवरतन शर्मा :- नेहरू जी की गलतियों के कारण एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। ये नेहरू जील की गलतियों का परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय :- देवजी भाई, चलिये।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय साथ्यिों को जो यहां चर्चा भी हुई और ज्ञात भी हुआ। यह केन्द्रीय बजट वर्ष 2006-2007 में 28 फरवरी 2006 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने जी.एस.टी बिल लाने की घोषणा की। मैं सदन के माध्यम से .. (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\b18\12.40-12.45

.....जारी श्री देवजी भाई पटेल मैं सदन के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पी0 चिदम्बरम वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके दल की नेता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के जी0एस0टी0 बिल पर सहमति बनाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का जी0एस0टी0 बिल लाने का सपना था और इसको प्रारंभ करने की शुरूआत डॉ0 मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बिल का मसौदा बनाकर 2006 में किया था। सन् 2000 में अटल बिहारी बाजपेयी जी के कार्यकाल में तत्कालीन समय में जो लगने वाले टैक्सेस थे, उसको हटाकर नया वस्तु एवं सेवा कर जी0एस0टी0 बिल को लाने के लिए माडल के रूप में शुरूआत की गई। इसके लिए इमपावर्ड कमेटी भी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्तमंत्री असीमदास गुप्ता को बनाया गया था। बड़े उतार-चढ़ाव के बाद सही, परन्तु उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी0एस0टी0 साकार करने का सपना श्रीमान् अटल बिहारी बाजपेयी जी का था, सपने को साकार करने के लिए सर्वानुमति बनाकर अटल जी के सही सपने को साकार करने का काम किया है, तो श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं वित्तमंत्री अरूण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सदन के माध्यम से दोनों सदनों में सर्वानुमति बनाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। इस 29 राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल के लोग, छोटे दल से लेकर बड़े दलों के लोग वहां चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं। अलग-अलग दलों के लोगों में एकता, मैंने इसीलिए ही कहा कि

विविधता में एकता, यह सूत्र पहली बार एक सूत्र में बांधने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग टैक्स को समाप्त करने का सिस्टम, consumer is king की अवधारणा ही जी0एस0टी0 है। छोटे उद्यमियों को सुरक्षा प्रदान करना, consumer को ध्यान देने वाला जी0एस0टी0 राष्ट्रीय स्तर पर बना है। मैं समझता हूँ कि इससे पहली बार इन 70 वर्षों में राष्ट्रीयता की भावना भी हमारे देश में प्रबल हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा लग रहा है कि होली के सारे रंग-बिरंगे गुलाल बिखरकर सशक्त भारत को स्थापित करने में यह जी0एस0टी0 साबित हुआ है। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात, 1947 के पश्चात से टैक्स में व्यापक सुधार के लिए वातावरण बनता रहा। आप सभी सदस्य अतीत की ओर ध्यान दें कि 1947 के बाद यह जी0एस0टी0 एक बड़ा रिफाम है। यह टैक्स एक बड़ा रिवेलवेशन है। यहां बहुत सारी चर्चा हुई, माननीय सत्यनारायण जी इस चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि जी0एस0टी0 बिल की आशंका-कुशंकाएं बहुत है। मैं समझता हूँ कि जी0एस0टी0 कौंसिल बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आने वाले समय में चर्चा करके पूरे देश के, प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकारें हो, वहां पर हर राज्य का प्रतिनिधि जी0एस0टी0 कौंसिल में शामिल होगा और अपने-अपने राज्यों की स्थिति से अवगत करायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि कई ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश हैं और उत्तरप्रदेश जैसे 22 करोड़, 26 करोड़ की जनसंख्या वाला बड़ा प्रदेश भी है। हम कहे कि पहली बार जी0एस0टी0 बिल का मसौदा बना है, जिसमें अभी यह विधेयक के रूप में पारित होना है, विधेयक पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, इसके बाद विधेयक के खण्डों पर अलग-अलग कई बार विचार होगा।

.....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\22-08-2016\b19\12.45-12.50

जारी...श्री देवजी भाई पटेल

अभी तो यह विधेयक के रूप में पारित होना है, विधेयक के रूप में हम यहां चर्चा करें, इसके बाद विधेयक के खण्डों में कई बार अलग-अलग विचार होगा, विधेयक में टेक्सेसन के बारे में विचार होगा, जी.एस.टी. कमेटी इसको तय करेगी । कमेटी तय करने के बाद पुन: जो इसको पारित करके एक अलग से इसका मसौदा तैयार किया जायेगा । मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखा जाये तो जिस प्रकार की यहां आशंका है, यहां

पर निश्चित रूप से मिनिरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कहीं न कहीं सी.एस.टी. के माध्यम से जो टैक्सेस प्राप्त होता था, कहीं न कहीं टैक्सेस में छत्तीसगढ़ राज्य को नुकसान होने की संभावना है । हमारे टैक्सेस वेल्यू में 1000-1500 करोड़ की कमी आने की संभावना है । मगर जी.एस.टी. बिल में ही बता दिया गया है कि प्रथम तीन वर्ष जी.एस.टी. बिल आने के बाद राज्यों को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई केन्द्र सरकार के माध्यम से कराई जायेगी । चौथे वर्ष भरपाई करने का काम 75 प्रतिशत और पांचवे वर्ष में 50 प्रतिशत भरपाई केन्द्र सरकार करेगा । इसलिए अब राज्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । बहुत सारे इसमें विषयवस्तु हैं, 99 कामोडेटिस, अलग-अलग चीजों को रखा गया है । मैं समझता हूँ कि हम सब की आशंका है । जिस प्रकार से विश्व के सारे देशों में जी.एस.टी. लागू है, अर्थशास्त्रियों के बयान और समाचार पत्र के माध्यम से सारी विसंगतियां पढ़ने को मिलती है । कई लोग कहते हैं कि जी.एस.टी. बिल लाने के बाद नाराजगी व्यक्त हुई । लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो भारत में जी.एस.टी. बिल का आया, हर देश की परिस्थितियां अलग-अलग होती है, हमारे देश की अलग विविधता है, अलग परिस्थितियां हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जी.एस.टी. बिल का मसौदा लाया है, 122 वां संशोधन यहां पर संकल्प के रूप में पारित करके समर्थन देने की बात है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । जहां तक मिनिरल्स और अन्य स्थिति में के बारे में यह भी कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश में 72 परशेंट कृषि कार्य से लगे हुये लोग हैं । कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है ।

ऐसी परिस्थिति में कृषि आधारित, हम जानते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप भी कृषक हैं । कृषि लागत में जिस प्रकार से इजाफा होते जा रहा है, जी.एस.टी. बिल के मसौदे को इम्पावर्ड कमेटी, जो जी.एस.टी. कमेटी तय करे, उस समय किसानों के विशेष हितों को ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे देश में आज भी 65 प्रतिशत लोग एकदम गरीबी रेखा के नीचे हैं । जी.एस.टी. के व्यावहारिक बिन्दुओं के ध्यान देने के समय में यह देखना पड़ेगा कि हमारे वित्त मंत्री जी कमेटी के मेंबर के रूप में जायेंगे । जो हमारे देश के 65 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे गरीब लोगों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी । मैं समझता हूँ कि जी.एस.टी. बिल एक अमृत है । आने वाले समय में राज्य सरकारों के लिए संजीवनी का काम करेगी । माननीय

उपाध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल एक सामान्य पारदर्शी व्यवस्था है, उसके आधार पर कारोबार आसान होगा । कई स्तरों परस टैक्स लगता था, वह बंद हो जायेगा । इसमें टैक्सेस लगाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गई है, यह वास्तव में आने वाले समय में विभिन्न अलग-अलग टैक्सेस होते थे, जिसमें कई टैक्सों में चोरी की संभावनायें रहती थी, कई टैक्सों में चोरियां होती थी, जी.एस.टी. बिल लागू होने से निश्चित रूप से चोरियों में कमी आयेगी, टेक्सेसन का भार भी लोगों में कम आयेगा, अगर एक छोटी कार हम दिल्ली में खरीदते हैं, छत्तीसगढ़ में हम कार खरीदते हैं, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की कार एक ही मूल्य पर मिलने की संभावनायें हैं । आने वाले जी.एस.टी. बिल से यह अवधारित होगी । उसी प्रकार देश में अलग-अलग छोटे उद्योगों की बात जहां तक की जा रही है, मैं समझता हूँ कि बड़े उद्योगों को तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है । उसके साथ जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, उसके लिए भी एक राहत भरी बात यह होगी कि अलग.....

जारी ....श्री सुधीर शर्मा\22-08-2016\b20\12.50-12.55

..जारी श्री देवजी भाई पटेल :- उसी प्रकार देश में अलग-अलग, जो छोटे उद्योगों की जहां तक बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि बड़े उद्योगों को तो उसका बहुत लाभ मिलने वाला है, मगर उसके साथ जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, उनके लिए भी यह एक राहतभरी बात होगी कि अलग-अलग टेक्सेस के लिए उनको सी.एस.टी., आई.टी. से लेकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अब जी.एस.टी. लागू होने पर जी.एस.टी. टिन नंबर के माध्यम से वह व्यापार करेगा तो उनका समय बचेगा और वो उन्मुक्त वातावरण में व्यापार कर सकेगा । मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए यह भारत के इतिहास में एक एतिहासिक कदम होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सेस वसूली के लिए सूचना तकनीकी की सहायता से एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जा रहा है, जिसमें राज्य, माल, सेवा और अंतर्राज्यीय व्यापार पर पूरी निगरानी इस साफ्टवेयर के माध्यम से रहेगी । मैं यह कह सकता हूं कि इस व्यवस्था के आने के बाद प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, भ्रष्टाचार में कमी आयेगी, भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, चुंगी खत्म होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह कह सकता हूं कि हमने संसद के बहुत से नेताओं के वक्तव्य पढ़े हैं । हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान तो हमारे लोकसभा और

राज्यसभा में ही, वहां हमारे जो नेता बैठे हैं, वहां अनेकों संशोधन के बाद इस बिल को बड़े सदन में पारित किया गया है, इसलिए अब इस सदन में इसे जो एक संकल्प के रूप में लाया गया है और इस विधेयक के समर्थन में हमें जाना है, इसमें बहुत अधिक चर्चा का मैं समझता हूं कि औचित्य नहीं बचता।

श्री भूपेश बघेल :- मतलब आपने बोल लिया, मगर दूसरे लोग नहीं बोलें ? आपका हो गया, मतलब खत्म हो गया ? (हंसी)

श्री देवजी भाई पटेल :- नहीं, मैं अपना औचित्य बोल रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सदन के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वानुमति से पारित करें और केंद्र में प्रधानमंत्री और सभी राजनैतिक दलों के द्वारा पारित इस विधेयक और संविधान के 122वें संशोधन बिल के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प को हम सर्वानुमति से पारित करके पूरे विश्व में इस एकता और अखण्डता का हम यहां पर सूत्रधार करें, इसी भाव के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज लोक सभा में वर्ष 2014 में प्रस्तुत 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर आज यहां संविधान की आवश्यक प्रक्रिया के तहत जो चर्चा हो रही हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे दल की ओर से हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी ने इस पर बहुत विस्तार से अपनी बातें और हमारे कांग्रेस पक्ष की ओर से सारी बातें विस्तार से रखी हैं । जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित किया गया है और एक प्रक्रिया के तहत आप और हम इस पर यहां चर्चा कर रहे हैं । निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता को हमारे इस देश में भी महसूस किया गया और इसीलिए हमारी तत्कालीन यू.पी.ए. की सरकार ने इसे पास कराना चाहा था, लेकिन उस समय विपक्ष की ही हठधर्मिता के कारण यह बिल पास नहीं हो सका था। यदि उस समय ये विधेयक पास हो गया होता तो मैं समझता हूं कि इसके फायदे आज पूरे देश को मिलना चालू हो गया होते, लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जब ये लोग विपक्ष में रहे, तब तक इन्हें ये सारी चीजें गलत दिखाई दीं, इन्होंने इन सारी चीजों का विरोध किया, इन्होंने जी.एस.टी. का विरोध किया, इतना हाहाकार मचा दिया था, हमारे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री

जी ने भी बहुत विरोध किया था कि इस बिल के पास हो जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ....जारी

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\c10\12.55-12.60

जारी.....श्री धनेन्द्र साहू :- सारी चीजों का विरोध किया । इन्होंने जी.एस.टी. का विरोध किया, इतना हाहाकार मचा दिया था । यहां इस प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत विरोध किया कि जैसे बहुत इस बिल के पास हो जाने से यहां बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा, आज वहीं इसकी अब तारीफ हो रही है । इनकी आदत है कि हर चीज का विरोध करेंगे और इतिहास इसका प्रमाण है । इन्होंने आधार कॉर्ड का विरोध किया और अब वही आधार कॉर्ड आज इनकी प्राथमिकता में है। पहले समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है, बहुत देरी से समझ में आता है । इसी तरह से इन्होंने मनरेगा का विरोध किया । आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी यू.पी.ए. सरकार की यह मनरेगा को विफलता के स्मारक की उन्होंने उपाधि दी और आज वहीं बजट में बढ़ौत्तरी करके आज उसका अब श्रेय ले रहे हैं । उसी मनरेगा को आप यहां पर 50 दिन और अधिक उसमें बढ़ौत्तरी करके आज उसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। उस समय आपकी समझ में क्यों नहीं आया । मुझे याद है कि जब हमारे खेत की फसलों के लिये हमारी आधुनिक हाईब्रिड भी जाती थी तो हमारे विभिन्न फसलों का, जब हाईब्रिड बीज आया तो खूब यहां पर ढिंढ़ोरा पीटा गया कि यह कांग्रेस सरकार जो नयी आधुनिक बीजें ला रही हैं उससे किसानों का बीज पर एकाधिकार समाप्त हो जायेगा । हम अपने खेतों में बीज नहीं बना पायेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका काफी विरोध किया था इसी तरह से आपने एफ.डी.आई. का विरोध किया अब सारे विदेशों में जाकर अब आप उसी के लिये .....

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- आप तो यह बताईये कि उस हाईब्रिड बीज का जो उत्पाद होता है उसका बीज बनता है क्या ?

श्री धनेन्द्र साहू :- आज इसी हाईब्रिड बीज के कारण आप इस भारत देश की अनाज की आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहे हैं । आज यदि हाईब्रिड बीज नहीं आये होते तो जितनी हमारी आज आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती ओर आपको विदेशों से आयात करना पड़ा होता । मैं इसी तरह से कहना चाहूंगा कि निर्मल ग्राम का उस समय आपने आज उसी को आपने स्वच्छ भारत मिशन आपने नया नाम देकर, नया कलेवर देकर तो सारी.....

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- श्री धनेन्द्र भैया को कृषि के बारे में अच्छी तरह जानकारी है, माननीय राजस्व मंत्री जी आप कभी बैठकर समझा करें ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- मैं पहले कृषि मंत्री रह चुका हूं, समझे । (हंसी)

श्री धनेन्द्र साहू :- आपने कांग्रेस की हर योजना का विरोध किया और बाद में उसी को प्रायश्चित स्वरूप आप उसको स्वीकार कर रहे हैं । अभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, यह प्रायश्चित यात्रा है । इसको प्रायश्चित यात्रा नाम देना चाहिए । आजादी के समय आपने नाखून नहीं कटाया और अब आपको याद आ रहा है, अब आप पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन करके आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो यह भी एक तरह से आज जो जी.एस.टी. बिल ला रहे हैं ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- आजादी के समय हम थे ही नहीं तो क्या करेंगे ?

श्री धनेन्द्र साहू :- आप थे । रूप अलग था, स्वरूप अलग था ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- उस स्वरूप में जो थे वे लोग उस स्वरूप में भाग लिये थे । उसका भी इतिहास है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- उस समय आपकी उपस्थिति नहीं थी ।

श्री चुन्नीलाल साहू :- श्री धनेन्द्र भैया आप जंगल सत्याग्रह को देखिये न ।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप कितने सालों से थे, आपको 70 सालों बाद याद आ रहा है । यह तिरंगा का महत्व या हमारे उन शहीदों का महत्व आपको आज आजादी के इतने वर्षों बाद याद आया चलिये उसके लिये फिर भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तिरंगा यात्रा तो कर रहे हैं । अच्छी बात है लेकिन लोग मत समझ जायें कि यह कांग्रेस की यात्रा निकाले हैं करके, वे भाजपा का भी झंडा साथ में रखे रहते हैं । जब तिरंगा ही लगाना था तो दोरंगी फिर रखने की क्या जरूरत है ? वह डर है इनके मन में आप फिर वर्ष 2001 में क्या किये थे, नागपुर में आप झंडा फहराने नहीं दिये । वर्ष 2001 के पहले आपके यहां कहां झंडा फहराता था ?

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\c11\01.00-01.5

समय : 1:00 बजे

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जी एस टी बिल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में अधिकतम लोग उपभोक्ता हैं और आप चाहे किसी भी तरह से करारोपण करते हैं तो उसको बोझ आम जनता के ऊपर ही पड़ता है । एक कहावत है छूरी चाहे खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छूरी पर गिरे लेकिन कटता तो उपभोक्ता ही है । इसका असर उपभोक्ता को होता है । ठीक है, कर का सरलीकरण हो रहा है, सारे देश में एक जैसे कर लगेंगे। लेकिन इस बात को देखना आज भी और हमेशा आवश्यक होगा कि आम आदमी के ऊपर इसका बोझ न पड़े, आम आदमी के ऊपर इसकी दोहरी मार न पड़े । विशेषकर किसानों के ऊपर इसकी मार न पड़े । इसमें जिस प्रकार से उत्पादक के ऊपर जो प्रावधान या जिक्र है कि जिन वस्तुओं को और जिन सेवाओं को कर के रूप में लिया और छोड़ा गया है उससे संदेह पैदा होता है कि आज जो उत्पादक है जैसे मान लीजिए आज हमने कोई फसल बो रहे हैं तो उस फसल पर कर लगेगा । लेकिन यदि वही उत्पाद के रूप में दूसरी जगह गया है जिस पर वह व्यापार कर रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा । एक उत्पादक के ऊपर कर, यदि किसानों के उत्पादन पर कर लगेगा तो यह निश्चित तौर पर किसानों के लिए बोझ होगा । इसी तरह से जो कांट्रेक्ट एग्रीकल्चर है । हमारे गांव में जो हमारी परिपाटी है अधिया, रेघा के तहत जो खेती होती है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- इसमें नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सामान है, बीज है, उस पर टैक्स है ।

श्री धनेंद्र साहू :- कांट्रेक्ट एग्रीकल्चर की जो परिभाषा यहां पर परिभाषित की जा रही है इसमें भी संदेह होता है कि हम लोग जो इस रूप में जो कांट्रेक्ट करते हैं, अधिया या रेघा देते हैं इसमें कृषि के ऊपर किसी भी तरह से टैक्सेशन न आ सके । यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा । साथ ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा और राज्य सभा में भी जिन प्रमुख चार शर्तों के तहत उसको स्वीकृति दी है । मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा पहला, राज्यों के बीच कारोबार पर एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा । मूल विधेयक में राज्यों के बीच व्यापार पर तीन साल तक एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगना था । दूसरा, जी एस टी से नुकसान होने पर पांच साल तक 100 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा । मूल विधेयक में तीन साल तक 100 प्रतिशत, चौथे साल में 75 प्रतिशत और पांचवें साल में 75 प्रतिशत मुआवजे का

प्रस्ताव था । तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था की गई है जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी । पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान आधारित थी जिसमें दो तिहाई वोट राज्यों के और एक तिहाई केंद्र के पास थे । चौथा, विधेयक में जी एस टी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया जाएगा । इस संशोधनों के साथ में कांग्रेस ने इसे अपना समर्थन दिया है और इसको हम लोग यहां पर दोहराते हैं । इसी के साथ 18 प्रतिशत से अधिक जी एस टी की दर न हो । हम यह भी अपनी बातें रखते हुए इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की एक आस्था, विश्वास रहा जिसको लेकर हमारी पार्टी ने सदैव काम किया । इस देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे । उस दिशा में जी एस टी बिल एक निर्णायक कदम है कि देश की अखण्डता के लिए, देश में एकरूपता के लिए, देश में समान व्यवस्था लागू करने के लिए इस विधेयक को रखते हुए भी केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली जी ने भी अपने विधेयक के कथन में, उद्देश्यों के कारणों के कथन में उन्होंने जो कहा उसमें भी यही बात कही कि देश में जो विभिन्न तरह की कर प्रणाली है उसको एक करना हमारा उद्देश्य है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी, 1950 के बाद देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के सुधार हुए । किसी समय शुरूआत के दौर में जो बड़े निर्णय हुए चाहे युद्ध की स्थितियां हों .....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\c12\.-.5

जारी... श्री अजय चन्द्राकर :- चाहे युद्ध की स्थितियां हों, युद्ध की जीत हो, चाहे प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय हो इस सदी में जो देश में उदारीकरण का दौर चल रहा है उसमें सबसे बड़ा निर्णय जीएसटी को माना जा रहा है। भारत की जो क्षमता है, भारत में जो संशाधन हैं उस क्षमता और संशाधन का अनेक कारणों से राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण दोहन नहीं हुआ। देश से अलग हटकर प्रदेशों में यह प्रतिस्पर्धा चलती रही कि हम ये सुझाव देंगे, ये छूट देंगे, ये कर देंगे आप निवेश के लिए आ जाएं। और जब हम राज्यों की ओर

केन्द्रित होते थे तो हमारे सामने देश क्या है वह सेकंड हो जाता था और वह परिदृश्य बनता नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जब हमने राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई चाहे वह श्वेत क्रांति हुई हो, चाहे वह हरित क्रांति हुई हो, चाहे बैंक का एकीकरण हुआ हो, चाहे जमींदारी उन्मूलन एहो, चाहे सीलिंग एक्ट हुआ हो, चाहे हम नीली क्रांति की ओर बढ़ रहे हों, इन सब क्रांतियों को या गरीबी उन्मूलन के जितने प्रयास हुए हों उन सबको यदि कोई मजबूत करेगा तो यह जीएसटी मजबूत करेगा। जितनी शंका भाषणों में आ रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमको बहस के लिए जो बुकलेट दिया है यदि उसमें सभी नेताओं के अभिप्राय को हम ध्यान से पढ़ें, तो संसद में अनेक विषयों पर आजतक जो महत्वपूर्ण बहस हुई है मैं सोचता हूं कि भारत की असली आत्मा इस बहस में प्रकट हुई, सारे दल के नेताओं ने यह इच्छा और यह संकल्प प्रकट किया कि जीएसटी देश के लिए आवश्यक है। और जब दोनों सदनों में यह बात प्रकट हुई, परिलक्षित हुई और उसको यदि हम देखते हैं तो इस सदन में हमको सिर्फ हमारे अनुसमर्थन के और कुछ नहीं बचता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरूण वोरा जी ने श्रेय के बारे में कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्तर देते हुए जो बात कही उसमें मैं कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि यह सभी राजनीतिक दलों की विजय है। जब उन्होंने जीएसटी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उन्होंने कहा कि राजनीति से राष्ट्र बड़ा है। यह जरूरी नहीं है कि कौन श्रेय ले। जो देश के लिए महत्वपूर्ण करना है वह इस समिति का, इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के भाषण के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं, आई.पी.सी./सी.आर.पी.सी. जैसे केन्द्रीय कानूनों को देखते हैं तो भारत एक स्वरूप है, एक माला है, एक अखंड भारत है। ये जो दिखता है उसमें जीएसटी एक नया मोती इस माला में पिरो रहे हैं जो एक भारत को ताकत देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा जो इसमें रिकार्ड है उसमें उन्होंने कहा कि यह सामूहिक मंथन का नतीजा है, उन्होंने श्रेय लेने की राजनीति नहीं की, देश सेवा की राजनीति की, जो हम लोग अपनी विचारधारा में, अपने कार्य में हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जो बात उन्होंने कही- यह बात सही है कि राज्यों में केन्द्र के प्रति अविश्वास का माहौल था और ये बात मैं आगे बताऊंगा कि उसकी सरकार में कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के मंत्री थे, सदस्य थे उन लोगों ने भी यह कहा कि जीएसटी को उन 10 सालों में पारित करवाने के लिए अविश्वास का माहौल था।

यह बात मैं नहीं कहूंगा, वह रिकार्ड कहेगा जो लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी लोकतांत्रिक बात है? अपने-अपने अनुभवों के कारण और सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्य और केन्द्र के बीच एक विश्वास पैदा हो। उस समय भी जीएसटी में सहमति बन जाती यदि पी.चिदंबरम साहब यह कहते कि हम राज्यों को जो घाटा होगा उसकी प्रतिपूर्ति देंगे। यह कमिटमेंट नहीं आया। मैं तो माननीय मोदी जी के साथ डॉ. रमन सिंह जी को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा जैसा कि हमारे माननीय करारोपण मंत्री जी ने कहा कि हमको घाटा होगा।

श्री भूपेश बघेल :- पाण्डेय जी, नरेन्द्र मोदी जी के बाद डॉ. रमन सिंह जी को बधाई दे रहे हैं, देखिए, अजय जी ने अपना नंबर बढ़ा लिया और आप लोग पीछे रह गये। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, घाटा होगा उसके बावजूद चूंकि राष्ट्रहित का सवाल है इसलिए हम सबसे पहले अनुसमर्थन करने वाले प्रदेश बनेंगे और इसमें राष्ट्र के उस ताकत में हम छत्तीसगढ़ का योगदान देंगे। यह लोकसभा के रिकार्ड में है जो मैं पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी एक बात पर कहते हैं कि खड़गे जी ने कहा कि लोकसभा को आप छोटी जगह बोल देते हैं तो उसमें आपत्ति करते हुए उन्होंने कहा कि आदरणीय सोनिया जी को बुलाया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया, एक लोकसभा से थे, एक राजयसभा से थे, दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए जीएसटी को लेकर विचार-विमर्श किया। इसी भाषण का अंश है।

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\c13\01.10-01.15

जारी.....श्री अजय चन्द्राकर :-

इसी भाषण का अंश है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है, इस बात को हम सब ने मिलकर सिद्ध किया । सब ने मिलकर सिद्ध किया । माननीय भूपेश जी, जीएसटी के पक्ष में मैं भी उन बातों को कहूंगा कि इससे जो फायदा और घाटा होने वाला है। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसको लॉजिस्टिक क्षेत्र के सभी लोगों ने इस बात को कहा, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश में जो चलते फिरते साधन हैं वे अपनी क्षमता का सिर्फ 40 परसेंट ही यूटीलाइज करते हैं और 60 प्रतिशत उनको कहीं न कहीं रूकना पड़ता है । अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली इंडीपेंडेंट एजेंसी ने अपने सर्वे में बताया कि केवल उनके रूके वाहनों के कारण भारत में 1 लाख, 40 हजार करोड़ रूपए का नुकसान होता

है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में यह ताकत आएगी । देश की इकोनॉमी अनुत्पादक क्षेत्रों में बह रही है उसका सीधा प्रभाव जनता के विकास में, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों में दिखेगा । उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वास की है जिसकी बहाली करते हैं, जिस पर सत्यनारायण जी ने भी कहा कि जितने संशोधन राष्ट्रहित में आए उनको माननीय मोदी जी ने स्वीकार किया और फिर से लोक सभा में गए और फिर से उनको पारित करवाया । यह लोकतंत्र की ताकत है, यह उन्होंने अपनी बात में कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है । जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में जो शंका माननीय नेता प्रतिपक्ष जी व्यक्त करते हैं, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में है । जो हमारे कंवर जी ने कही कि अल्कोहल या पेट्रोलियम जो जीएसटी से बाहर हैं उनके अतिरिक्त जो गरीबों के लिए, छोटों के लिए बात कर रहे थे कि कंज्यूमर इंफ्लेक्शन को निर्धारित करने के लिए आइटम में लगभग 55 प्रतिशत फूड एवं जरूरी दवाओं को जीएसटी से बाहर किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीबों की चिंता होती है, यह बात जीएसटी में पहले नहीं थी । यह बात जब हम विरोध कर रहे हैं यह बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सफाई से छिपा दी जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात कही कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर नहीं चलता । लोकतंत्र सहमति के आधार पर चलता है । जीएसटी का दोनों सदनों से पास होना इस बात को साबित करता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़े मजबूत हो रही हैं और सब मिलकर इस देश की चिंता कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, दरों के बारे में जो बात होती है । इसके बारे में वीरप्पा मोइली जी के भाषण के अंश को पढ़ देता हूं । वीरप्पा मोइली ने इस के समर्थन में बोलते हुए कहा, हमारे माइथोलॉजी क्या कहती है, करों के बारे में हमारा इतिहास क्या बोलता है । Regarding taxes, in fact, Sage Ved Vyas, in his famous epic, The Mahabharata said thus: The State tax be such which should not prove to be burden on the subject. The King should behave like those bees which collect honey without causing harm to the trees. पेड़ को भी क्षति पहुंचाए बगैर, फूल को भी क्षति पहुंचाए बगैर, हम उसमें से जरूरत की मधु निकाल लें । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मोइली जी कह रहे हैं । नेता जी, कांग्रेस में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनमें वीरप्पा मोइली जी भी हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- कांग्रेस में ही पढ़े लिखे लोग हैं । (हंसी)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- उनका पूरा खानदान कांग्रेस में है, वे अकेले ही उधर हैं । उनका पूरा खानदान कांग्रेस में है ।

(नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव के सदन के बाहर जाने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, बैठिये । वीरप्पा मोइली जी ने ही कहा है कि Chanakya, in his Arthshastra, said: Taxation should not be a painful process for the people. There should be leniency and caution while deciding the tax structure. Ideally, the Government should collect taxes like a honeybee which sucks just the right amount of honey from the flowers so that both can survive. Taxes should be collected in small and not in large proportions. उन्होंने चाणक्य और महाभारत की बातों को दोहराया कि टैक्स का अनुपात ऐसा रखें कि किसी के ऊपर भार मत पड़े और किसी का मूल स्वरूप प्रभावित न हो, राज्य के हित भी प्रभावित न हो .....जारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\22-08-2016\c14\01.15-01.20

जारी....श्री अजय चन्द्राकर :- किसी का मूल स्वरूप प्रभावित मत हो । राज्य के हित भी प्रभावित मत हो, न जनता के ऊपर इतने बर्डन आये कि जनता कर दे या टैक्स टेरिरिजम, जो आज हिन्दुस्तान में है, ऐसा विदेश के लोग मानते हैं, उससे त्राहि-त्राहि कर बैठें । देश के पास जो 154 देशों में जीएसटी लागू है, उसका उदाहरण है, उसके प्रभाव का अध्ययन है, उसके प्रभाव का अध्ययन होना है कि हिन्दुस्तान को किस टैक्स में कितना घाटा होता है, राज्य को कितना घाटा होता है, राज्य को कितना फायदा होगा, देश को कितना फायदा होगा, इकानॉमी में कितना फर्क पड़ेगा । अधिनियम में जो प्रस्तावित जीएसटी है, परिषद है, उसका निर्णय लेगी और इन्हीं के साथ उन्होंने कहा कि हम इस जीएसटी बिल का समर्थन करते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रेय की बात हो रही थी, वह लोकसभा के रिकार्ड में है कि 2003 को इसी सरकार ने, एनडीए की सरकार जो अभी केन्द्र में बैठी है, डा. केलकर समिति एनडीए ने गठित की, केलकर समिति के टैक्स सुधार को 2003 में एनडीए की सरकार ने प्रकाशित किया और उसको यूपीए की सरकार ने आगे बढ़ाया । हर बार ये बात हुई कि जीएसटी

में सहमति नहीं थी, जीएसटी के प्रारूप पर असहमति थी । जो तीनों, चारों, आठो संशोधन अस्वीकार हुए, उस समय तैयार नहीं थे और आरोप की राजनीति है ।

(श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बार-बार सभापति महोदय बोलने पर)

श्री भूपेश बघेल :- उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी आपको बार-बार सभापति महोदय बोल रहे हैं । आज अजय चन्द्राकर जी का सबसे निरश भाषण है । क्या है कि टैक्स वगैरह न इनको समझ आना है, न हमको समझ आना है । वह तो अमर जी है, बृजमोहन जी है, इनको समझ आता है । जिनका विषय ही नहीं है, वे बोलेंगे तो ऐसे ही होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पढ़े-लिखे अध्यक्ष जी, माननीय भूपेश जी, इस देश के विभिन्न दलों के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, लोकतंत्र की खुबसूरती जो है, उसे आप इस किताब से सुन लीजिए । आनंद राव अटसुल शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कहा कि यह विधेयक अद्वितीय, ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण है ।

समय:- 1.18 बजे

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)

इससे भी आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि यह विधेयक देश की एकता और अखण्डता का प्रतीक है और एक मिसाल है । तेलगूदेशम के रविन्द्र बाबू ने कहा कि Mr. Chairman sir, Thanking you for giving me opportunity to speak on this historical GST bill. तेलांगाना राष्ट्र समिति के रेड्डी जी ने कहा कि HON. Chairperson, on behalf of the TRS party under the leadership of Shri K. Chandrasekhar Rao, I rise to support to historic GST Bill. ये देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं के उद्गार हैं और इसी पर तेलांगाना राष्ट्र समिति के जो रेड्डी जी हैं, उन्होंने जो बात कही, उसको पढ़ता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, वह सबको मिला हुआ है । अब आप पूरा पढ़ेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन जेटली जी, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कई कांटों के बीच में से आपने सचमुच में एक बहुत बढ़िया फूल खिलाया है । मैं आशा करता हूं कि जीएसटी फूल की खुशबू आने वाले सालों में हमारे देश में कायम रहेगी और यह खुशबू हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो पेपर दिया है, वह रिफ्रैंश के लिए है । जो नेल्लोर के आपकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा कि सर, I am happy that we could at last get political consensus on this important Bill. हम आखरी में इस बिल में, महत्वपूर्ण बिल में सहमति की ओर बढ़ रहे हैं । इस के लिए आप बधाई के पात्र हैं । ये आपके दल के बोल हैं । जो आप कह रहे थे कि हम बात पलट गए, हम नहीं पलटे, आप लोग किसमें-किसमें असहमत थे, फिर सहमत हो गए। तारिक अनवर जी आपकी यूपीए सरकार में मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, उसको सुन लीजिए । जरूरी है कि जीएसटी बिल पर चर्चा हो और उस पर कमी को दूर किया जाये, लेकिन उस समय वित्त मंत्री जी ने विपक्ष की बात नहीं मानी और उसको जल्दबाजी में उस बिल को पारित करवाने की कोशिश की । यह आपकी यूपीए सरकार में मंत्री रहे, उनका कथन है। अब आरोप में क्या बात है । हमारी पार्टी ने जीएसटी बिल का हमेशा समर्थन किया है और समर्थन करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 500 अर्थशास्त्रियों ने....

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\c15\01.20-01.25

जारी... श्री अजय चंद्राकर- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 500 अर्थशास्त्रियों ने हिन्दुस्तान की अर्थव्यव्था पर जो टिप्पणी की, हमारे सांसद श्री राजेश पाण्डेय जी (कुशीनगर) ने जो बात कही-''हिन्दुस्तान की ताकत को सही अर्थों में परिलक्षित करती है कि जी0एस0टी0 बिल होने के बाद पूरी दुनिया हिन्दुस्तान के बारे में क्या सोचती है।'' अभी अर्थशास्त्रियों की एक पोलिंग हुई, उसमें उन्होंने यूनेनीमस एक स्वर में कहा कि 'India is the only bright spot in the gloomy global economy.' ''पूरी दुनिया की इकानामी में उदासी है। नीचे जा रही है, उस बीच में आशा का केन्द्र यदि बनी है तो हिन्दुस्तान की इकानामी बनी है। इस टैक्सेशन के बाद यदि अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो हिन्दुस्तान में ही सुधरेगी। सारी इकानामी यदि इस टैक्स सुधार के बाद कहीं आयेगी तो हिन्दुस्तान में आयेगी।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेन्द्र यादव जी बोलते हुए कहते हैं- ''मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से जी0एस0टी0 बिल का समर्थन करता हूं।'' समाजवादी पार्टी हर विषय में भारतीय जनता पार्टी से असहमत, पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के

जो एक-एक लाइन के बोल थे, मैंने उसे इस सदन को समर्पित किया कि पहली बार, बहुत दिनों बाद इस देश में राजनीतिक स्वर देशहित की ओर बढ़ा। अकाली दल के हमारे सदस्य ने कहा कि ''देश में जो कॉपरेटिव फेडरिजम की बात चल रही है, वह अब असली रूप में नजर आ रही है। लीकेज खत्म होगी ही, जो इसकी विशेषताएं हैं। टैक्स प्रणाली में एकरसता आयेगी क्योंकि इकानामी में इंड्रलिस्ट भी रोल प्ले करते हैं, कारपोरेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं और कंज्यूमर भी अपना रोल प्ले करता है। इसलिए सभी को बैलेंस लेकर चलने में इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, उसको सुन लीजिए। आज हम नरसिम्हा राव जी को श्रेय दे देते हैं कि उन्होंने देश में उदारीकरण की शुरुआत की। नरसिम्हा राव जी की सरकार में मनमोहन सिंह जी उस समय वित्तमंत्री थे।

श्री भूपेश बघेल- कल जेटली जी का बयान आया है।

श्री अजय चंद्राकर- उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। आप सुनिये। 10 साल तक आपने उसको रिफार्म करने नहीं दिया। उन्होंने कहा ''नो बडी केन स्टाप एण्ड आइडिया हूज टाइम हैज कम।'' "जिस विचार का समय आ जाता है, उसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता।'' उसको लागू करने की ताकत और इच्छाशक्ति किसी ने दिखाई तो नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाई और आपने समर्थन किया क्योंकि देश जानता था कि आज जी0एस0टी0 पास नहीं होगी, वैश्विक आवश्यकता है, तो पार्टी देश की मुख्यधारा से बाहर हो जायेगी।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ''आन बिहाफ आफ द कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई हेयरली एक्सप्रेस माई सपोर्ट टू बिल थैंकयू।'' आपके खड़गे जी ने जो कहा, जो स्वीकार किया, उसको आप सुन लीजिए। ''2014 के बिल में सुधार के बाद यह थोड़ा बेहतर बन गया है।'' यह खड़गे जी का भाषण है। 2014 में पारित नहीं हुआ। वे खड़गे जी बोल रहे हैं कि उससे यह बिल बेहतर है।

श्री अमरजीत भगत- खड़गे जी का भाषण हमने भी पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि उसमें जो त्रुटि थी, उसमें केन्द्र सरकार ने सुधार कर रही है, इसलिए हम समर्थन देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर- पहले वे दो संशोधन बोले हैं, आठ संसोधन स्वीकृत हुए, उसको अभी आप सब सुने हैं। आपके वक्ता ने कहा। लेकिन 2014 से यह बिल बेहतर बन गया है, यह कांग्रेस बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। इसका समर्थन करते हुए कहूंगा कि गरीबों पर बोझ

मत बनिये। उसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 55 चीजें और दवाइयां जी0एस0टी0 से बाहर है। गरीबों पर बोझ मत बनिये। जी0एस0टी0 के नाम पर राजनीति मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा श्रेय देश को दिया। हमने कहा, यह बात हमारी आइडियोलॉजी में है कि देश में सारी चीजें एक होनी चाहिए । इसलिए इस विधानसभा में भी छति के बाद भी हम इस बिल के समर्थन के लिए खड़े हैं। यह बिल हम लाये थे। हम इसके जन्मदाता हैं। इसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आशंकाएं व्यक्त हुईं।

श्री मनोज सिंह मण्डावी- माननीय मंत्री जी, नीचे और है, उसको भी और पढ़िये न ? (हँसी)

श्री अजय चंद्राकर- आपको विधान सभा में रिफरेंस दिये क्यों जाते हैं ?

श्री मनोज सिंह मण्डावी- जो नीचे है, उसको और पढ़ लो, यह मैं बोल रहा हूं। (हँसी)

श्री भूपेश बघेल- अमेरिका के राष्ट्रपति का बस बच गया है ?

श्री अजय चंद्राकर- मैं अब बंद कर रहा हूं।

श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\c16\01.25-01.30

श्री अमरजीत भगत :- आपके वित्त मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, मोदी जी, जेटली जी सब इसका विरोध पहले क्यों कर रहे थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के समाचारपत्रों ने अच्छाई, बुराई, आवश्यकताएं, आशंका, शंका सब पर लिखा । पर एक जो कालमिष्ट है उपेन्द्र प्रसाद जी ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी। जो देर भी हुई तो देश हित में हुई। बहुत सारी कुशंकाएं थी वह छट गई और बहुत सारे सुधार इस बिल में हुए। शायद नियति को देरी मंजूर थी 12 साल का समय इसलिए लगा कि ये बिल सही अर्थो में आज आया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो दो महत्वपूर्ण बात थी दर, जिसके बारे में मैंने बात कही। दर के बारे में हमारे अमर जी ने भी बहुत सारी बात कही। दर में परिषद तय करेंगी, सारे राज्यों के वित्त मंत्री उसमें सदस्य होंगे, आधे से अधिक का कोरम होगा, दो तिहाई के बहुमत के बगैर कोई चीजें पारित नहीं होंगी। राज्य के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे । इसमें कहॉ पर संदेह बचता है कि राज्य अपनी बातों को रखने नहीं पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है राज्य का घाटा। जो इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 साल हम इस बात की चिंता करेंगे कि राज्य को सक्षम बनाने के लिए जो बात कभी कही नहीं गई और कही तो उसको मानी नहीं गयी। कहने के बाद पीछे हट गये और दोष तत्कालीन विपक्ष की ओर ला दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ता व्यक्त की गई, गरीबी की। कि गरीबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? छत्तीसगढ़ के उत्पादन क्षेत्रों में जो स्टील, सीमेंट है, उसमें तो प्रभाव पड़ेगा। हम फायदे में रहेंगे, इस बात को वह सब जानते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ एक तरफ गरीब प्रदेश है क्या प्रभाव पड़ेगा तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 55 महत्वपूर्ण चीजें जीएसटी से बाहर है, जो गरीबों के लिए दवाई और अन्य आम जरूरत की चीजें होती हैं।

श्री अमरजीत भगत :- प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख रूपये खाते में आएंगे, ये भी कहा था लेकिन आज तक आया नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :-फ्रुड आईल की सारी चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है चाहे वह मिट्टी तेल हो, डिजल हो, चाहे कुछ भी हो। जो अल्कोहल है जो देश में या समाज में विकृति पैदा कर सकते हैं किसी क्षेत्रों में जरूरत की चीजें भी हैं उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें बात हुई। पर मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये देश के लिए बहुत जरूरी था । ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय कभी नहीं रहा। राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहा, प्रशासनिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहा। इस बिल का पारित होना देश के लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। हर पार्टी के, हर नेता ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि ये देश के लिए जरूरी है और इसमें जो चिन्ताएं हैं, उन चिन्ताओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर का, संघीय व्यवस्था का हम सदैव सम्मान करेंगे इसलिए राज्यों को चिन्ता नहीं करनी चाहिए और इसीलिए जो मूल रूप से परिषद नहीं था, वह परिषद उसके लिए आया, जिस दिन टैक्स सुधार की कलिकर समिति हुई, उस दिन परिषद नाम की चीज नहीं थी पर वह परिषद लाया गया कि राज्य अपनी बात रख सकें और शुरूआती दौर के कुछ आगे पीछे होने के बाद इस टैक्स प्रणाली के बाद भारत दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभरेगा। हम जिस भारत की कल्पना करते थे कि सोने की चिड़िया बनेगी, विश्व गुरू बनेगा, उस ओर आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम जीएसटी बिल है आप

सबसे अनुरोध है, मैंने अपने इधर के मित्रों से अनुरोध किया है कि अनुसमर्थन करते हुए, इसको सर्वसम्मति से पारित करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में व पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर भोजन की व्यवस्था है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी तीन अक्षर।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :-माननीय भूपेश भईया, अजय जी का अनुशरण मत करना।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, जिससे आपको तकलीफ हो।

श्री कवासी लखमा :- ये गड़बड़ करने का काम हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी का है। कभी इधर से नहीं होता।

श्री भूपेश बघेल :- मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये टैक्स, टैक्सेसन वगैहर हम लोगों को समझ-वमझ आना नहीं है। हम खेती किसानी वाले लोग हैं और वही हाल अजय जी का है लेकिन अब विद्वता दिखाना है तो क्या करें, इतना सब रिफरेंस दिखाये, अंग्रेजी में बोले, हिन्दी में बोले लेकिन प्रभाव नहीं पड़ पाया। आज आपका भाषण बहुत नीरस था। ये अंग्रेजी भी बोले। जीएसटी तीन अक्षर है और ये ऐसे इसका प्रभाव है पूरे राष्ट्र के हर व्यक्ति को पड़ना है, सरकारों पर पड़ना है, सभी वर्गों पर पड़ना है और हर एक नागरिक को इसमें पड़ना है। केन्द्र सरकार के हाथ में पूरा रेवेन्यू आ जाएगा। ...

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\c17\01.30-01.35

पूर्व जारी.. श्री भूपेश बघेल :- और हर एक नागरिक को इसमें पड़ना है। केन्द्र सरकार के हाथ में पूरा रेवेन्यू आ जायेगा। राज्यों के बारे में सभी साथियों ने शंका, कुशंका व्यक्त की। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि जो उत्पादक प्रदेश है उसको घाटा होगा या जो उपभोग करने वाल प्रदेश है उसको घाटा होगा। इस बिल को बनाने वाले को भी इसकी समझ नहीं थी। अनेक विद्वानों ने अलग-अलग समय में अलग-अलग बातें कही। अब ये कह रहे हैं कि जो उत्पादक राज्य है उनको नुकसान होगा, मतलब छत्तीसगढ़ को नुकसान होने वाला है। हम स्टील, सीमेन्ट, इलेक्ट्रीसिटी सारी चीजें उत्पादन करते हैं, मतलब हमको नुकसान

होगा। अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि इस नुकसान की केन्द्र सरकार 5 साल तक भरपाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, 5 साल बाद क्या होगा? क्या हम उत्पादक से उपभोक्ता वाले स्टेट में पहुंच जायेंगे। 13 साल में तो डॉ.रमन सिंह जी ने तो नहीं पहुंचा पाये। यहां केवल मजदूरों की संख्या बढ़ी है, बड़े नौकरीपेशा वालों की संख्या घटी है। इस प्रदेश में 1 लाख महीना पाने वाले कितने अधिकरी-कर्मचारी हैं? यदि 1 लाख महीना पाने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी होता, उसकी संख्या अधिक होती तो जी.एस.टी. का लाभ हमको भी होता, लेकिन इन 13 वर्षों में आपने बढ़ाया नहीं। अध्यक्ष महोदय, तीसरा स्टेज है ये केन्द्र और राज्य की बात हो गई, फिर आ जायेगा जो इंडस्ट्रीलिस्ट हैं, उनको क्या फायदा नुकसान होगा? उसके बाद जो बड़े व्यापारी हैं, फिर मझोले जो सेमी डीलर हैं, पांचवा जो छोटे व्यापारी हैं और छठवां जो पूरे देश के उपभोक्ता हैं, हर नागरिक। राज्यों के हितों की चुटाईया पूरी केन्द्र सरकार के हाथ में चली गई है। जितने टैक्सेसन है, वह पहले पूरा सेन्ट्रल में जायेगा। पहले राज्य में आता था, हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम 7 हजार करोड़ रुपये स्टेट में आ जाता था, उसके लिए केन्द्र सरकार के पास नहीं जाना पड़ता था और 7 हजार करोड़ रुपया हम खर्च कर लेते थे। अब वह सारे टैक्स वहां जायेंगे और उनके रहमोकरम पर वह इस महीने देंगे या अगले महीने देंगे या उसके बाद देंगे, चार महीने में देंगे, छ: महीने में देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- दोनों अपना-अपना टैक्स लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- जी.एस.टी. का मतलब क्या हुआ? आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यों को घाटा होने वाला है, उसकी भरपाई कैसे होगी? केवल आपने राज्य सरकारों की बात किये, घाटा किस आधार पर होगा? आखिर उसका प्रभाव उद्योगों पर पड़ेगा, बडे व्यापारियों पर पड़ेगा, मझोले व्यापारियों पर पड़ेगा तभी तो राज्य सरकार को घाटा होगा। तो फिर उन उद्योगों को जो घाटा होने वाला है उसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? आपने राज्य सरकार की भरपाई तो कर दी, लेकिन इंडस्ट्री में जो नुकसान होगा, मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी जी.एस.टी. ही बड़ी इंडस्ट्री के लिए है। जो छोटे इंडस्ट्रीलिस्ट हैं, उनका क्या होगा? उसमें जो घाटा होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? वहां जो छंटनी होगी, नौकरियॉ जायेंगी, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये केवल आधा-अधूरा है। व्यापारियों की बात, अमर जी चले गये और अजय जी भी चले गये। पंडित जी आप

तो दक्षिणा वाले हैं, टैक्स वाला कहां आपको समझ आना है। न मुझे समझ आता है और न आपको समझ आना है। हम दक्षिणा देने वाले हैं और आप दक्षिणा लेने वाले हैं।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- लेकिन थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन कृषि मंत्री जी को टैक्सेसन के बारे में पूरी जानकारी है।

श्री कवासी लखमा :- जी.एस.टी. पास होने के बाद मलेशिया की सरकार चली गई, ऐसे ही पास होने के बाद ये सब जाने वाले हैं।

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\c18\01.35-01.40

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा सूचना मिली तब हम लोगों ने सोचा कि जी0एस0टी0 में बोलना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। यह किन-किन पर प्रभाव पड़ रहा है ? हमने उद्योगपतियों से बात की, चेम्बर आफ कामर्स से बात की, मैं खुद ही वहां गया था, व्यापारियों से बात की, छोटे व्यापारियों से बात की, किसानों से बात की। तो जिनको टैक्स पटाना है, उसको भी समझ में नहीं आया है, उसका दिमाग अभी क्लीयर नहीं है। व्यापारी भी इस बात को समझ नहीं पाया है। वे ये समझते हैं, जैसे जुमला चलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जुमला चलता है जैसे- 15 लाख हर खाते में, अच्छे दिन आयेंगे, एक राष्ट्र एक कर। अब एक कर बोले तो समझिये कि एक बार कर लगेगा, उसके बाद झंझट खत्म। लेकिन जिस उद्योग से एक हजार रूपये का माल निकला, मान लो आप उस पर 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत टैक्स फिक्स किया तो वह 1200 रूपये का हुआ। लेकिन जिस राज्य में जायेगा, वहां फिर टैक्स लगेगा, जो अंतर की राशि है, उस पर फिर टैक्स लगेगा। उसके बाद बड़े व्यापारी, मझोले व्यापारी और फिर छोटे व्यापारी तक पहुंचते-पहुंचते वह 40 प्रतिशत तक जायेगा। कुछ लोगों का मुंह बिगड़ रहा है। मैं एक व्यापारी से समझ रहा था, मान लो किसी उद्योग से सामान निकला, जो एक हजार रूपये का है, आपने 20 प्रतिशत टैक्स लगाया, तो वह 1200 रूपये का हो गया। वह सामान किसी बड़े स्टाकिस्ट के पास गया, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, उसकी इनकम, आप सुनते जाईये, मुन्डी हिलाने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों का मुंह बिगड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने टैक्सेशन प्रक्रिया को कवासी जी से तो नहीं समझा है ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं चेम्बर आफ कामर्स से समझा हूँ। मेरे पास उनके पत्र भी हैं। मैं उनसे समझने गया था, उनके पास ढाई घण्टे बैठा। दो सौ रूपया बढ़ा हुआ और उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, जो पैसा इनवेस्ट किया, उसका ब्याज और खुद का इनकम जुड़ने के बाद फिर जो टैक्स है, वह उनको लगेगा। फिर उसके बाद मंझले व्यापारी, उसके बाद सामान सेमी डीलर के पास गया, फिर छोटे व्यापारी के पास गया, यह जाते-जाते टैक्सेशन 40 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

श्री राजेश मूणत :- भूपेश भाई, कोई भी डीलर हो, कोई उत्पादक हो, उत्पादक के यहां से सामान निकलने के बाद वन टाइम टैक्स केन्द्र सरकार लगायेगी और राज्य सरकार अपना टैक्स लगायेगी। कोई भी धंधा करने वाले से पूछो, कोई भी डीलर, सब डीलर, किसी के यहां जाईये, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लगेगा, अपने प्राफिट का पैसा जोड़ना सामान्य बिजनेस की पालिसी में है। कौन ऐसा आदमी है, दुकानदार है जो बोल देगा कि मैं गुढ़ियारी से तेल लेकर आऊंगा और पांच रूपया रिक्शे का दूंगा और आपको फ्री में दे दूंगा। आज तक का यह कौन सा प्रावधान है ? शक्कर के बोरे पर दो रूपया लगता है, पांच रूपया लगता है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लगना फिक्स है।

श्री भूपेश बघेल :- राजेश जी ने जो बात कही, वह बात ठीक है, लेकिन उससे उत्पादक राज्यों को लाभ होना चाहिए। यदि पहले पाइण्ट पर टैक्स लग रहा है तो फिर उत्पादक राज्यों को लाभ होना चाहिए। तो फिर सह ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है कि उत्पादक राज्य घाटे में रहेगा और हम उस घाटे को पूरा करेंगे। ये किस आधार पर कह रहे हैं ? हर पाईण्ट पर टैक्स लग रहा है, जो राशि बढ़ती जायेगी, उस पर टैक्स लग रहा है। एक हजार पर पहले टैक्स लग गया है, लेकिन जो दो सौ रूपया टैक्स है, ट्रांसपोर्टिंग है, इनकम और ब्याज दर है, उसका टैक्स लगेगा ही और फिर तीसरे हाथ में जायेगा।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- अभी आपका जो वेट है, उसमें तो टैक्स पर टैक्स लगता है साहब। अभी अपन जो वेट लेते हैं, जो 18 प्रतिशत टैक्स दिए रहते हैं, वह जोड़कर दूसरे जगह जाता है, उस टैक्स पर भी टैक्स लगता है। बल्कि उससे यह छूट हो रही है। अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री भूपेश बघेल :- जी नहीं। जो 20 प्रतिशत लगा है, वह वापिस हो जायेगा लेकिन आखिर उपभोक्ता को वही लगना है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 3 प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, स्टेट, फिर सेन्ट्रल का अलग, फिर और। इसलिए रेट बढ़ेगा और इसलिए अध्यक्ष जी का कहना अपनी जगह सही है।

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\22-08-2016\c19\12.40-12.45

श्री भूपेश बघेल :- यही शंका व्यापारियों में है । और होगा क्या, जो सीधा उद्योग से सामान खरीदकर अगर रायपुर में बेच रहा है, पंजाब से जो खरीद कर लाता है और सीधा जो अपने दुकान में बेचता है, बीच में जो दो कड़ी और है, उसका जो फायदा है, वह तो ले लेगा, लेकिन सस्ते में बेचेगा तो छोटे जो व्यापारी हैं, वह मर जायेगा । अध्यक्ष महोदय, यह होने वाला है । जो आपने जी.एस.टी. में प्रावधान किया है, अमर जी नहीं है । इस प्रदेश में इंकम टैक्स देते कितने हैं, 80 हजार, 85 हजार, 90 हजार लोग । उसमें से 70 परशेंट नहीं है तो 5-10 हजार लोग देते हैं । फिर बचत का 25 परशेंट 10 हजार लोग दे देते हैं । जो आपका 70-75 हजार जो इंकम टैक्स पेयी है, मुश्किल से 5-10 परशेंट का टैक्स देता है । आप क्यों माफ नहीं कर देते, क्यों छोड़ नहीं देते । उन छोटे व्यापारियों को छोड़ते क्यों नहीं है। आप उन व्यापारियों के साथ जुर्म करने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, आपने नियम क्या बनाया है, तीन महीने में त्रैमासिक आप रिटर्न भरते थे, आप महीने में तीन बार करने जा रहे हैं । जो तीन महीने में एक बार भरते थे, पांच-छै: पेपर था, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ.....

श्री कवासी लखमा :- बोलना है तो मुंह से बोलिये, मुंडी हिलाकर मत बोलिये ।

श्री भूपेश बघेल :- 10 तोले का जबान है, उसको हिलाईये । आप पांच किलो की मुण्डी क्यों हिला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी सत्यनारायण जी नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे व्यापारियों को तकलीफ होने वाली है, वह तकलीफ यह है कि आपने सबको ऑनलाईन कर दिया है। ऑनलाईन होने के कारण से बस्तर के, सरगुजा के, राजनांदगांव के, गरियाबंद के, सराईपाली के और गांव के अंदर के जो व्यापारी हैं, वह कैसे करेंगे । राजस्व मंत्री जी, आपके पाटन में सर्वर डाऊन हो जाता है, एक दिन में पांच से ज्यादा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है । ब्लॉक हेड क्वार्टर, फिर गांव के अंदर में आप कहां से ऑनलाईन पायेंगे । आप कहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी पायेंगे, जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री थे.....

श्री अमर अग्रवाल :- हैं.....

श्री भूपेश बघेल :- मैं क्षमा चाहूँगा, मुख्यमंत्री थे, जब वह मुख्यमंत्री थे, दो बातों का विरोध उन्होंने किया था । भारतीय जनता पार्टी शासित वित्त मंत्रियों की जो बैठक है, उसमें अमर अग्रवाल जी गये थे, ये तो सहमत थे, लेकिन जेटली जी और नरेन्द्र मोदी जी दोनों ने विरोध किया । जब बाहर निकले तो उस विरोध में अमर अग्रवाल जी सहमत हो गये । अध्यक्ष महोदय, विरोध किस बात का था, नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि इससे राज्यों को नुकसान होगा । मुख्यमंत्री के रूप में उन्होने कहा । दूसरी बात उन्होंने कही कि कनेक्टिविटी । इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है । आज कौन सा सुधर गया है । 2008 और 2016 में कितना अंतर आ गया है । क्या आपके इंटरनेट गांव-गांव पहुंच गये हैं । अध्यक्ष महोदय, रायपुर के गोल बाजार में चल दीजिए, 50 प्रतिशत से अधिक दुकानों में आपके कम्प्यूटर नहीं है । जो छोटा व्यापारी है, वही आज शटर खोलता है । झाड़ु लगाता है, वही आदमी गल्ले में बैठता है, वही आदमी सेल्समेन का काम करता है, वही आदमी जाकर सामान भी खरीदता है । वन मैन । दिल्ली भी जायेगा सामान खरीदने, ट्रेन में जाता है, रेल्वे स्टेशन में नहायेगा, जिस दुकान में सामान खरीदना है, वहां जाकर चाय पीयेगा, दोपहर हो जायेगा तो किसी के यहां खाना खायेगा । फिर भागते-दौड़ते सामान पकड़कर रेल्वे स्टेशन में आकर, सामान को गाड़ी में डालकर आता है, ताकि होटल का खर्चा बच जाये । तब जाकर वह व्यापारी अपना परिवार को पाल पाता है । तीन महीने में एक बार करते थे, अब एक महीने में तीन बार हो गया है । अलग-अलग तीन है ना भई । मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो व्यापारी बतायें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ । मुझे इंकम टैक्स, रिटर्न वगैरह समझ नहीं आता है । महीने में एक बार ठी है, तीन प्रकार के टैक्सेसन है, तीन बार रहेगा । महीने में तीन बार हो गया ।

श्री सुधीर

शर्मा\22-08-2016\c20\01.45-01.50

..जारी श्री भूपेश बघेल :- मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो व्यापारी बतायें हैं, वही आपको बता रहा हूं । मुझे कभी इंकम टेक्स वगैरह, रिटर्न समझ नहीं आता। महीने में एक बार भी, ठीक है एक बार का मान लिया न, लेकिन तीन प्रकार के टेक्सेशन हैं, वह तीन बार जायेगा । इस प्रकार महीने में तीन बार हो गया । आखिर स्टेट, सेंट्रल और एक्साईज का टेक्स है, सारे टेक्सेस हैं । वो कैसे नहीं जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- एक बार ही जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- एक बार जायेगा, ठीक है, साल में पहले वह 4 बार जाता था, अब वह 12 बार जायेगा ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय):- आपको जिसने बताया है, उसने जानबूझकर बहुत सारी चीजों को घुमा दिया है । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- चलो ठीक है। कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया है । चूंकि आपको भरना नहीं है, इस कारण आपको कोई तकलीफ नहीं है । आपको कौन सा रिटर्न भरना है ? 04 फार्म थे, अब 43 फार्म हो गये । आपने इस टेक्स के माध्यम से जो सारे रिटर्न भरने वाले हैं, सबको आपने (XX) बना दिया ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- श्री भूपेश जी, आप नेता प्रतिपक्ष जी से पूछ लो कि कितने फार्म थे और कितने घट गये हैं, वे अभी बता देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अब आपको याद आया, अभी तक उधर ध्यान नहीं गया था । उनको और सत्तू भैया को बस इन्हीं लोगों को समझ में आता है, हम लोगों को समझ आना नहीं है । श्री मोतीलाल जी और श्री जय सिंह अग्रवाल जी हैं, इन्हें समझ में आना है । हमें समझ में नहीं आना है ।

श्री कवासी लखमा :- मैंने श्री जय सिंह अग्रवाल जी को आप सबसे पहले बोलना, कहा तो वे बोले कि मैं नहीं बोलूंगा । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय भूपेश जी, आपने कहा कि मैं ढाई घंटा चेम्बर वालों के साथ बैठा । चेम्बर के नेता तो विधान सभा में बैठते हैं। यदि आप उनके साथ बैठते, तो आपको सही जानकारी मिल जाती । आप किस चेम्बर वाले के साथ बैठ गए ?

श्री भूपेश बघेल :- अब उस बेचारे को अपना नाम भी बराबर लेना नहीं आता, तो मैं क्या बताऊं और अभी वे है भी नहीं । (श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य के संबंध में) वे श्रीचंद तो बोल नहीं पाते । (हंसी) मैं श्री अमर परवानी जी के साथ बैठा था और सारे लोग, बड़े भैया भी इनके यहां बैठे थे । जो पूर्व चेम्बर अध्यक्ष हैं, वे भी बैठे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सबको एक (XX) की निगाह से देखा है।

अध्यक्ष महोदय :- इस (XX) शब्द को विलोपित कर देना ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विलोपित करा दीजिए, लेकिन हकीकत यही है। यदि कहीं पेन नंबर डालने में त्रुटि हो गई, नाम लिखने में ऊपर-नीचे हो गया तो आपको संशोधन करने का भी वक्त नहीं है । यदि आपके आंकड़े में कहीं गलत हो गया, तो

आपने उसे संशोधित करने का अधिकार नहीं दिया है और आपने अधिकारियों को सात साल के लिए जेल भेजने का अधिकार दे दिया है, तो क्या जो व्यापार कर रहा है, वह अपराध कर रहा है ? मान लीजिए, उसने गल्ती की है, चाहे अनजाने में किया या जानबूझकर किया, उसको आर्थिक दण्ड देते ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- मतलब जानबूझकर कोई अपराध करे, उसे भी सजा मत दो ? कोई जानबूझकर चोरी करे, उसको भी सजा नहीं दी जाएगी ? आप उन चोरी करने वाले व्यापारियों के पक्ष में हो, जो टेक्स चुराते हैं, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। आप बोल रहे हो कि जानबूझकर, यदि व्यापारी जानबूझकर कोई टेक्स की चोरी करता है, तो वह सजा का पात्र है और होना चाहिए और ये सरकार देकर रहेगी।

श्री धनेन्द्र साहू :- सजा का पात्र कोई जानकर करे, अनजाने में करे तो चोरी...।

श्री भूपेश बघेल :- ये है । पहले हम कहते थे कि ये पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, अब ये सरकार ही व्यापारी हो गई है ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- ये आज तक किसान नेता थे और आज टेक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के पक्ष में खड़े हो गये हैं । कल किसानों की बात करते थे। अगर कोई भी सरकार, इनकी भी सरकार रही, तो क्या टेक्स चोरों के लिए माफ किया? कहीं पर भी, जो टेक्स चोरी करेगा, उसके लिए कानून बना हुआ है। अत: आप जो बोल रहे हो कि जानबूझकर, जो चोरी करेगा, उसे बिल्कुल सजा होगी ।

श्री भूपेश बघेल :- बढ़िया है । मेरी बात तो पूरी नहीं हुई और आप कब से खड़े हो गये हैं ? जो टंकण त्रुटि है, वह या तो जानबूझकर होगी या अनजाने में होगी।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- टंकण त्रुटि सुधार योग्य है, जानबूझकर के नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं है ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- सुधार योग्य है ।

श्री भूपेश बघेल :- जब संशोधन करने की जगह है ही नहीं ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- सुधार योग्य है । टंकण त्रुटि हमेशा सुधार योग्य थी और है ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने इसमें संशोधन करने की जगह ही नहीं दी है ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- टंकण त्रुटि सुधार योग्य है ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अ्रगवाल) :- माननीय भूपेश जी, ये कानून बना है, राज्यों की मंत्रियों की समिति है, वह अभी इसके नियम बनाएगी, उन नियमों में सभी प्रकार की व्यवस्थायें होंगी । अभी तो ये प्रस्तावित है और इसके बाद इसके नियम बनेंगे, नियम बनने के बाद राज्यों के मंत्रियों की जो समिति है, वह सुझाव देगी, उसके आधार पर यह पूरा लागू होगा, इसलिए अभी इससे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय बृजमोहन जी ने बहुत सही बात बोली है ।....जारी

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\d10\01.50-01.55

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी बहुत सही बात बोले । मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी इस बात को बोल रहा हूं ताकि वह बात आ जाये ताकि जब नियम बनायें तो ये सारे बिंदु आयें और उसमें विचार हो सके । आप इन अधिकारियों के हाथ में सबकी चुट्टईया मत थमा दें । वैसे ही प्रदेश में अधिकारी राज चल रहा है। कोण्डागांव का कलेक्टर राष्ट्रगान का अपमान करता है और यदि वॉयरल कर दें तो उसका घर तोड़ दिया जाता है । यह अधिकारी राज है।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- इस प्रदेश में क्या-क्या हो रहा है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कलेक्टर के खिलाफ बोल दे, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का अपमान करे और यदि कोई उंगली उठा दे तो उसका घर तोड़ दिया जाता है तो आप तो इतना अधिकार दे दिये हैं । 7-7 साल सजा करने का प्रावधान इसके पहले प्रावधान नहीं था ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय राजस्व मंत्री जी जो बोल रहे हैं वह सही बात है कि नहीं कि किसी का घर तोड़ दिया गया ?

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- सत्ता सुख का प्रभाव है और इसीलिये सूट-बूट की सरकार है।

श्री लखमा कवासी :- पहले तो सूट-बूट को 10 करोड़ में बेचते हैं । आखिर यह भी तो सरकार है गरीब किसानों की सरकार ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ताकि इस देश के व्यापारियों का हित भी संवर्धन हो । छोटे व्यापारियों को इस जी.एस.टी. की सीमा से बाहर ही रखना चाहिए । दूसरी बात आपने चूंकि मैंने पहले ही कहा कि आपने जो ड्रॉफ्ट बनाये हैं, आप जो लागू करेंगे उसमें भी विरोधाभाष है । प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं । श्री अरविंद सुब्रमणियम जी वह सरकार को सलाह दे रहे हैं कि 18 परसेंट से यदि जी.एस.टी. ऊपर होगा तो महंगाई बढ़ेगी और आपके जो वित्त सचिव हैं वे कहते हैं कि 18 परसेंट हो गया उससे अधिक होगा यह कहना मुश्किल है तो जो सलाह देने वाले हैं वे कुछ और कह रहे हैं और जिनको लागू करना है वे कुछ और कह रहे हैं और यही बात माननीय राहूल जी ने कही कि केप लगाना चाहिए 18 परसेंट से ऊपर न हो इसको आप संविधान में एड करिये और यदि संशोधन करना हो तो वे लोकसभा आयें इसीलिये वे केप लगाने की बात कह रहे थे और आपने तो किसी को नहीं छोड़ा । राजस्व मंत्री जी कृषि मंत्री हैं । आपने इसमें कृषि को नहीं छोड़ा, सब शामिल कर दिया, फिशरीज को भी कर दिया, हॉर्टिकल्चर को भी कर दिया । कृषि को और पी.डी.एस. को भी जी.एस.टी. में आप ले आये हैं, महंगाई का क्या होगा ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- कहां आया है, इसमें लिखा है कि ऐसी वस्तुएं जिसके बारे में निर्णय करना टैक्स से छूट दी जायेगी । उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो राज्यों की समिति बनेगी, समिति उसमें निर्णय करेगी कि देश में किन-किन चीजों पर छूट देना है । आवश्यक दवाईयों के ऊपर में, खाद्य पदार्थों के ऊपर में, कृषि के ऊपर में इसके बारे में निर्णय होगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो ड्रॉफ्टिंग पेश किये हैं उसमें तो है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है न ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- श्री भूपेश जी यही कह रहे हैं कि जब आपने 55 वस्तुओं पर छूट दी है और इसमें छूट नहीं दी ।

श्री अमरजीत भगत :- उसमें है न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है, आप बताईये न कहां है ।

श्री अमरजीत भगत :- हम उसमें पढ़े हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- श्री भूपेश जी, वही चीज कह रहे हैं कि या तो आप किसी वस्तु पर छूट नहीं देते तो ठीक था । जब आपने 55 वस्तुएं चिन्हांकित कर दीं कि इन पर छूट है और ये इसमें सम्मिलित नहीं है तो स्वाभाविक है कि शंका होगी, वे इसी बात को तो कह रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप शंका के बादल क्यों छाने दे रहे हैं, पहले बोल देते कृषि, कृषि उपकरण फिर फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, आपकी सब्जी है, फल है हम इन सब चीजों को बाहर रख रहे हैं, कृषि औजार को आप बाहर कर रहे हैं । खाद्य को आप बाहर कर रहे हैं ये क्यों नहीं कहते हैं और दूसरी बात आप वेट चूंकि श्री अमर अग्रवाल जी ने और श्री अजय चंद्राकर जी ने कहा कि शराब को बाहर रखा है, पेट्रोलियम को बाहर रखा है । पेट्रोलियम को भी ले आते तो यहां छत्तीसगढ़ का भला होता । 24-25 परसेंट वे ले रहे हैं और 2 परसेंट उसमें [xx] ले रहे हैं तो हो जायेगा 26 परसेंट ।

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\d11\01.55-01.60

श्री राजेश मूणत :- ये कौन सा [XX] है ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं बता रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- किसी व्यक्ति का टैक्स नहीं है । अध्यक्ष जी, यह नहीं । आप बताइए टैक्स लगे तो कहां कहां लगे ।

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिए तो, सुनिए तो ।

अध्यक्ष महोदय :- यह विलोपित ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 24 परसेंट वेट ले रहे हैं और 2 रूपए पेट्रोल और 1 रूपए डीजल में ले रहे हैं वह क्या है ? छत्तीसगढ़ में वेट के अतिरिक्त 2 रूपए पेट्रोल में और 1 रूपए डीजल में अतिरिक्त ले रहे हैं वह क्या है ? वह [XX] नहीं तो और क्या है ?

श्री राजेश मूणत :- वह सेस टैक्स है । यदि नहीं पता तो पूछ लेते । हम हैं न । आपका यह कौन सा टैक्स आ गया ?

श्री भूपेश बघेल :- मैंने तो पूरा नाम बता दिया ।

श्री राजेश मूणत :- आप बता दो न कि आप कौन सा टैक्स वसूल करते थे?

श्री श्रीचंद सुंदरानी :- जब यू पी ए की सरकार थी तो केंद्र में 2 रूपए डीजल और 2 रूपए पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था, तब की बात पूछिए कि वह कौन सा टैक्स था, [XX] था ?

अध्यक्ष महोदय :- व्यक्तिगत नाम जहां पर भी आए हैं उसको विलोपित कर दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे राज्यों ने और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी वस्तुयें हैं जिसमें आपने टैक्स कम करके रखा है । आपने सायकल, मोबाईल में टैक्स कम करके रखे हैं । अब वह सारे टैक्स बढ़ जायेंगे । मैं बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं लूंगा । जब आप जीएसटी लागू करेंगे तो सारी चीजों के भाव बढ़ेंगे । दूसरी बात, जो व्यापारियों की तरफ से जो बातें आईं कि जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होता है तो उस स्टॉक का क्या होगा, जिस पर विभिन्न टैक्स का भुगतान किया जा चुका है । जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी और कई प्रकार के जो टैक्स हैं उनका क्या होगा, जो पहले से पटा चुके हैं जो समान है उसका टैक्स पटा चुके हैं उसका क्या होगा ? वर्तमान में जी एस टी में कम्पोजिशन टैक्स की सीमा 50 लाख रखी गई है लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सीमा 60 लाख तक है । ऐसे में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को नुकसान होगा । इसे एक करोड़ तक किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत चिंताजनक है । यदि अभी बिजली में स्टेट ड्यूटी 8 से 15 परसेंट है । यदि आपने अलग से जी एस टी भी लागू कर दिया तो बिजली की दरें कितनी होंगी इसकी कल्पना की जा सकती है । ऐसे में राज्य सरकारों को कितना नुकसान होगा और उसकी भरपाई केवल पांच साल तक होगी उसके बाद क्या होगा ? यह बहुत ही चिंताजनक है । मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग भी जी एस टी लागू करना चाहते थे लेकिन जिस समय लागू करने की बात हुई उस समय जी डी पी की विकास दर 9 प्रतिशत थी । 2014 में आपने जी डी पी के निर्धारण की प्रक्रिया में बदल दिया । अभी आप बता रहे हैं कि जी डी पी 7.6 परसेंट है । यदि पुराने हिसाब से करें तो ये परसेंटेज और कम होगा । जिस समय आपकी विकास दर 9 परसेंट थी, जब अधिकतम था उस समय लागू करते तो उसके इंप्लीमेंट करने के बाद जो विसंगतियां आती उसे संभालने का आपके पास अवसर होता । लेकिन सही चीज को आप गलत समय में लागू कर रहे हैं । 2008 में अमेरिका में जो मंदी आई उसका प्रभाव अब हिंदुस्तान में दिखना शुरू हुआ है । इस मंदी के दौर में जी एस टी

लागू करने से यदि अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा, उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो संभाले संभलेगा नहीं । जिस प्रकार से मलेशिया में हुआ था, देवजी भाई पटेल जी ने बहुत सारे राष्ट्रों में जी एस टी लागू करने के बात कहीं । जिस दिन जी एस टी लागू हुआ था दूसरे दिन पूरे देश में कर्फ्यू लगा था । यह स्थिति न बने । आप इस बात का ध्यान रखें। हमने जिन बातों का उल्लेख किया, अभी बहुत सारी चीजें न व्यापारियों को समझ में आ रही हैं न उद्योगपतियों को समझ में आ रही हैं, न ही अर्थशास्त्रियों को समझ में आ रही हैं और न इंकम टैक्स के वकीलों को समझ में आ रही हैं । बहुत सारी चीजें सबको समझ में नहीं आ रही हैं । ऐसे में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है । जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है ऐसे में आप इसको लाने जा रहे हैं । मैं चाहूंगा इस प्रदेश में जितना नुकसान होगा, अभी शीतकालीन सत्र, बजट सत्र आने वाला है, आपसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि .....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\d12\.-.5

जारी.. श्री भूपेश बघेल :- अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार को कितना नुकसान होगा और इस जीएसटी के लागू होने से उद्योग और व्यापार में कितना प्रभाव पड़ेगा और उन उद्योगों को यदि नुकसान होता है तो उनके कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर श्वेत पत्र जरूर जारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री देवजी भाई पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद यह दिल्ली में पास हुआ, उनको समझ में नहीं आया। भूपेश भैय्या को वहां भेजना चाहिए था कि आप ये गलत कर रहे हो।

श्री भूपेश बघेल :- जैसा अजय जी ने उल्लेख किया वैसा मैं भी उल्लेख कर रहा हूं।

श्री देवजी भाई पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अलग-अलग टैक्सेस की बात कर रहे थे तो इसमें रिफंड का होता है। जो असेसमेंट होता है उसमें रिफंड होता है। जिन व्यापारियों ने अधिक पटाया उनको रिफंड हो जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- रिफंड हो जायेगा लेकिन आखिर में उपभोक्ता को कितना पड़ेगा? आप जो कह रहे हैं श्री सुब्रमणियम जो आपके प्रमुख वित्तीय सलाहकार हैं उन्होंने जो कहा है कि 18 प्रतिशत से अधिक होगा तो आपकी महंगाई बढ़ेगी और दूसरा आपके वित्त सचिव जी ने कहा है कि 18 प्रतिशत रखेंगे या नहीं रखेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। तो आपके सचिव जिन्हें लागू करना है और जो सलाहकार हैं उन्हीं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है तो बचत लोगों की बात छोड़ दीजिए।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- एक बात और जो आप बोल रहे थे कि टैक्स बढ़ जायेगा तो टैक्स बढ़ नहीं जायेगा बल्कि कम हो जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- बढ़िया, इसमें सबका प्रशिक्षण कराईये। यहां आपके बढ़िया वकील हैं, जितने बड़े, मझले, छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं उनके बीच में परिचर्चा रखिए। क्योंकि जो आशंका के बादल हैं वह पूरे देश में हैं।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- हॉ, होगा। 100 रूपये पर यदि आप 20 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी लगाओ तो 120 रूपये हो गया। आप बोले कि 20 रूपये ट्रांसपोर्टेशन फीस लगा तो 140 रूपये पर जो टैक्स लगेगा वह 30 रूपये है तो उस 140 पर जो 30 रूपये टैक्स लगेगा, 20 रूपये वापस हो जायेगा बल्कि वह 10 रूपये ही टैक्स होगा और टैक्स पर टैक्स इसमें नहीं लगेगा यह जीएसटी का मतलब है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, उसमें तो यह है कि सामने वाला टैक्स नहीं पटाया तो उसे व्यापारी भुगतेगा। अब व्यापारी कैसे जानेगा कि उद्योगपति टैक्स भरा या नहीं भरा? उसको क्या अधिकार है? इस प्रकार का तो आप कानून बनाये हैं।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- सब रिकार्ड रहेगा।

श्री राजेश मूणत :- हम लोग किसान नेता हैं कहां इसके पीछे पड़े हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही बोला कि यह अपने समझ में आना नहीं है। ये दक्षिणा लेने वाले हैं मैं दक्षिणा देने वाला हूं। न मुझे समझ आना है, न आपको समझ आना है। अमर अग्रवाल जी इधर हैं नहीं।

श्री राजेश मूणत :- इसीलिए कहा न कि हम लोग किसान नेता हैं कहां चक्कर में पड़े हैं। चार व्यापारियों ने सेट करके अपने को समझा दिया, हमने बोल दिया।

श्री अमरजीत भगत :- मूणत जी, कहां से किसान हो गये? मूल रूप से मूणत जी इसके बारे में गहरी जानकारी रखते हैं।

श्री राजेश मूणत :- छत्तीसगढ़ी में यदि मूणत को बोलो तो क्या बोलते हैं कि मूणथे मतलब वो मूणथे। राजेश ह मूणत हे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे निर्धारित किया गया था। अभी केवल 6 लोग बोले हैं, 3 घंटे हो गये हैं और अभी 18 लोगों का बोलना बाकी है। इसलिए बाकी वक्ता जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है जो बात सदन में आ चुकी है उसको रिपीट नहीं करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे।

श्री लाभचंद बाफना (साजा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध इसलिए भी कर रहा हूं कि मेरे ऊपर थोड़ा इसे लागू न करें तो अच्छा रहेगा। उनके पास टोपी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिस देश ने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा है। और आज निश्चित रूप से जीएसटी के रूप में एक ऐसा आर्थिक सुधार का बिल आया है जिसकी शुरूआत वास्तव में वर्षों पहले किसी न किसी रूप में नये-नये सिस्टम के माध्यम से करते जा रहे हैं। ये बिल निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के लिए एक डायनॉमिक होगा। इसमें भी बहुत सारी बातें छनकर सामने आईं। निश्चित रूप से जीएसटी कौंसिल बनेगी, जीएसटी कौंसिल बनने के बाद उसमें पूरे के पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- डायनामिक हो तो चलेगा, डायनामाईड नहीं होना चाहिए।

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\d13\02.05-02.10

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं लाभचंद जी को कभी टोकता नहीं । लेकिन बात यह है कि यदि लाभचंद बाफना जी बिना हिले डुले स्थिर होकर पूरा भाषण दे दें तो हम इसके बाद इस पारित कर देंगे । लेकिन शर्त यह है कि बिना हिले डुले । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कोई और सज़ा निर्धारित कर दीजिए ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अगर वो बिना हिले डुले बोल दे तो लोग उसे मंत्री वंत्री बना दें। (हंसी)

श्री लाभचंद बाफना :- दशक भर तक विचार मंथन, सुलह-सफाई कई उतार-चढ़ाव और हाय-तौबा के बाद आखिरकार आजाद भारत के इतिहास में सबसे चर्चित कर सुधार, वस्तु और सेवा कर के लिए देश तैयार हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्थिर मत होइए, स्वाभाविक रूप से बोलिए (हंसी)

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, वहां दो-दो मंत्रियों ने कुर्सी खाली कर दी है।

श्री लाभचंद बाफना :- अगर थोड़ा पहले चले जाएं तो वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जहां देवी देवता बसते थे उस देश में हमारा जन्म हुआ । यह हिंदुस्तान, मैं समझता हूं कि हर युग में पूरे विश्व को संदेश देने वाला है । विश्व में कितने किस्म के पशु घूम रहे हैं, किसने मूल्यांकन किया कि गाय हमारी माता होगी। गाय के आधार पर, बैल के आधार और बकरी के आधार पर उस समय राजा महाराजाओं का निर्णय रहा होगा कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन छोटा है । मूल्यांकन किस देश ने किया ? शून्य का अविष्कार किस देश ने किया ? अग्निबाण का अविष्कार किस देश ने किया ? पुष्पक विमान का विवरण किस देश में आता है? ढाका के मलमल का निर्माण किसने किया ? आज हमारे ही देश में, हमारे ही प्रदेश के लोगों में वाद छिड़ा हुआ है कि रसगुल्ला किसकी देन है ? बंगाली समाज के भाई कहते हैं कि रोसोगुल्ला हमारी देन है । उड़ीसा के भाई कहते हैं कि हमारे जगन्नाथ में पहला प्रसाद चढ़ा है । उड़ीसा में चले जाएं तो अलग व्यंजन है, हमारे छत्तीसगढ़ में हम डटकर ठेठरी, कुर्मी, चाकर रोटी, अंगारा रोटी खाते हैं । हम बंगाल में चले जाएं तो अलग किस्म की चीज है । पूरे के पूरे विश्व की सारी चीजें हमारे देश में उपलब्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ये भूमिका है । अभी जीएसटी पर आ रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जिस विषय पर चर्चा हो गई, उसमें नहीं करना है तो वे ऐसा विषय ले आए जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई थी ।

श्री लाभचंद बाफना :- मैं जीएसटी में एक-एक चीज का उल्लेख करूंगा । पूरी की पूरी चीजें हमारे यहां हैं । विश्व में इतने जंगल है लेकिन अगर किसी देश ने इतने हजार वर्ष पहले संजीवनी बूटी की परीक्षा की तो हिंदुस्तान ने की । यह वनौषधि वाला देश है । यहां के उद्योग धंधे, यहां के कुटीर उद्योग, यहां की पारम्परिक वेशभूषा, यहां का धर्म, यहां का आध्यात्म, यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति के कारण कभी डच, कभी पुर्तगाली, कभी यहूदी, कभी मुगल, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में आए । उनको मालूम था

कि हिंदुस्तान व्यापारी देश है । हिंदुस्तन में हर चीज का व्यापार होता है और आज नहीं, लाखों साल पहले से होता आया है । उनको समय-समय पर संगठित करना, समय-समय पर परिवर्तनकारी युग में कभी कबीले हो गए, वे कबीले अपने को चलाने के लिए कभी धन संग्रह करते थे, अलग परम्परा थी फिर धीरे से राजा महाराजा और जमीनदारी प्रथा हुई । टैक्स कलेक्शन का अलग पैटर्न बना । फिर हमारा देश थोड़े समय गुलाम हुआ, फिर उसे क्षत-विक्षत करने का प्रयास किया गया । विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान है । इस हिदुस्तान में, जब से हमारा देश आजाद हुआ है टैक्स लेना और उस टैक्स को जनहित में खर्च करना । इसके कारण बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, जल के क्षेत्र में हो खर्च करना है । इस कारण से निश्चित रूप से जीएसटी भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है । चूंकि मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूं, वर्षों से व्यापार के क्षेत्र में हूं। यहां जितने भी लोग कह रहे हैं उनमें कभी कभी हमारे दिल के किसी कोने में भी यह बात आती है कि वास्तव में कैसे होगा ? इतनी ज्यादा ट्रान्सपेरेंसी कैसे आ पाएगी ? लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में किसी न किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह सबसे बड़ा प्रयास है । अभी भूपेश भैय्या जिन बातों को रख रहे थे वे वास्तव में जमीनी सच्चाई है । यह जमीनी सच्चाई आशंका कुशंका के रूप में रखने की जरूरत भी है । जिससे कि जब वह कौन्सिल के बीच जाए तो क्लीयर हो जाए और कुछ बातें क्लीयर हो चुकी हैं। .....जारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\22-08-2016\d14\02.10-02.15

जारी.....श्री लाभचन्द बाफना :- कुछ बातें क्लीयर हो चुकी हैं । इसमें बहुत सारी बातें क्लीयर हैं । इसमें साफ-साफ कहा गया है कि हिन्दुस्तान के जितने 29 प्रदेश हैं, किसी को एक की जगह दो वोट देने का अधिकार नहीं है । जितने सदस्य होंगे, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या उस सरकार के द्वारा नामिनेट मंत्री, उसमें से एक उपाध्यक्ष भी होगा, वित्त मंत्री होंगे । वहां के डिप्टी वित्त मंत्री हैं, वे होंगे और वहां पर इन चीजों का पहला मानसिक रूप से एक प्लेट फार्म तैयार हो गया कि जीएसटी है और जीएसटी का ये कान्सेप्ट है ।

श्री भूपेश बघेल :- उस कमेटी में व्यापारियों को भी रखा जाना चाहिए, आप ऐसा एक सुझाव दीजिए । आपने मंत्रियों को, अधिकारियों को उस कमेटी में रख दिया, व्यापारी वर्ग का भी प्रतिनिधि उस कमेटी में रहे, वह भी सुझाव दें ।

श्री लाभचन्द बाफना :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार हृदय से प्रसन्नता हो रही है कि आज हिन्दुस्तान के पूरे के पूरे विपक्षी दल के लोग और अन्य लोग व्यापारी की विवशता को समझने के लिए मजबूर हैं । आज हिन्दुस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा व्यापारी हैं । इसके पहले उसी व्यापारी को मुनाफाखोर, जमाखोर, सूदखोर कहा जाता था । आज उसी व्यापारी की पीड़ा को समझने के लिए पूरा हिन्दुस्तान विवश हो गया है । उसको पता चला है कि वह व्यापारी, जो दो रूपये में खरीदता है वह 2.01 रूपये में बेचता है, अपना घर भी चलाता है, समाज में भी दान देता है और सरकार को भी रेवेन्यू देता है । हिन्दुस्तान में 12 लाख व्यापारी है । छोटे से छोटा व्यापारी निश्चित रूप से चिन्ता करता है कि टैक्स कलेक्शन की ट्रांसपरेंसी हो, हम समय में टैक्स अदा करें । अगर हम टैक्स देंगे, राजा, महाराजाओं के समय में भी ये परम्परा थी, तब तो राजा, महाराजा का कुनबा चलता था । आज भी हम टैक्स देते हैं, आज भी या जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, डा. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा करों का सरलीकरण किया गया, सबसे ज्यादा करों में कटौती की गई, सबसे ज्यादा इंसपेक्टर राज समाप्त किया गया और जीएसटी में भी प्रथम बिन्दु पर टैक्स लगेगा और जहां पर विक्रय होगा, वहां पर लगेगा इसलिए उत्पादन क्षेत्र को थोड़ा बहुत नुकसान है और उसके कारण चाहे उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे विपक्षी दल के रूप में जिसकी भी सरकार रही हो, उन्होंने इस बात को गंभीरता के साथ में कहा कि हमारे प्रदेश का क्या होगा, कर्नाटक का क्या होगा, तमिलनाडू का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा, जहां पर हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद में जहां पर विक्रय होगा, उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो हमारा क्या होगा तो पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने विशाल हृदय दिखाते हुए, सरकार ने विशाल हृदय दिखाते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि हम पांच साल उसकी क्षतिपूर्ति देंगे, तीन साल, चार साल नहीं देंगे, पूरे पांच साल देंगे और उसके कारण कांग्रेस के भाइयों ने भी उदार दिल दिखाया, अन्य विपक्षी दलों ने भी उदार दिल दिखाया, अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने भी बड़ा दिल दिखाया और आज सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव पारित हुआ है । ये है-हिन्दुस्तान का लोकतंत्र और

इस नाते मैं हिन्दुस्तान के सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक दल के लोगों को और उनको समर्थन देने वाले हिन्दुस्तान के सवा सौ करोड़ जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीएसटी बिल आज हिन्दुस्तान के लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है और बड़ी तेजी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । बिहार में भले दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो सकती है, मगर बिहार में भी ये प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, झारखण्ड ने पारित करके भेज दिया, पश्चिम बंगाल ने पारित करके भेज दिया और गुजरात में एक दिन नहीं, बल्कि दो दिन इस विधेयक पर लंबी चर्चा होगी और आज हम ये चौथा, पांचवां प्रदेश है, जहां पर हम जीएसटी बिल के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं।

संसदीय सचिव (श्री राजू सिंह क्षत्रिय) :- अब है किसी के पास जवाब । इनका जवाब है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय लाभचंद जी बोल रहे थे कि पहली बार व्यापारियों के पक्ष में बात हो रही है । लाभचंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि व्यापारियों को पहली बार समझ आया कि कांग्रेस के राज में हम लोग कमाते थे, देते आप लोगों को थे । ये बात पहली बार उन लोगों को समझ आई है (हंसी) अब उनके सही कदम पढ़ेंगे ।

श्री लाभचन्द बाफना :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप में जीएसटी बिल जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बिल आज हिन्दुस्तान के लिए है, जिससे आम उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से बड़ी राहत इस बिल के माध्यम से मिलने वाली है, ट्रांसपरेंसी बढ़ने वाली है, टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाला है और हिन्दुस्तान के किसी कोने में अभी तक हमारे छोटे शहर उपेक्षित होते थे, अब जब पूरी जगह एक ही रेट में विक्रय होगा तो निश्चित रूप से जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में छोटा सा गांव कस्बा बन गया, कस्बा शहर बन गया, शहर मेट्रो सिटी बन गई और वही स्थिति आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने में होने वाली है कि हमारे हिन्दुस्तान के हर शहर का महत्व बढ़ेगा और हर शहर का महत्व बढ़ने के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में जो लौह उत्पादन होता है...

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\d15\02.15-02.20

जारी...श्री लाभचंद बाफना- हमारे हिन्दुस्तान के हर शहर का महत्व बढ़ेगा और हर शहर का महत्व बढ़ने के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जो

सीमेंट का उत्पादन होता है, जो वनौषधि के माध्यम से जाता है, उसमें भी निश्चित रूप से और इजाफा होगा और पूरे हिन्दुस्तान के लोग हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ इसलिए आयेंगे कि यह छत्तीसगढ़ बीच में है। विश्व की कई बड़ी-बड़ी कंपनियां सोच रही है कि जीएसटी बिल के बाद में हिन्दुस्तान में हम छत्तीसगढ़ को हब बना दें, हम छत्तीसगढ़ को लाजिस्टिक सेंटर बना दें तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़वासियों को तो इसके माध्यम से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ से आठ-दस प्रदेश प्रभावित होते हैं। यहां मिनरल से लेकर सारी चीजें उपलब्ध हैं। यहां पर अच्छे ढंग से काम करने वाली सरकार, अच्छी नीयत से काम करने वाली सरकार है और इस नाते मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह जी को, प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री भाई अमर अग्रवाल जी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय वित्तमंत्री माननीय अरूण जेटली जी सहित विपक्षी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों की शत-प्रतिशत उपस्थिति है और सब यह मानस बनाकर आये हैं कि निश्चित रूप से सकारात्मक सुझाव देंगे और सकारात्मक सुझाव देते हुए यह हिन्दुस्तान का जो ऐतिहासिक जीएसटी बिल है, उसको सर्वसम्मति से हम लोग पारित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम(कोण्डागांव)- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प माननीय वाणिज्य कर मंत्री ने इस सदन में रखा है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

समय

2.19 बजे सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जीएसटी की बात को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज हर कोई दावे, प्रतिदावे कर रहे हैं। आज सरकार दावा कर रही है कि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू होगी। जीडीपी में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महंगाई कम होगी, उसके साथ-साथ अर्थ व्यवस्था में गति मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं, जिन देशों में, विकसित देशों में जीएसटी लागू है, वहां के जो आंकड़े आ रहे हैं, फ्रांस और आस्ट्रेलिया के जो आंकड़े आ रहे हैं, वहां जीएसटी लागू होने के बाद मात्र 0.3 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है जबकि सरकार दावा कर रही है कि जीडीपी में 2 परसेंट की बढ़ोतरी

होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के आर्थिक सलाहकार आदरणीय अरविंद सुब्रमणियम जी का मानना है, वे खुद कहते हैं जीएसटी लागू होने के बाद 3 वर्षों तक महंगाई बढ़ेगी। आज पूरे देश में आप महंगाई देख ही रहे हैं, 2013 में दाल 60 रुपये किलो मिलती थी, आज 200 रुपये किलो बिक रही है। हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। यदि जीएसटी लागू होगी तो महंगाई और बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय वाणिज्यिक कर मंत्री जी कह रहे थे कि श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी साहब ने 2000 में जीएसटी की परिकल्पना की थी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी साहब 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं तो इन 13 वर्षों में माननीय अटल बिहारी बाजपेयी साहब का जो संकल्प था, उसका समर्थन क्यों नहीं किया, क्यों लगातार 13 वर्षों तक विरोध करते रहे ? माननीय अध्यक्ष जी, हम देखते हैं, केलकर समिति की जो रिपोर्ट है, 2010 में तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री चितम्बरम साहब ने जीएसटी बिल लागू करने की बात की थी, मगर आज आप सरकार में हैं। विपक्ष में रहते हैं तो विरोध करते हैं और सरकार में आते हैं तो उसी को अच्छा बताते हैं ? आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम देखते हैं आप स्वदेशी की बात करते हैं, पूरे देश में आपने एफडीआई का विरोध किया। आप कहते थे कि एफडीआई आने से ईस्ट इंडिया कंपनी आ जायेगी, पूरे देश में उनका कब्जा हो जायेगा, लेकिन आज आप एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इंश्यूरेंस सेक्टर में 26 परसेंट से बढ़ाकर 49 परसेंट कर दिया। आप अन्य क्षेत्रों में हंड्रेड परसेंट एफडीआई करते तो यहां के हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो व्यापार/व्यवसाय करते हैं आखिर वे कहां जायेंगे? आप कल तक हमारे व्यापारी भाइयों के हमदर्द थे। उनका हमेशा समर्थन करते थे, लेकिन आज आप विदेशी माल पर ज्यादा विश्वास क्यों करने लगे हैं ? एफडीआई पर आपका ज्यादा विश्वास क्यों हो रहा है ? आप आज हर क्षेत्र में 76 परसेंट एफडीआई बढ़ा रहे हैं जबकि आपने 26 परसेंट से 49 परसेंट इंश्यूरेंस सेक्टर में किया। जब यही यूपीए सरकार करना चाहती थी तो उस समय अपने पूरे देश में इसका विरोध किया था। आज सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है ?

जारी...श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\d16\02.20-02.25

जारी श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, आज सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है ? आज आप सरकार में आये, आपने देखा है, आप लगातार हर चीज का विरोध

कर रहे हैं। आज देश की अखण्डता के लिए बात कर रहे हैं और हमारे मंत्री जी और माननीय संसदीय मंत्री जी कह रहे थे कि राजनीति से राष्ट्र बड़ा होता है तो राष्ट्र बड़ा था, उस समय आपने क्यों विरोध किया ? आखिर सलाह, माननीय बाजपेयी साहब ने जो केलकर समिति का गठन किया था, उनकी सिफारिश के आधार पर माननीय तात्कालीन वित्तमंत्री चिदम्बरम् साहब ने जीएसटी बिल के बारे में किया था मगर आज 13 वर्षों तक आपने जो वाजपेयी साहब का निर्णय था, उसका भी आपने विरोध किया। आज हम देखते हैं कि लगातार जो बात हो रही है कि जीएसटी के विषय में सचमुच में केन्द्र सरकार जो भी कहे लेकिन राज्य के हितों का, राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ के हितों का ख्याल रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मोदी साहब कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रूपये देंगे। आज कहते हैं कि मनरेगा का विरोध किया है, आज आधार कार्ड का विरोध किया है आज उन्हीं को लागू कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के करनी और कथनी में कितना फर्क है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम एक ही बात कह सकते हैं कि यूटर्न सरकार। हम कह सकते हैं कि आप जिसका विरोध करते हैं आज उसी को लागू कर रहे हैं। राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ के हितों का ख्याल रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं आज पूरे क्षेत्र में गॉव-गॉव में चाहे देश में हो या राज्य में हो। गांव-गॉव में तिरंगा यात्रा हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोण्डगॉव जिले में राष्ट्रीय पर्व होता है। हमारे संसदीय सचिव महोदय अम्बेश जांगड़े साहब जाते हैं। राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान होता है, सैल्युट दिया जाता है मगर हमारे जिले की कलेक्टर वही राष्ट्रगान के सम्मान के समय अपना जूता पहनती है इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सरकार आज ऐसे लोगों को सरंक्षण दे रही है, प्राश्रय दे रही है गलती पर गलती हो रही है। कोण्डागाँव जिले में 10 करोड़ के लगभग वनबंधु योजना में पैसा मिला था, उसका भी बंदर बांट हो रहा है। जो डिस्ट्रीक्ट मिनरल फण्ड में 4 करोड़ रूपया हमारे जिले को मिला था, उसका भी बंदर बांट हो रहा है और उसके ऊपर ये सरकार इतनी मेहरबान क्यों है ? आज राष्ट्रीय झण्डे का अपमान होता है तो कार्यवाही तुरंत होती है। अगर फेसबुक पर एक साधारण कार्यकर्त्ता उसका विडियो वायरल कर देता है तो उसके घर को तुरंत तोड़ा जाता है ये मतलब तानाशाही रवैया हमारे जिले में अपनाया जा रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है, प्रदेश में जो अधिकारियों का राज चल रहा है, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। हमारे

माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोगों को ऐसे अधिकारियों का ख्याल करना चाहिए, आप लोगों को ऐसे अधिकारियों को देखना चाहिए कि आखिर उस जिले में क्या हो रहा है ?

माननीय सभापति जी, मैं अंत में एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा। आज जो गुड्स है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर आज केन्द्र सरकार खुद मान रही है कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा तो मैं चाहूंगा क्योंकि हमारा नया राज्य है। आज राष्ट्रीय औसत से 16 प्रतिशत हमारे यहां ज्यादा गरीबी है। आज निर्माण कार्य के लिए इस प्रदेश में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। आज मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे जो पिछड़े जिले हैं ये आई.ए.पी., बी.आर.जी.एफ. के योजना के 30-30, 40-40 करोड़ रूपये हर साल हमारे जिलों को विकास कार्य के लिए मिलते थे अगर यह पूरे देश में लागू हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ को होगा। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि केन्द्र सरकार खुद मान रही है कि हम 5 साल तक देंगे तो सरकार खुद मान ही है तो राजस्व का नुकसान होगा। अगर राजस्व का नुकसान होगा तो हमारे जो विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं उसमें गति नहीं आएगी इसलिए मैं सरकार से, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मैं आग्रह, निवेदन करूंगा कि जब भी जीएसटी कौन्सिल बनेगी, इस बात को ध्यान रखे कि छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे व्यापारी भाई, आज चाहे हम बस्तर के हों, सरगुजा के हो, हमारे व्यापारी इंकम टैक्स, सेल टैक्स, उनके वकील के माध्यम से होता है यानी इनको हर महीने रिटर्न फाईल करना है तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मैं इंश्यारेंस सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में काम कर चुका हूँ तो मुझे जो टैक्सों की बारिकियां समझने का मौका मिला है तो एक पढ़ा लिखा वकील और एक पढ़ा लिखा आदमी भी इंश्यारेंस में बहुत जटीलताएं होती हैं, उन जटीलताओं पर भी सरकार ध्यान दे ताकि हमारे व्यापारी भाई और जिनको परेशानी होगी ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\d17\02.25-02.30

पूर्व जारी.. श्री मोहन मरकाम :- ताकि हमारे व्यापारी भाई, जिनको परेशानी होगी, जो पहले इस्पेक्टर राज था, वह फिर से लागू नहीं हो। अगर दंडाधिकारियों के हाथ में देंगे तो हमारे व्यापारी बंधुओं को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। हमारे व्यापारी भाईयों को बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग करेंगे। जब जी.एस.टी. की कौन्सिल बने तो मैं माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी से

आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ के हितों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल हो, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा हो। यह निवेदन करने के साथ मैं अपनी बातो को विराम देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे (अहिवारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत एक सौ बाईसवां संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कर की प्रणाली में कई सुधार किये गये। इस पर काफी दिनों से, लंबे अर्से से चर्चाएं की जा रही थीं कि कर की प्रणाली में सुधार किया जाये। समय-समय पर कर की प्रणाली में सुधार भी हुए। विक्रय के रूप में था जो वेट के रूप में आया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो ठोस सुधार होना चाहिए, वह वेट के रूप में आया। ठोस सुधार की अपेक्षा थी, लेकिन वह सुधार नहीं हो पाया। करों की संख्या में कमी नहीं हो पाई। जटिलताएं और बढ़ती गईं। परिणामस्वरूप आज पहली बार जी.एस.टी. के रूप में एक महत्वपूर्ण नया कर पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इसका संपूर्ण देश के साथ-साथ, देश के दोनो सदनों में संपूर्ण लोगों ने मिल करके इसका समर्थन किया है। जी.एस.टी. आज कितना आवश्यक है, वह इस बात से साबित हो जाता है पूरे दोनों सदन में संपूर्ण पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिल करके इसकी सहमति प्रदान की है। इससे साबित होता है कि जी.एस.टी. देश के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उद्योगों के लिए, आम उपभोक्ताओ के लिए कितना आवश्यक है। सभापति महोदय, ये कर सुधार की प्रक्रिया में हिस्सा बनने का हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा को सुअवसर मिला है। मैं समझता हूं कि हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा के संपूर्ण सदस्य इस विधेयक पर एक मत हो करके सहमति प्रदान करेंगे। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांसेप्ट के रूप में एक बात कही थी कि आजाद देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं होना चाहिए। इसी कांसेप्ट के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने जी.एस.टी. के रूप में इस कांसेप्ट को लाया कि एक देश में एक टैक्स होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, विक्रय कर के रूप में कुल 8 प्रकार के कर लगते थे और राज्य स्तरीय पर 7 प्रकार के कर थे। करों की संख्या को समेकित किया गया और करों की संख्या को समेकित करते हुए जी.एस.टी. के रूप में नया कर लागू करने का प्रावधान देश ने

लिया है। कर अपवंचन की बातें आ रही थीं, चूंकि जी.एस.टी. टोटल आनलाईन होगा, पूरा इलेक्ट्रानिक प्रणाली से चलेगा, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार का कर अपवंचन के लिए कोई जगह होगी। जी.एस.टी में कर अपवंचन को कहीं पर कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। जी.एस.टी. पूर्णत: पारदर्शिता के साथ लागू होगा। सभापति महोदय, मुझे इस विभाग में ....(जारी)....

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\d18\02.30-02.35

.....जारी राजमहंत सावलाराम डाहरे माननीय सभापति महोदय, मुझे इस विभाग में माननीय सभापति महोदय के अंडर में और माननीय अमर अग्रवाल जी हमारे वाणिज्यिक कर मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रियों के अंडर में वाणिज्यिक कर विभाग में काम करने का अवसर मिला है। दोनों मेरे मंत्री रह चुके हैं। चेक पोस्ट से व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को परेशानियां होती थीं, जी0एस0टी0 लागू होने से पूरे देश में चेक पोस्ट समाप्त हो जायेंगे। सड़कों पर जो ट्रकों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थीं, वे कतारें पूर्णत: समाप्त हो जायेंगी। इससे इतनी बड़ी सुविधा है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, आप सेल्स टैक्स में बाबूगिरी कर रहे थे या साहब बने थे ?

श्री राजमहंत सावलाराम डाहरे :- मैं सेल्स टैक्स में बाबू नहीं था, सेल्स टैक्स आफिस में मैं एज ए सेल टैक्स आफिसर काम किया हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय, हम लोग सुने हैं कि सेल टैक्स आफिसर लोगों का बड़ा मौज है, इसमें तो और मौज बढ़ जायेगा। उनको असीमित अधिकार दे दिया गया है।

श्री राजमहंत सावलाराम डाहरे :- सभापति महोदय, चूँकि इसमें पारदर्शिता है, इसमें पावर नहीं बढ़ेगा। बल्कि जी0एस0टी0 लागू होने से इतनी सुविधाएं मिलेंगी कि चेक पोस्ट बंद हो जायेगा। सड़कों में रातोरात गाड़ियां खड़ी रहती थीं, 10-12 दिन गाड़िया खड़ी रहती थीं, एक सी-फार्म के लिए, एक ई-1 फार्म के लिए, एफ-फार्म के लिए गाड़िया 15-15 दिन चेक पोस्ट में खड़ी रहती थीं।

श्री कवासी लखमा :- लेकिन आपके परिवहन मंत्री का क्या होगा ?

श्री राजमहंत सावलाराम डाहरे :- लेकिन अब जी0एस0टी0 के आने के बाद सी फार्म की आवश्यकता, चेक पोस्ट में दी जाने वाली घोषणा-पत्र की आवश्यकता, ई-1 फार्म, ई-2 फार्म की आवश्यकता, एच फार्म की आवश्यकता, ये तमाम आवश्यकताएं स्वत: बंद हो जायेगी। यह उपभोक्ताओं के लिए, व्यवसायियों के लिए एक बहुत ही सुखद पहलू होगा। हमारे यहां वेट चल रहा है और वेट में टैक्स पर टैक्स लगता है। लेकिन अब कच्चे माल पर मिलने वाला प्रवेश कर और केन्द्रीय कर दोनों समाप्त हो जायेंगे तो जो निर्मित वस्तु है, उसके उत्पादन का लागत भी कम आयेगा। ये जी0एस0टी0 की महत्वपूर्ण विशेषता है। माननीय सभापति महोदय, निर्माण लागत कम होने से वस्तुएं भी सस्ती हो जायेंगी। व्यापार और उद्योग को इसमें काम करना भी आसान हो जायेगा। यह पहला एक्ट है, जो आ रहा है। सेक्शन 162 में जो 25 अध्यायों में विभाजित है और सेक्शन 2 में 109 शब्दों को परिभाषित किया गया है। यह जी0एस0टी0 की बहुत बड़ी विशेषता है, जो सेक्शन 2 में 109 शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है, हमारी जो कर प्रणाली है, आसान तो होगी ही, लेकिन साथ में कर की जो उगाही है, उसमें भी आसानी होगी। चूँकि पहले टैक्स वसूल करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनपुट क्रेडिट से उत्पादन की लागत भी घट जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर एक अच्छी बात आई, रिटर्न देने की बात आई। माननीय भूपेश भैय्या ने यहां पर बात की कि काफी लंबा-चौड़ा रिटर्न देना पड़ेगा। अभी वर्तमान में वेट है और इसमें 5 टैक्स है। इसमें सेन्ट्रल एक्साइज है, प्रवेश कर है, वेट है, ई0टी0 और सी0एस0टी0 है। इसमें जो पांच टैक्स है, साल में 20 रिटर्न देना पड़ता है। साल में प्रत्येक एक्ट का एक बार 5 रिटर्न और देना पड़ता है।

.....जारी श्री श्रीवास

D-19/ Deepak/2.35-40/22-8-2016

जारी.....श्री सॉवलाराम डाहरे :-

साल में 20 रिटर्न देना पडता है । साल में एक बार प्रत्येक एकट का पांच रिटर्न और देना पड़ता है । एक अंतिम में रिटर्न देना पड़ता है, जिसको समेकित रिटर्न कहा जाता है, इस

तरह वर्तमान में कुल 25 विवरणी देना पड़ता है, लेकिन माननीय सभापति महोदय अगर जी.एस.टी. लागू है, जी.एस.टी. लागू होने पर एक माह में मात्र एक रिटर्न देना पड़ेगा । साल में 12 रिटर्न होगा । एक समेकित रिटर्न जो होता है, कंसालिडेट जिसको बोलते हैं, कुल जी.एस.टी. में 13 रिटर्न हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा । यानी वेट का रिटर्न कितना देते थे, 25 और उसका आधा रिटर्न जी.एस.टी. में हमको देना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, इसी तरह चालान जमा करने में तकलीफें होती थी, अलग-अलग एक्ट का अलग-अलग कोड नंबर था, उस कोड नंबर के बाधार पर अलग-अलग चालान प्रस्तुत करना पड़ता था । इन्ट्री के लिए अलग चालान देना पड़ता था, सी.एस.टी. का अलग चालान देना पड़ता था, वेट के लिए अलग चालान देना पड़ता था, पी.टी. के लिए अलग, एक्साईज के लिए अलग, अलग-अलग चालान के पैसे जमा होते थे।

माननीय सभापति महोदय, अब केवल एक चालान पूरा जमा होगा सी.जी.एस.टी. के लिए और ए.जी.एस.टी. के लिए । एक ही चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा । यह अपने आप में बहुत सुविधाजनक चीजें हैं । माननीय सभापति महोदय, इसी तरह पहले जो सी.एस.टी. में और ई.टी. में सेंट्रल सेल टैक्स और प्रवेश कर इन दोनों में आई.टी.आर. नही मिलता था, लेकिन यह बड़ी सुखद बात है कि अब यह खत्म हो गया है । अब उनकी जगह पर जितना भी टैक्स है, चाहे सी.एस.टी. लगता है, उन सभी चीजों पर बाधारहित हमको आई.टी.आर. मिलना शुरू हो जायेगा। यह जो छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सुविधाजनक चीजें होंगी । माननीय सभापति महोदय, इतना बेहतर जो एक्ट यहां पर लागू किया जा रहा है, उनका सर्वसम्मति से पूरा देश के साथ, छत्तीसगढ़ की विधान सभा को यह अवसर मिला है, मैं निवेदन करूँगा कि सारे पूरे सभी सदस्य एक होकर सहमति के साथ इस बिल को पास करने के लिए एकमत होंगे । इन्हीं तमाम भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत भगत ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, उधर भी अमर बोलने वाला है, इधर भी अमर बोलने वाला है, थोड़ा ठीक-ठाक बोलना ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. बिल के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । चूँकि इस देश की सर्वोच्च पंचायत लोक सभा और राज्य सभा में सर्वानुमति से इसको पारित कर दिया गया है, इसमें हम लोगों को भी पारित करना ही है । साथ में कुछ शंकायें हैं, कुशंकायें हैं, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें । जी.एस.टी. के लागू होने से कृषि उत्पाद और वनोपज को जी.एस.टी. के दायरे में ला रहे हैं । उससे किसानों की समस्या बढ़ेगी । उसमें वन क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासियों की जो फारेस्ट प्रोडयूस करते हैं, उसकी समस्यायें बढ़ेंगी । माननीय सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस बिल को दिल्ली में इन्ट्रोडयूस किया था । वह चाहते थे कि यह लागू हो । कर प्रणाली जो इसमें काफी असमानतायें हैं, उसका सरलीकरण हो । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है । इस देश के आज जो प्रधानमंत्री है, नरेन्द्र मोदी जी, उनका हम विडियो में रिकार्डिंग देख रहे थे । सोशल मीडिया में जो वाईरल हुआ था कि जी.एस.टी. कभी सफल नहीं हो सकता । भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण साफ है कि जी.एस.टी. को हम सफल नहीं होने देंगे । यह आपका ही वक्त्व्य है । जिस समय जी.एस.टी. पेश हुआ था, उस समय इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी श्री अमर अग्रवाल जी थे । कमेटी में गये थे । इनका भी वर्जन हम लोगों ने सुना था । उनका भी वक्तव्य था कि इस बिल के पास होने से सरकार का अधिकार समाप्त हो जायेगा ।

श्री सुधीर

शर्मा\22-08-2016\d20\02.40-02.45

..जारी श्री अमरजीत भगत :- उस समय इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी माननीय श्री अमर अग्रवाल जी थे, वे कमेटी में गये थे । इनका वर्सन और माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन भी हम लोगों ने सुना था । उनका भी वक्तव्य था कि इस बिल के पास होने से राज्य सरकार का अधिकार समाप्त हो जाएगा, हम अपना हाथ कटने नहीं देंगे, ये इनका पक्ष था । आज जैसे ही ये केंद्र में सरकार में बैठे तो उसी बात को तोड़-मरोड़कर किस प्रकार से पेश कर रहे हैं कि पूरे देश, राष्ट्रों में ये पहला राष्ट्र है, जो इसको इस रूप में लागू करने जा रहा है । इस प्रकार अपनी ही पीठ खुद थपथपा रहे हैं । हम तो कह चुके हैं कि जब इसे देश की सर्वोच्च पंचायत ने सर्वानुमति से लागू करने की सहमति दे दी है तो हम लोगों को भी सहमति देनी ही है, लेकिन इनके समय और परिस्थिति के अनुसार इनके बोलने, बात करने के अंदाज में फर्क क्यों है ?

श्री राजू सिंह क्षत्री :- आपको जी.एस.टी. के बारे में कुछ मालूम है ?

श्री अमरजीत भगत :- उसके बारे में आपको ज्यादा मालूम होगा । हम लोग तो किसान आदमी हैं, लेकिन जितना भी ड्राफ्ट आया है, जो विधान सभा से मिला है, उसको पढ़ने से इतना लग रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- उसमें कुछ पढ़-लिखे हो ?

श्री अमरजीत भगत :- हां बिल्कुल ।

श्री राजेश मूणत :- क्या-क्या पढ़ा है, यह बताओ ?

श्री अमरजीत भगत :- आपने आज तो दिया है, तो जितना पढ़ा है, उसको बोल रहे हैं ।

श्री राजेश मूणत :- मतलब आज दिया है, तो इसके पहले जी.एस.टी. के बारे में कोई जानकारी नहीं थी न ?

श्री अमरजीत भगत :- वह तो आपको विभाग है, वह तो श्री अमर जी का विभाग है कि कितना प्रकार का टेक्स लगना है, कौन-कौन सा टेक्स लगाना है ?

श्री अरूण वोरा :- श्री मूणत जी, उनका हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और 15 लाख रूपए हर के खाते में जमा होंगे, अभी तक तो जमा नहीं हुए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, ये बताईए कि 15 लाख हर के खाते में जमा होगा, कब, किसने कहा था, उसका एकाध प्रूफ तो दे दो ? आप लोगों का केवल बातों का जमा खर्च है कि 15 लाख जमा करूंगा ।

श्री अरूण वोरा :- प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आप यह देखने चाहते हैं कि किसने क्या कहा था, तो हम आपको वीडियो क्लिपिंग दिखा सकते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बिल्कुल दिखा दो ।

श्री अमरजीत भगत :- कि प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने जी.एस.टी. का किस तरह से विरोध किया था, उसको हम दिखा सकते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसका कारण श्री अमर अग्रवाल जी ने बता दिया है । अब वह बात आपको समझ ही नहीं आई तो क्या कह सकते हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- ये तो पहले ही पारित होना था, लेकिन आप लोगों ने इसका विरोध किया ।

श्री राजेश मूणत :- बोलना है, इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे । हो गया । समर्थन करना है, तो समर्थन कर दो और झमेला खत्म करो ।

श्री अमरजीत भगत :- वह तो आप बोल रहे हैं तो समर्थन करना ही है, जब आम सहमति बन गई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपका वर्सन तो एक ही है ।

श्री अमरजीत भगत :- हां, हमारा ठीक है ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप पहले श्री जोगी जी को नेता मानते थे, आजकल आप श्री भूपेश जी की जय बोल रहे हो । आपके वर्सन समय-समय पर बदलते क्यों हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा है कि आपके भी वर्सन समय-समय पर बदलते हैं न ? हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी में जो रहेगा, वह हमारा नेता रहेगा।

श्री राजेश मूणत :- ये दोहरी सदस्यता का मामला नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री अमरजीत जी, कौन सी कांग्रेस, जनता कांग्रेस कि...? (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठिए तो ।

श्री अरूण वोरा :- श्री शिवरतन जी, कांग्रेस केवल एक ही कांग्रेस है, कांग्रेस दो हो ही नहीं सकती ।

श्री अमरजीत भगत :- हमारी तरफ का मामला तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है ? किसके यहां क्या सब्जी बन रही है, क्या खाना बन रहा है, इसकी आप लोग बहुत जानकारी रखते हो । श्री अमर जी, दूसरे के घर में ताकना-झांकना बंद करिए, ये ठीक आदत नहीं है ।

श्री राजू सिंह क्षत्री :- ये व्यवहारिकता है ।

श्री अमर अग्रवाल :- ताका-झांकी नहीं, बल्कि आपके जो वर्सन बदलते हैं, तो समय के अनुसार कैसे वर्सन बदलते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा था ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें तो आप लोग माहिर हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इस देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो उसकी एक विश्वसनीयता होती है, लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन लोगों को जो ठगने का काम

चलता है, वह ठीक नहीं है । उन्होंने क्या-क्या वायदा किया था कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे । क्या उन्होंने किया ?

श्री राजेश मूणत :- आप बोल रहे हो तो ये बताओ कि समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है ? आज इसी विषय में आज बहस हो जाये। आप बताओ कि इसका मतलब क्या है ?

श्री अमरजीत भगत :- आपको जो भी लाईसेंस मिलता है, उसमें जम्मू-काश्मीर को छोड़कर लिखा रहता है। क्या आप उसका मतलब समझते हैं ? (हंसी) जम्मू-काश्मीर में जो चीज लागू नहीं है, वह यहां है। इसलिए आपने समान नागरिक संहिता का जो ढिंढोरा पीटा था ।

श्री राजेश मूणत :- आपका उत्तर श्री मोहले जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता । मैं भी आज हार गया हूं । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- जम्मू-काश्मीर की जो बात है ।

सभापति महोदय :- कृपया सब्जेक्ट पर बोलिए ।

श्री अमर अग्रवाल :- इस संविधान संशोधन में कहीं लिखा हुआ है कि जम्मू-काश्मीर को छोड़कर ?

श्रीमती यादव

श्रीमती यादव \22-08-2016\e10\02.45-02.50

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल)- क्या इस संविधान संशोधन में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर के कहीं लिखा हुआ है?

सभापति महोदय - विषयांतर न हो, सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री अमरजीत भगत - मैं यह नहीं बोल रहा हूं, मैं तो यह बोल रहा हूं कि अभी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को इसमें छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया है। आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जिसको छोड़कर जहां जी.एस.टी. लागू नहीं होगा।

श्री अमर अग्रवाल - पढ़ लो, मैंने यह कहा है कि जी.एस.टी. कौंसिल कुछ नियमों में उन 8 राज्यों के लिये अलग से विधि बनायेगी। मैंने यह नहीं कहा है कि उनको छोड़कर।

श्री अमरजीत भगत - वही तो बोल रहे हैं कि आखिर क्यों।

श्री अमर अग्रवाल - परिस्थिति अनुसार ।

श्री अमरजीत भगत - जब आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। पूरे देश में एक कानून लागू होगा। जम्मू-कश्मीर में 370 धारा जो है उसको समाप्त करेंगे, यह आप लोग बड़े चिल्ला-चिल्लाकर बोले थे अब क्या हो गया।

श्री कवासी लखमा - 370 तो कर नहीं पाये, दो महीने से वहां खाना ही नहीं मिल रहा है।

श्री अमरजीत भगत - तो आपकी बात में कोई विश्वसनीयता नहीं रह गयी है।

श्री देवजी भाई पटेल - आप श्री राहुल गांधी जी को बोल दीजिये की धारा 370 समाप्त कर दिये उसका समर्थन करना है, कर देंगे।

श्री अमरजीत भगत - नहीं, यह तो हम कभी बोले नहीं हैं। वह तो आप लोगों का वक्तव्य था, आप लोग बड़े जोर-शोर से इस आवाज को उठाये थे, यह नारा दिये थे लेकिन आज सरकार में आने के बाद आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो गयी है। देश की स्थिति क्या है, आप बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तानी हमारे एक जवान को मारते हैं तो हम 10 जवानों को मारकर लायेंगे। यह किनका वादा था।

श्री कवासी लखमा - श्री भगत जी, पूरे हिन्दुस्तान में चंदा इकट्ठा किये कि राम मंदिर बनेगा, अभी कहां गया।

सभापति महोदय - श्री अमर जी, सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री अमरजीत भगत - सभापति महोदय, जी.एस.टी. लागू होने से हमको लगभग 1000 करोड़ का नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई किसको-किसको करनी पड़ेगी यहां के जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर बोझ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्माः- श्री भगत जी, आपने प्रारूप तो पढ़ा नहीं है। 5 साल तक पूरी भरपाई केन्द्र सरकार उसमें करने वाली है।

श्री अमरजीत भगत - माननीय शिवरतन शर्मा जी, 5 साल के बाद क्या होगा।

श्री शिवरतन शर्मा - 5 साल बाद उस पर फिर से विचार किया जायेगा।

श्री कवासी लखमा - श्री शिवरतन शर्मा जी, यह जो धान का बोनस है न उसको मोदी नहीं दिये ये क्या कर लिये। अब ये भी नहीं देगा तो क्या कर लेंगे बताईये।

श्री अमरजीत भगत - माननीय सभापति महोदय, इसको तो पास करना ही है लेकिन हमारी जो चिंताएं हैं इस प्रदेश के आम लोगों की जो परेशानी बढ़ने वाली है, उनके ऊपर अधिभार बढ़ने वाला है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) - माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कम से कम विषय को तो सभी को बता दीजिये कि हम अनुसमर्थन कर रहे हैं करके। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत - माननीय सभापति महोदय, विषय क्या है। जी.एस.टी. पास करना है और उसमें विषय क्या है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत):- अच्छा जी.एस.टी. का फुलफार्म क्या है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. का फुलफार्म होता है गुड सर्विस टैक्स । देखिये आप तो व्यापारी आदमी हैं, आपको इन सबसे लेना देना है । हम लोग तो किसान आदमी हैं, किसानों से संबंधित कौन सा खाद-बीज है तो वह हम लोग बतायेंगे । लेकिन उसको भी जी.एस.टी. के दायरे में ले आये हैं ।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत जी, समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, किसानों को, जंगल में रहने वाले उन आदिवासियों को जो फॉरेन प्रोड्यूज करने वाले हैं उनके ऊपर कोई अधिभार नहीं पड़ना चाहिये । यहॉ के छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर इसका भार नहीं पड़ना चाहिये बाकी इसको पास करने के लिये तो हम लोग समर्थन दे ही रहे हैं । धन्यवाद ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, आज हम छत्तीसगढ़ की विधान सभा में एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर अनुसमर्थन करने के लिये खड़े हुये हैं । जिसके लिये विशेष सत्र बुलाया गया है । श्री अमर अग्रवाल जी ने उस एक सौ बाईसवें संशोधन पर अनुसमर्थन करने के लिये आज यहां पर प्रस्तुत किया है । भारत का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि हमारे वेद काल से, हमारे महाभारत काल से, हमारे उपनिषद् काल से हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जानते हैं, हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को जानते हैं, हम अरस्तू को जानते हैं और हमारे देश में कभी भी राजाओं ने, हमारे शास्त्रों ने टैक्सेशन के बारे में बहुत अच्छे उदाहरण दिये हैं । हमारे देश में हमेशा कभी भी ऐसे टैक्सेस नहीं लगाये गये कि जनता के ऊपर में भार पड़े और टैक्सेस इसलिये लगाये गये कि जनता का कल्याण हो सके और आज हम इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहते हैं

कि जिन हमारे शास्त्रों से ले जाकर विदेशों ने टैक्स की पद्धति को अपनाया ।.....जारी

श्रीमती यादव

यादव \22-08-2016\e11\02.50-02.55

.....(जारी श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- कि हमारे जिन शास्त्रों को ले जाकर विदेशों ने टैक्स की पद्धति को अपनाया आज देश के आजाद होने के 70 साल बाद हम लोग इसको अपना पा रहे हैं और इसकी पहल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की । (मेजों की थपथपाहट) हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं । यह भारत की मूल सोच, भारत की परम्परा रही है, भारत के वेद, पुराण रहे हैं, ऋषि रहे हैं । हमने चाण्क्य को पढ़ा है जो एक ऐसे राजा थे जब वह खुद का काम करते थे तो अपने सरकारी दीये को बुझा देते थे और फिर वह अपना निजी दीया जलाते थे उससे वह अपना काम करते थे । हम ऐसे देश के रहने वाले लोग हैं । इस देश में जब टैक्सेशन के बारे में चर्चा हो तो इसके बादे में निश्चित रूप से हम सबको क्योंकि मैं भूपेश जी और बाकी लोगों को भी सुना, सब लोगों ने इतनी सारी शंकाएं जाहिर कीं । यह तो एक एक्ट का हमारे सामने प्रस्तावित मॉड्यूल है । इसमें कितने चैंजेस होंगे । इसमें कितने प्रकार की गतिविधियां चलेंगी । इसमें बहुत सारे ऑब्ट्रेक्शन्स आएंगे । इसिलए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें राज्यों के मंत्री होंगे, केंद्र के मंत्री होंगे । वह बैठकर इसको डिसाईड करेंगे । इसका रिजोलेशन करेंगे । इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि देश के इतिहास में एक महाप्रयोग हिंदुस्तान में हो रहा है जिससे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान मिल सकता है ।

श्री अमरजीत भगत :- जब हम लोगों ने पेश किया था उस समय आप लोगों ने इस महाप्रयोग का क्यों विरोध किया था ? (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- ये लोग बोलेंगे तो ठीक होगा, हम लोग बोलेंगे तो गलत होगा । इसलिए आपत्ति करते हैं । हमारे विद्वान मंत्री यह भी बोलें कि उस समय मोदी जी ने क्यों विरोध किया ? उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे अब प्रधानमंत्री बन गए तो राजा हो गए ।

सभापति महोदय :- लखमा जी, इसके बाद आप बोलेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, विश्व के 160 से ज्यादा देश इस पद्धति को अपना रहे हैं । 160 से ज्यादा देशों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर

भारत में जी एस टी का संशोधन विधेयक लाया गया है । इसलिए मुझे लगता है कि 160 देशों का जो अनुभव है वह भारत के लिए बहुत उपयोगी होगा और आने वाले समय में इसके माध्यम से ...।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, पहले मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तो विदेश नहीं जाते थे अब विदेश जाते हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय लखमा जी, इसके बाद आपको बोलना है । आप उस वक्त अपनी बात कहिएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बार बार सदस्य कह रहे हैं कि हम लाए थे तो क्यों विरोध किया । यदि माननीय सदस्यों को जानकारी हो तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में इस देश को रोशन किया, जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके देश की ताकत बढ़ाई, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार इस देश में जी एस टी लाने की कल्पना की थी । (मेजों की थपथपाहट) उनकी कल्पना के आधार पर सब आगे बढ़े । सन् 2000 में उन्होंने केलकर कमेटी बनाई, 2003 में केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय कृषि मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका नाम आप ले रहे हैं उनकी भतीजी का क्या हाल किया । दूध में से मक्खी निकालकर किनारे करते हैं वैसा कर दिया । कम से कम कुछ तो ख्याल रखा होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, उनकी यह कल्पना थी, उनकी यह सोच थी। उन्होंने पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ाया और उन्होंने ही केलकर कमेटी बनाने के बाद 2003 में केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, 2004 में लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, 2008, 2009 में प्रस्तुत हुआ, 2010 में इसका ड्राफ्ट आया और उस समय तक सहमति नहीं बना पाए । हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री अरूण जेटली जी को धन्यवाद देते हैं कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के 125 करोड़ जनता के बारे में सोच रही है और उन्होंने आम सहमति बनाई । (मेजों की थपथपाहट) आप लोगों ने आम सहमति क्यों नहीं बनाई ? परिवर्तन के मामले में यदि बी जे पी ने सुझाव दिए थे आपने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया ?

श्री अमरजीत भगत :- उस समय हम लोगों ने कोशिश की थी लेकिन आप लोग नहीं माने । कृषि मंत्री जी, अभी तो किसान लोगों को भी उस दायरे में ले आया गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करें । जब टीम इंडिया की बात करते हैं तो सबको साथ में लेकर चाहे वह प्रतिपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि इस देश का विकास करना। इस देश की आम जनता के जीवन में खुशहाली लाना ।

श्री अमरजीत भगम :- आप टीम इंडिया की बात करते हैं ।

सभापति महोदय :- भगत जी, माननीय को बोलने दीजिए ।

श्री देवजी भाई पटेल :- मैंने पहले ही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास ।

श्री अमरजीत भगत :- आप एक तरफ बोलते हैं कि टीम इंडिया की तरह काम करेंगे दूसरी तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त राष्ट्र बनाएंगे । दोनों बात एक साथ कैसे होगी ? (हंसी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\e12\.-.5

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, ऐसा है कि टीम इंडिया के साथ काम करते-करते कांग्रेस को साफ कर देंगे। (हंसी) एक देश एक टैक्स का जो नारा है वह वर्षों से चलता रहा परंतु आज देश की आजादी के 70 सालों के बाद भी कोई उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। अगर कोई इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर पा रहे हैं। आपको उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है। समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत यह नारा कभी आपने नहीं दिया। यह नारा किसने दिया? मेक इन इंडिया यह नारा किसने दिया? स्किल इंडिया यह नारा किसने दिया? डिजिटल इंडिया यह नारा किसने दिया? स्वच्छ भारत का नारा किसने दिया? स्वस्थ भारत किसने दिया? मुद्रा योजना किसने शुरू की? उज्जवला योजना किसने शुरू की? सबका घर हो यह किसने शुरू किया? और एक देश एक टैक्स का नारा देने वाले भी कोई हैं तो इन सब नारों के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं जो इस देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- ये तो क्या है कि जिन्दगी में गांधी, नेहरू परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाये। उससे आगे बढ़ ही नहीं पाये। हर योजना उनके नाम पर। नेहरू परिवार के आगे जो रहा, नहीं रहा, वर्तमान, पूर्व, आने वाले उसके नाम पर। इसीलिए जनता ने बिठा दिया। जनता की योजना चल रही है जिसे वह गिना रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी आज आप मंत्री बने हैं अगर गांधी जी नहीं रहते, इस देश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ते, तो तुम्हारे जैसे नेता बनते क्या? उनको तो भगवान आपको मानना ही है। देश के लोग राष्ट्रपिता महात्मागांधी मानते हैं। उस परिवार के जो लोग हैं उनको मानना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हैं, राजीव गांधी इस देश के लिए मरे हैं, तुम्हारा कौन आदमी मरा है इसे बताओ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कवासी जी, आज मैं महेश गागड़ा जी को कारण बताओ नोटिश जारी करूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आपको हम लोग कारण बताओ नोटिश जारी करेंगे कि हमसे पूछे बिना क्यों गये थे।

श्री अमरजीत भगत :- जीएसटी से किसानों की समस्या बढ़ेगी या नहीं, उनको इस दायरे में रखा गया या नहीं हमारी यह चिन्ता दूर करिये?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह विधेयक सबसे पहले 6 मई, 2015 को लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित होने के बाद 3 अगस्त, 2016 को यह राज्यसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी क्योंकि वह यह चाहते थे कि इस देश का विकास होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है, उन्होंने कांग्रेस की जो आपत्तियां थीं, बाकी दलों की जो आपत्तियां थीं उनको साल्व किया और साल्व करके सबकी सहमति बनाई। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अगर इस देश के विकास के लिए विपक्षी दल के नेताओं से बात करना पड़े तो वह बात करने के लिए भी तैयार हैं। आपने 70 सालों में यह काम कभी नहीं किया। उन्होंने सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने जो आपत्तियां उठाईं उसका निराकरण करने की कोशिश की और उनको सहमत करवाया और उनको सहमत करवाने के बाद लोकसभा में 03 अगस्त,

2016 को यह पास हुआ और 03 अगस्त, 2016 को पास होने के बाद 08 अगस्त, 2016 को यह लोकसभा में संशोधन के रूप में पारित हो गया। कभी आपकी सरकार में किसी भी मामले में यह स्पीड दिखाई दी है?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भेजा था। यह तो दिलेरी दिखाया था न कि विपक्ष के लोगों को भी हम विश्व सम्मेलन में भेज सकते हैं।

श्री देवजीभाई पटेल :- (XX)

श्री शिवरतन शर्मा :- पहला तो यह सुधार लो कि इंदिरा जी ने नहीं भेजा था नरसिंहराव जी ने भेजा था।

सभापति महोदय :- जो माननीय पटेल साहब ने कहा वह विलोपित कर दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह विपक्ष के नेता की महानता थी कि विपक्ष में रहते हुए भी देश का पक्ष रखने गये।

श्री अरूण वोरा :- देवजी भाई, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने तो इंदिरा गांधी जी को साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। उसको भूल गये आप?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम गांधी जी को भी नमन करते हैं, हम इंदिरा गांधी जी को भी नमन करते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह दिवंगत हैं। हम उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहते। उनके बारे में तो आप ही बार-बार यहां पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने अगर अच्छे काम किये तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। परंतु आज जितने अच्छे काम हो रहे हैं आपने उन्हें इन 70 सालों में नहीं किए। मैंने इतने सारे मुद्दे गिनाये आपने इतने सालों में क्यों नहीं किये? आज ये बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं कि स्टेट में ऐसा हो जायेगा, स्टेट में ऐसा हो जायेगा, स्टेट में ऐसा हो जायेगा, जब आपको एक्ट में इस बात की जानकारी है कि एक सेन्ट्रल जीएसटी होगा, एक स्टेट जीएसटी होगा और एक इंटरस्टेट जीएसटी होगा। तीन प्रकार के टैक्स होंगे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपनी जीएसटी अलग लेगा।

श्री कुरैशी

समय

3.00बजे

जारी....श्री बृजमोहन अग्रवाल :-

3 प्रकार के टैक्स होंगे । सेंटर गवर्नमेंट अपना जीएसटी अलग लेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना जीएसटी अलग लेगा, दो राज्यों के बीच में माल की आवाजाही होगी, उसके बारे में सेंटर गवर्नमेंट जीएसटी लेगा और संबंधित राज्यों को बराबरी में बांट देगा । जब इन सब बातों का यहां उल्लेख है, आप यहां जितने प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें लोक सभा में भी उठाया गया था । आज कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं ? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज के लिए टिन नम्बर लेना पड़ता है, सेल टैक्स नम्बर लेना पड़ता है, सर्विस टैक्स नम्बर लेना पड़ता है । लेकिन इसके बाद केवल एक रजिस्ट्रेशन, एक नम्बर लेना पड़ेगा । क्या इससे देश का विकास नहीं होगा ? क्या इससे उद्योगपतियों को फायदा नहीं होगा ? व्यापारियों को फायदा नहीं होगा ? किसानों को फायदा नहीं होगा ? हम अन्य राज्यों में जाते हैं तो स्टेट का वैट टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है, परचेस टैक्स देना पड़ता है, इंटरटैनमेंट टैक्स देना पड़ता है, लग्जरी टैक्स देना पड़ता है, एंट्री टैक्स भी देना पड़ता है इसके अलावा बहुत से राज्यों में लोकल टैक्स है, कहीं पर चूंगी कर है । इन 10 प्रकार के टैक्सों की जगह केवल जीएसटी देना होगा । क्या इससे जनता को सुविधा नहीं होगी ? पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- पीछे जो मूणत जी बैठे हैं, उनका टैक्स आपने इन्क्लूड नहीं किया है । उनका टैक्स साइलेंट है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी भूपेश जी बात कर रहे थे । अभी हमारे यहां के व्यवसायियों को लगभग 25 विवरणियां भरनी पड़ती हैं । 20 प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं । अब जब जीएसटी आ जाएगा तो हर महीने एक विवरणी और साल के अंत में एक विवरणी, इस प्रकार कुल 13 विवरणी भरनी होगी और 20 प्रकार के टैक्स के बदले केवल एक टैक्स देना होगा । इससे लोगों को सुविधा मिलेगी । परंतु आप इस बारे में सहमत होने के लिए तैयार ही नहीं हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- पहले साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ता था, अब हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- साल में नहीं भरना पड़ता था, 3 महीने में भरना पड़ता था और तीन महीने में 25 प्रकार के भरने पड़ते थे । अब एक महीने में एक प्रकार का भरना पड़ेगा तो उनको विवरणी भरने में बहुत आसानी होगी । यदि विवाद होगा तो कैसे निकलेगा ? माननीय अरूण जेटली जी ने लोक सभा में जवाब देते हुए कहा कि विवाद रिड्रेसल के माध्यम से टेक्सेशन पावर ऑफ जीएसटी कौन्सिल में रखा जाएगा । कौन्सिल तय करेगी कि किस प्रकार से विवाद का निराकरण किया जाएगा । इसलिए मंत्रियों की और केन्द्र सरकार की जो कमेटी बनाई गई है वह कमेटी इन सब बातों को तय करेगी । हमारे भूपेश बघेल जी ने पूछा कि कृषि पर टैक्स लग जाएगा, कृषि उपकरणों पर टैक्स लग जाएगा । हमारे वाणिज्यिक कर मंत्री जी ने कहा कि कंज्यूमर प्राइज इंटेक्स के बास्केट के 54 प्रतिशत आइटम ऐसे हैं जो इन्डायरेक्ट टेक्सेशन से बाहर हैं । शायद, वे जीएसटी में भी बाहर रहेंगे, ये उन्होंने जवाब में कहा है । बकाया में से अधिक आइटम ऐसे हैं जो लोवर टैक्स रेट में आते हैं । 12-13 प्रतिशत ही ऐसे आइटम हैं जो स्टेंडर्ड रेट में आएंगे । आज के समय में जीएसटी लगने के बाद भी 85 प्रतिशत आइटम ऐसे होंगे जो इस रेट के अंतर्गत नहीं आएंगे । जिसको लिए अलग से रेट तय होगा । जिसके लिए छूट तय होगी । इस बात का जवाब उन्होंने लोक सभा में दिया है । मैं इसका जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि जीएसटी के बाद कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो टेक्सेबल नहीं होंगे । ऐसे कई होंगे जिन पर टैक्स कम लगेगा । जो आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट पढ़ी है, कई होंगे जिन पर स्टैंडर्ड टैक्स रहेगा । स्टेंडर्ड के ऊपर वे होंगे जिन्हें हम डी-मैडिट गुड्स कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए खराब हैं, स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, या लग्जरी आइटम हैं । बीएमडब्ल्यू गाड़ी और हवाई चप्पल दोनों पर एक जैसा टैक्स नहीं होगा । यह जवाब उन्होंने लोक सभा में दिया है । एक जैसा टैक्स नहीं लग सकता और एक जैसा टैक्स लगेगा भी नहीं । इसलिए अलग-अलग स्लैब होंगे । उन्होंने कहा है कि उस न्यूट्रल रेट में से अगर हम एक अंक मानकर उसको तीन हिस्सों मं बांट दें कम दर वाला कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रेट वाला कौन सा होगा और ज्यादा दर वाला कौन सा होगा, ऐसी तीन कैटेगरियां फिक्स की जाएंगी । उन तीन कैटेगरियों के आधार पर टेक्सेशन होगा । इसलिए मुझे लगता है कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । उनका यह कहना है कि 85 प्रतिशत आइटम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । हमारे टेक्सेशन मंत्री भी उस कमेटी के मेम्बर हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी उसमें मेम्बर

होंगे । वे लोग इस बात को उठाएंगे । जब कौन्सिल बना रहे हैं तो उस कौन्सिल पर विश्वास करने की आवश्यकता है । आज 80 प्रतिशत आइटम्स पर केन्द्र.....जारी

समय

03.05 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.

अग्रवाल\22-08-2016\e14\03.05-03.10

जारी....श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज 80 प्रतिशत आइटम्स पर केन्द्र 12.50 प्रतिशत टैक्स लेता है, 60-62 प्रतिशत आईटम पर जो राज्य वेट लेते हैं, वह 14.50 प्रतिशत है और 27 प्रतिशत तक टैक्स होता है, परन्तु अब वह कम हो जायेगा । यह अरूण जेटली जी कह रहे हैं । उसमें छोटे टैक्स जोड़ लीजिए, धीरे-धीरे इसे कम करेंगे। कम क्यों होंगे, तीन कारणों की वजह से कम होंगे । सिस्टम में इफीशिएंसी आयेगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा, उसके अतिरिक्त कहीं लो टैक्सेशन आईटम होंगी, जिनकी वजह से एवरेज नीचे आयेगी । उन्होंने इस बात को लोकसभा में जवाब देते हुए कहा है । जहां तक विवाद आएंगे, विवाद के बारे में कहा है कि कौंसिल के अंदर इसका कैलकुलेशन करेंगे और वह कैलकुलेशन हम लोगों के सामने आयेगा । हमारे पास अधिकार होगा कि हम किस प्रकार कानून बनाते हैं । कौंसिल को यह अधिकार होगा कि संविधान संशोधन का जो विषय है, उसके बारे में वे बताए तो कौंसिल को पूरी तरह इम्पावर किया गया है इसलिए किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है । सब चीजों के समाधान के बारे में आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब जानकारियों के बाद आप लोगों के पास बोलने के लिए और कुछ बचेगा नहीं । इस संविधान संशोधन के मुताबिक जीएसटी कौंसिल ड्राफ्ट बनायेगी, सरकार भी नहीं बनायेगी, जीएसटी कौंसिल इस ड्राफ्ट को बनायेगी । जिसमें आपके भी वित्त मंत्री होंगे, आपके राज्य के भी प्रतिनिधि होंगे, वह कौंसिल इसका ड्राफ्ट बनायेगी और ड्राफ्ट केन्द्र सरकार के पास आयेगा । ड्राफ्ट राज्यों के समक्ष जाएंगे, जो ड्राफ्ट बनेगा, वह राज्यों में भी आयेगी इसलिए सेन्ट्रल आईजीएसटी का ड्राफ्ट होगा, वह पार्लियामेंट में आयेगी, जो जीएसटी का होगा, वह सभी विधान सभाओं में आयेगा इसलिए जब तब हमारे राज्य में भी जो स्टेट जीएसटी आयेगा, उसके एक्ट हमारी विधान सभा में फिर से आएंगे और उसके ऊपर में चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद में हम तब तक उसको पास नहीं करेंगे, जब तक वह टैक्सेशन लागू नहीं होगा इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता में आप लोगों के द्वारा भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो पैनिक करने की कोशिश की

जा रही है, उसको आपको बंद करना चाहिए, वोट की राजनीति को बंद करना चाहिए । ये जो जीएसटी संशोधन प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव इस देश के भले के लिए आया है, इस देश के उत्थान के लिए आया है, ये इस देश में गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं के लिए, ज्यादा पैसा इकट्ठा करके उनका विकास हो सके, सड़कें बन सकें, रोड़ बन सकें, पुलिया बन सकें, स्कूलें बन सकें, अस्पताल बन सकें, लोगों को बैंकों से लोन मिल सके, इसके लिए जीएसटी बिल आया है और मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से जैसा आपकी पार्टी ने लोकसभा में, राज्यसभा में समर्थन दिया है, वैसा समर्थन तो आप देंगे, परन्तु आपको लग रहा है कि जीएसटी आ गया तो हमारी जमीन खिसक जायेगी और इसलिए कुछ लोगों को साथ में लेने के लिए विधान सभा में आप जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण को जरा संतुलित रूप में दीजिए । लोगों को डराने, धमकाने, भयभीत करने की कोशिश मत करिए । मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है । हमारा भी उसमें प्रतिनिधित्व होगा । जहां पर भी छत्तीसगढ़ का अहित होगा, उस अहित को हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे । जो छत्तीसगढ़ के हित में होगा, वही यहां पर होगा, इस बात का मैं इस सदन को विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है कि जीएसटी क्या होता है (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चेप्टी के बारे में मालूम है कि नहीं ।

श्री कवासी लखमा :- चेप्टी के बारे में मालूम नहीं है...

श्री अमरजीत भगत :- जीएसटी से सब महंगा होने वाला है ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलकर इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तिल का ताड़ बनाना आता है, हम लोगों को तो नहीं आता । अगर जीएसटी में किसी ने विचार किया है तो तात्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने इसको लोकसभा में पेश किया था । अभी माननीय कृषि मंत्री वर्तमान केन्द्रीय वित्त मंत्री का भाषण पढ़कर बढ़िया बोल रहे थे । हम लोग इसमें कितना भरोसा कर सकते हैं । पहले कुछ बोला है, अभी कुछ बोल रहे हैं । देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने सब लोगों को कहा है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा,

125 करोड़ लोगों ने सुना है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो अच्छे दिए आएंगे, काला धन वापस लाएंगे । आज हिन्दुस्तान में 70 साल में दाल का रेट 100 रूपये कभी नहीं हुआ था

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\e15\03.10-03.15

जारी...श्री कवासी लखमा- हिन्दुस्तान में 70 साल के इतिहास में दाल का रेट 100 रुपये किलो कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार मोदी सरकार के आने के बाद दाल का रेट 200 रुपये किलो हो गया है। मुर्गा का रेट 80 रुपये हो गया।(हँसी) इसलिए हम लोगों को डर लगता है कि अगर यह बिल आयेगा तो कहीं बड़े व्यापारी जैसे अडानी, अम्बानी को लाभ हो और बस्तर-सरगुजा में रहने वाले छोटे व्यापारी झोला पकड़कर कर दर-दर भटके। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी होगी। हमारे लोग, हमारी पार्टी यही सोचती है। फिर भी हमारे नेता सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी ने इस बिल का समर्थन किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल- दादी, चोनिया गांधी की सोनिया गांधी?(हँसी)

श्री कवासी लखमा- सोनिया गांधी इस देश की नेता है, उन्होंने समर्थन किया है, हम भी समर्थन करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर- दादी, प्रदेश में कौन नेता? देश में सोनिया गांधी और प्रदेश में?

श्री कवासी लखमा- इसको अभी नहीं बताऊंगा। (हँसी) बाद में जब हम लोग अलग से बैठेंगे तब बताऊंगा। (हँसी) अध्यक्ष महोदय, यह बिल लोक सभा और राज्य सभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है तो हमको भी यहां पास करना है। हम भी समर्थन देंगे। लेकिन यही शंका है कि जिस प्रकार दाल का रेट 70 रुपये से बढ़कर आज 200 रुपये हो गया है, अच्छे दिन में कालाधन न आए, लोग आधार कार्ड को लेकर परेशान हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार इस बिल के आने के बाद लोग परेशान न हों। मैं भी ग्राम का सरपंच रहा हूं, आज ग्राम का सरपंच ठीक से सो नहीं पा रहा है। अगर बाथरूम नहीं बनेगा तो सरपंच को सस्पेंड किया जायेगा, जेल भेजा जायेगा, यह वातावरण पूरे बस्तर में बना हुआ है। बाथरूम बनाने के लिए जो बारह हजार रुपये मिलता है, उसमें से छह हजार रुपये अभी मिलेगा फिर बाथरूम बनने के बाद 12 महीने के बाद शेष छह हजार रुपये मिलेगा। लेकिन आदिवासी सरपंच टोरा, महुआ बेचकर, उसका धंधा करने वाला आदमी है, उसके पास कहां से पैसा आयेगा? व्यापारी सीमेंट देना बंद कर दिये हैं। इसी

प्रकार हमारे छोटे व्यापारी, हमारा किसान, हमारे यहां टोरा-महुआ फ्री है, तेन्दूपत्ता फ्री है, चिरौंजी फ्री है, ये अगर टैक्स में आयेगा तो उस ग्राम में रहने वाले लोगों को, उस गांव में रहने वाले गरीब, किसान और मजदूर का क्या होगा ? सरकार इन लोगों के प्रति ध्यान रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि इस जीएसटी बिल को विश्व के जिन देशों ने अपने यहां लागू की है, वहां उन्हें घाटा हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर- दादी, माननीय अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से आप नेता प्रतिपक्ष जी से या माननीय बृजमोहन जी से पूछिये या अमरजीत जी से कि जीएसटी का दंतेवाड़ा, कोंटा में क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री कवासी लखमा- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी भी जानते हैं, सब जानते हैं कश्मीर की तरह जगरगुण्डा में भी चावल नहीं पहुंचता है। अगर जीएसटी बिल लागू होगी तो उधर और फर्क पड़ेगा। चावल नहीं पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल में गरीब को लाभ मिले। मुर्गा, अण्डा जो गरीबों के खाने की चीजें हैं, इस पर भी टैक्स लगायेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में, दुनिया में जहां-जहां जीएसटी लागू हुई है, वहां की सरकार सत्ता से बाहर हुई है। यह यहां भी होने वाला है। अगर सही ढंग से लागू होगी तो ठीक है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि 5 साल केन्द्र सरकार देगी। 5 साल के बाद क्या होगा? वर्तमान वित्त मंत्री और अभी कृषि मंत्री पढ़ रहे थे, उस समय कितना विरोध किये थे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कम होता है क्योंकि लोग डरते हैं। दूसरी बात पूरे हिन्दुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईंट/पत्थर इकट्ठे हुए थे। कसम खाते हैं कि मंदिर वहीं बनायेंगे। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता आयी तो कहने लगे कि दिल्ली में सत्ता आने पर करेंगे। दिल्ली में बार बार सरकार आयी, वह राम मंदिर गोल हो गया? इसी प्रकार इस बिल में अगर आम आदमी,....

जारी....श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\e16\03.15-03.20

जारी श्री कवासी लखमा :- ये जो बिल में अगर आम आदमी को, आम किसान, छोटे व्यापारी को बोझ डालकर, ये टांय-टांय फिस हो जाएंगे तो आम किसान, आम व्यापारी इसमें डूब जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस बात को ध्यान दें कि ये जो बिल

है। मेरी समझ में मोटा-मोटा आ रहा है कि इससे बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, अरबों रूपयों के व्यापार वालों को फायदा होगा लेकिन टोरा महुंआ बेचने वाला, किराने दुकान में बेचने वाले, चना मुर्रा बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, इन व्यापारियों को नुकसान नहीं हो, अगर भारत सरकार उसको ध्यान में रखे इसलिए आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छी बात की हमेशा पक्षधर ही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कम्प्यूटर बिल, फोन का बिल लाया था, उस समय भी सरकार ने विरोध किया था लेकिन आज माननीय राजीव गांधी जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज उस फोन के माध्यम से अमेरिका में रह कर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अच्छा काम हो तो अच्छा लगेगा। पंचायती राज का कानून माननीय राजीव गांधी जी ने देश में पहली बार लाया था, उसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने लागू किया। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बिल को लाया था, अगर मोदी साहब इस बिल को पास करेंगे तो अच्छा होगा तो सब लोग बधाई के पात्र होंगे। अगर गरीब लोग, छोटे व्यापरियों, किसान, मजदूरों के घाटे का व्यापार होगा तो ये काला कानून होगा। इसलिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमित अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की संसद ने जो संशोधन विधेयक इस सदन को भेजा है उसमें दो अहम प्रश्नों का जवाब हमें मिल गया है। पहला प्रश्न हमारे राष्ट्र की संज्ञीय व्यवस्था पर केन्द्रीत है। ये कोई नया विधेयक पारित नहीं हो रहा है। ये जो हमारे भारत के संविधान है उसमें संसद चाहती है कि हम बदलाव करें। अध्याय 11 में केन्द्र और राज्यों के बीच की शक्तियों को पारिभाषित किया गया है। भारत की संसद ये चाहती है कि राज्य अपनी वित्तीय शक्तियां त्याग कर उसे एक परिषद्, जीएसटी परिषद को सौंप दें। दूसरा प्रश्न टैक्सेसन पर आधारित है, कर प्रणाली पर आधारित है कि क्या टैक्स उत्पादन पर लिया जाएगा या उपभोग पर लिया जाएगा। प्रोड्क्शन को टैक्स किया जाएगा या कंजम्पशन को टैक्स किया जाएगा और इसका भी जवाब सदन ने दे दिया। उपभोग को, कंजम्पशन को टैक्स किया जाएगा। दोनों प्रश्नों का जो जवाब हमारी संसद ने हमें भेजा है, वह छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। हम सब को मालूम है कि हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, वह प्रोड्क्शन आधारित है, उपभोग आधारित नहीं है। जुलाई और दिसम्बर 2014 के बीच में

छत्तीसगढ़ और दूसरे उत्पादन वाले राज्यों ने ये मांग रखी कि उत्पादन पर 1 प्रतिशत टैक्स होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया । आज मैं बैठे सुन रहा था, बातें हो रही थी .....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\e17\03.20-03.25

पूर्व जारी.. श्री अमित अजीत जोगी :- लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। आज मैं बैठे सुन रहा था, बातें हो रही थीं। इस तरफ के लोग दाल फ्राई की बात कर रहे थे, इस तरफ के लोग दाल तड़के के बात कर रहे थे, लेकिन जो दाल छत्तीसगढ़ की जनता को परोसी जा रही है, वो वही दाल है। जब उत्पादन आधारित राज्यों ने मांग करी कि 1 परसेन्ट उत्पादन पर टैक्स होना चाहिए ताकि हमारे जैसे प्रदेशों का जो उपभोग आधारित नहीं हैं, उत्पादन आधारित हैं, उनका नुकसान न हो। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए जो 1 परसेन्ट टैक्स लगाने का प्रावधान था, उसका हटा दिया गया। जिस दिन जी.एस.टी. टैक्स लागू होगा, उस दिन सीधे-सीधे, मेरे साथी बोल रहे हैं कि 1 हजारा करोड़ रुपये का छत्तीसगढ़ को नुकसान होगा। ये स्डैण्डर्ड बैंड में 1 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। जो निम्न और उच्च बैंड हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। आज जो प्रदेश को 21 हजार करोड़ रुपये टैक्स के माध्यम से मिलता है जो नई व्यवस्था लागू होगी, मात्र 11 हजार करोड रुपया रहेगा। 10 हजार करोड़ रुपये का सीधा-सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश में उत्पादन ज्यादा है, उपभोक्ता कम है। इसीलिए मैं इस सदन का ध्यान जो हमारे संविधान के निर्माता डॉ.अंबेडकर ने संविधान सभा में कुछ कहा था, उस ओर आकृष्ट करूंगा-

It seems to me that if we permit the sales tax to be levied by the provinces, then the provinces must be free to adjust the rate of the sales tax to the changing situation of the province, and, therefore, a ceiling from the Centre would be a great handicap in the working of the sales tax.

डॉ. अंबेडकर ने राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की बात कही। आज जी.एस.टी. के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्वतंत्रता पर निश्चित रूप से खतरा मंडरा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 20 हजार कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग हैं। ऐसे उद्योग हैं जिनका सलाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये का है और आज हमारी ये विधानसभा उनको टैक्स, एक्साइज ड्यूटी देने से एक्जेम्ट करती है। लेकिन जिस दिन

जी.एस.टी. लागू हो जायेगा, ये जो 20 हजार कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो लघु उद्योग हैं,यह छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जी.एस.टी. से उनको नुकसान न पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव हो, इसका हम सब स्वागत करते हैं, सरलीकरण होना चाहिए। पर कड़ा बदलाव हो, सुधार के नाम पर उद्योगों और व्यापारियों की खाल खींच ली जाय, ये हमें नहीं होने देना चाहिए। शासन के मंत्री जी ने बोला कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी.एस.टी का निर्माण हो गया है। (XX) ये जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग हुई, जी.एस.टी पर बहस हुई, हमारे राज्य के सदन में 16 सांसद गये, संसद में 16 मेम्बर्स हैं।

अध्यक्ष महोदय :- (XX) उसको विलोपित करवा देना।

श्री अमित अजीत जोगी :- क्या किसी ने एक ने भी छत्तीसगढ की बात की? ... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\e18\03.25-03.30

.....जारी श्री अमित अजीत जोगी क्या किसी एक ने भी छत्तीसगढ़ की बात की ? 279 ए, सब क्लाज 2 (जी) में अलग-अलग राज्यों ने कहा कि हमको स्पेशल स्टेटस दी जाए, विशेष दर्जा दिया जाए। क्योंकि हमको जी0एस0टी0 से नुकसान होना है। हमारे संसद के दोनों सदनों में यह मांग तक किसी ने नहीं रखी कि उन 11 राज्यों में एक 12वां राज्य भी जोड़ा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य भी जोड़ा जाए। तो यह जो बात कही जा रही है कि हमें डरने की बात नहीं है, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी0एस0टी0परिषद् के सदस्य होंगे, हमारे राज्य के लिए बात रखेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी राष्ट्रीय दलों को छत्तीसगढ़ और किसी अन्य प्रदेश के बीच में चुनने की बात आई तो उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2002 की बात करता हूँ, जब हमने हमारे किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य मांगा, केन्द्र सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि हम 2100 रूपया समर्थन मूल्य देंगे, केन्द्र सरकार ने मना कर दिया। 1953 में हीराकुण्ड में बांध बना, छत्तीसगढ़ डूबा, 1962 में रिहन्द में बांध बना, छत्तीसगढ़ डूबा। अभी वर्तमान में दो और बांध बन रहे हैं, कन्हार नदी पर बांध बन रहा है उत्तरप्रदेश में, पोलावरम में बांध बन रहा है आन्ध्रप्रदेश में, छत्तीसगढ डूबने वाला है। लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एकतरफा पक्ष दूसरे (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

राज्यों का लिया। अब जब हम महानदी के पानी का उपयोग करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय दल फिर छत्तीसगढ़ का विरोध कर रहा है। तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जी0एस0टी0 में छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। इसीलिए सरकार के मंत्री निश्चित रूप से इस पूरी बहस पर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 14 बिन्दुओं पर, केवल 14 बिन्दुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला- जी0एस0टी0 में मल्टी आडिट का जो प्रावधान है, राज्य भी आडिट करेगा, केन्द्र भी आडिट करेगा, यह पूरी तरह से गलत है। स्टेट अथवा सेन्ट्रल की ओर से आडिट हो गया तो दूसरा कोई आडिट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात- महीने में 4 और साल में 40 रिटर्न भरने के लिए किसी को समय नहीं है। जो बड़े-बड़े औद्योकिगक घराने हैं, उनके पास अलग टैक्स डिपार्टमेंट रहता है, लॉ डिपार्टमेंट रहता है, वे लोग भर सकते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी ऐसा नहीं कर पायेगा। तीसरी बात- सेवा कर में छूट की सीमा 10 लाख अभी वर्तमान में प्रस्तावित है, उसको 50 लाख तक कर दिया जाना चाहिए। चौथी बात- 80 फीसदी से ज्यादा सामान पर 1 से 8 फीसदी तक का जो टैक्स है, लेकिन जी0एस0टी0 के बाद टैक्स जो स्टेण्डअप बैण्ड में 18 फीसदी से ज्यादा हो जायेगा, इससे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, हम इसका भी विरोध जी0एस0टी0 परिषद् में करना चाहिए। पांचवी बात- छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादों सहित तीन सौ से ज्यादा प्रोडक्ट पर आज कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। माननीय वित्तमंत्री जी ने संसद में अश्यारेंस दिया कि 56 आयटम्स को टैक्स ब्रेक्टिस से बाहर रखा जायेगा। परन्तु हमारे प्रदेश में तो तीन सौ आयटम हैं, तो जी0एस0टी0 में यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो वर्तमान में टैक्स एक्जमटेड आयटम हैं, उनको जी0एस0टी0 के दायरे में नहीं लिया जाए। छठी बात- जी0एस0टी0 में एम0आर0पी (मैक्सिम रिटेल प्राइज) पर टैक्स लगेगा, जबकि अभी कई सामान एम0आर0पी0 से आधे दाम पर बिकते हैं। मैं दवाईयों की बात कर रहा हूँ, जेनेरिक मेडिसिन्स की बात कर रहा हूँ। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आम आदमी की जब पर इसका असर न पड़े। सातवीं बात- छोटी से गलती होने पर जो जेल जाने का प्रावधान है, एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी को यह पावर दे दिया गया है कि आप सीधे किसी को जेल भेज दो, इससे निश्चित रूप से व्यापारियों का शोषण होगा और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा, हमें इसका भी विरोध करना चाहिए।

.....जारी श्री श्रीवास

e19/Deepak/3.30-35/22-8-2016

जारी.....श्री अमित अजीत जोगी

बढ़ावा मिलेगा । इसका भी हमें विरोध करना चाहिये । आठवीं बात, जी.एस.टी. में कहीं पर भी व्यापारी परिषद की बात नहीं की । जब यह टैक्स व्यापारियों से लेना है, व्यापारियों को तो सुनना ही चाहिये । उद्योगों से लेना है तो उनको तो सुनना ही चाहिये, जो मंत्री हैं, वह आम जनता के प्रतिनिधि हैं । व्यापारी परिषद का भी प्रावधान जी.एस.टी. में होना चाहिये । इस सदन को विशेष रूप से हमारी संसद को आग्रह करना चाहिये । नौंवी बात, जी.एस.टी. लगे, उन्हीं देशों में विकास हो रहा है, जहां टैक्स रेट, स्टैंडर्ड टैक्स रेट 16 फीसदी से कम है । लेकिन भारत में 18 से 20 प्रतिशत तक टैक्स की जो बात हो रही है, सुब्रमणियम कमेटी की बात हो रही है, कोई भी 18 से कम की बात तो कर ही नहीं रहा है । मैंने आदरणीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव पढ़े हैं । जो उन्होंने इम्पावर्ड कमेटी में रखे हैं । उन्होंने 24 और 27 परशेंट तक की बात बोली है । 18 परशेंट का सीलिंग होना चाहिये । इस बात का एश्योरेंस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि जी.एस.टी. में दोबारा कभी इम्पावर कमेटी में आप लोगों ने बात कही थी, उस तरह की बातें नहीं करेंगे । 18 परशेंट मैक्जिमम हमारी बात होगी । दसवीं बात, ऑन लाईन के साथ-साथ मैन्युअल पंजीयन की भी व्यवस्था होनी चाहिये । या तो आप आवापल्ली और उसूर के जो दूरस्थ गांव है, वहां पर इंटरनेट उपलब्ध कराईये । नहीं तो मैन्यूअल पद्धति को भी लागू रखना पड़ेगा । ग्यारहवी बात, दुकान पर व्यापारी नहीं, लेकिन उसके बाद वहां जाकर अधिकारी उसका लॉकर खोल सकते हैं । जांच कर सकते हैं, यह जो प्रावधान रखा गया है, इससे पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो रही है, इसका भी हमें विरोध करना चाहिये । बारहवी बात, जी.एस.टी. में कहा गया है कि 10 लाख सालाना से ज्यादा टर्नओव्हर वाले व्यापारी ही इसके दायरे में रहेंगे । जब सभी प्रोडक्टस पर टैक्स लगेगा, कोई व्यापारी इससे वंचित नहीं रह सकता है । तेरहवीं बात, हमारा मिनरल प्रोडयूसिंग स्टेट है, खनिज का उत्पादन यहां होता है, खनिज पर जो क्लीन एनर्जी टैक्स के द्वारा लिया जा रहा है, उसका कितना राशि जी.एस.टी. के माध्यम से वापस छत्तीसगढ़ में आयेगा, इस पर भी बात होनी चाहिये । इस स्थिति को भी स्पष्ट करना चाहिये । चौदहवीं बात, जी.एस.टी. जब कोई भी विधेयक को सदन में ले जाती है, क्या वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मनी बिल के रूप में ले जायेगी या अनुच्छेद 117 के अंतर्गत एक फायनेंशियल बिल के रूप में ले जायेगी, इस पर भी क्लेरिटी आनी चाहिये । जो भी जी.एस.टी. के द्वारा प्रस्तावित कर सुधार है, उसको अनुच्छेद 117 के अंतर्गत फायनेंशियल बिल

के रूप में पार्लियामेंट में ले जाया जाये । ताकि दोनों सदनों में उसकी चर्चा हो । अगर केवल एक सदन में चर्चा होगी, जो रूलिंग पार्टी चाहेगी, वही होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अब समाप्त करें ।

श्री अमित अजीत जोगी :- यह जो चौदह बिन्दु हैं, इस पर मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि सरकार इस सदन को और छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करे । जी.एस.टी. का मतलब किसी ने पूछा था, गुडस एण्ड सर्विस टैक्स । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा ग्रेट स्टेप टू अप ट्रांसफरमेंशन । लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जो लोग है, उसके लिए जी.एस.टी. का एक ही मतलब हो सकता है, एक गुड एण्ड सिंपल टैक्स । यही यहां की जनता उम्मीद करती है । दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं, उनके साथियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि दलगत निष्ठा से ऊपर उठें और छत्तीसगढ़ के बारे में सोचें । एक ऐसी टैक्स प्रणाली लागू हो, जिससे प्रदेश का फायदा हो और किसी का अहित न हो । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री श्रीचंद सुंदरानी ।

श्री सुधीर

शर्मा\22-08-2016\e20\03.35-03.40

श्री श्रीचंद सुंदरानी (रायपुर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रस्तुत 122वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी., गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स के रूप में शीघ्र ही हम लोगों को मिलेगा ।

श्री कवासी लखमा :- श्री सुंदरानी जी, आप लोगों की ही जेब कटने वाली है, इसलिए थोड़ा हिसाब से बोलना, नहीं तो व्यापारी लोग ।

श्रीचंद सुंदरानी :- आप चिंता मत कीजिए, मैं वही बोलूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से 2004 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि भारत वर्ष में जी.एस.टी. लागू हो और जिस वक्त उन्होंने सपना देखा था, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर थी। वर्ष 2000 से 2004 तक और वर्ष 2000 के पहले, जो

विकास दर थी, वर्ष 2000 के पहले 4.4 और जैसे ही श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी और देश की बागडोर को संभाला और जिस दिन माननीय श्री बाजपेयी जी ने सत्ता यू.पी.ए. सरकार को सौंपी, उस समय देश की विकास दर 8.4 थी, लेकिन दस साल के यू.पी.ए. के शासन में, जिस प्रकार से माननीय श्री भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि बुरे समय में अच्छी चीज आ रही है, मैं तो यह कहूंगा कि अच्छे समय में अच्छी चीज आ रही है, क्योंकि जब यू.पी.ए. सरकार को श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने सत्ता सौंपी थी, उस वक्त देश की विकास दर 8.4 थी और जैसे ही दस साल यू.पी.ए. का शासन चला, विकास दर 4.4 पर आई और अभी श्री अरूण वोरा जी पूछ रहे थे कि विगत दो साल में श्री मोदी जी की सरकार ने क्या किया, तो राजा का पहला कर्त्तव्य होता है कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना । माननीय मोदी जी के दो वर्ष के कार्यकाल में फिर से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। आज विकास दर 7.6 पर पहुंची । ये मोदी जी के अच्छे दिनों की शुरूआत है, इसलिए आज जी.एस.टी. आना चाहिए । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भ्रांतियां हो सकती हैं, जब कोई नया कर आता है तो कुछ न कुछ भ्रांतियां होती हैं । जब वेट के रूप में कर आया था, तब भी व्यापारी सहित कई वर्गों में ये भ्रांतियां थीं कि वेट से बहु-बिन्दु कर आ जाएगा, अनेक प्रकार के कर लगेंगे । वेट से मंहगाई बढ़ेगी, इस बात की शंकायें उस समय भी थी और ये शंकायें स्वाभाविक हैं । आज भी कुछ शंकायें भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों में हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज प्रदेश या देश में कई प्रकार के टेक्स लगते हैं, पूरे देश के व्यापारी आजादी के बाद से, लंबे अरसे से यह मांग करते रहे कि देश में एक विधान और एक टेक्स होना चाहिए और ये पहला अवसर मोदी जी के शासनकाल में आया है कि आज सिंगल विंडो प्रणाली, जिसकी मांग व्यापारी और औद्योगिक घराने करते रहे, आज वह अवसर हमें जी.एस.टी. के माध्यम से मिलेगा कि सिंगल विंडो प्रणाली लागू होगी, कई प्रकार के करों से मुक्ति मिलेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व के बहुत से वक्ताओं ने इस बात को बताया कि कई प्रकार के रिटर्न हम लोगों को भरने पड़ते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं । मैं व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ इस विधान सभा में पहुंचा हूं । अगर एक महीने में एक रिटर्न भरा जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अलग-अलग करों के अलग-अलग रिटर्न अगर तीन महीने में एक भी भरा जाए, तो साल में 25-30 रिटर्न व्यापारी समाज को भरने पड़ते थे । मैंने

कहा कि कई प्रकार के कर इस देश और प्रदेश में लगते हैं । वेट का एक कर, सेवा कर, मनोजरंजन कर, प्रवेश कर, सेंट्रल एक्साईज और सी.एस.टी. सहित ऐसे अनेक प्रकार के कर आज व्यापारी और औद्योगिक घरानों को लगते हैं। यदि इन सारे करों का समावेश होकर जी.एस.टी. लागू होता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को सिंगल विंडो प्रणाली की तरफ जाने का एक रास्ता मिलता है । टेक्स की दरें क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, अभी इस पर संशय जरूर है । टेक्स की दरें ज्यादा न हो, ये बात तो सभी चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज सेंट्रल एक्साईज की दर 16, 14 और 12 प्रतिशत होती है। आज हमारे प्रदेश में वेट की दर 14.5 प्रतिशत लगती है । इसके अलावा प्रवेश कर जैसे और भी सेवा कर जैसे टेक्स भी हमारे प्रदेश में लागू हैं, यहां मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जो बैरियरमुक्त था, 20 लाख तक के व्यापारी टेक्स की श्रेणी में नहीं आते थे, कम्पोजिशन टेक्स में 60 लाख रूपए तक की छूट थी, इन सारी बातों की चिंता हम लोगों को रहनी चाहिए । मैं माननीय श्री अमर अग्रवाल जी से निवेदन भी करूंगा कि जब वे उस कमेटी में बैठेंगे ....जारी

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\f10\03.40-03.45

जारी.....श्री श्रीचंद सुंदरानी :- इन सारी बातों की चिंता हम लोगों को रहनी चाहिए। मैं माननीय अमर अग्रवाल जी से इस बात का निवेदन भी करूंगा कि जब वे उस कमेटी में बैठेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हितों की वे बात करेंगे और उनकी बात को सुना जायेगा इस बात का मुझे विश्वास है । जहां तक जी.एस.टी. के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जायेगा तो टैक्स डबल लिया जायेगा, बहुबिंदुकर के रूप में लिया जायेगा । यह जो जी.एस.टी. में प्रावधान है, अगर कोई एक डीलर किसी अन्य प्रदेश को माल बेचता है तो कहीं न कहीं उसके रिफंड का प्रावधान भी उस विधेयक में है तो यह सारी चीजें कहीं न कहीं विकास की ओर हम लोगों को ले जायेगी । मेरा यह मानना है कि यह जी.एस.टी. लागू होने के बाद देश एक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि होगी । जहां तक निर्यात की बात है कम से कम 3 प्रतिशत और अधिकतम 6 प्रतिशत निर्यात बढ़ेगा । केंद्रीय विक्रय कर और प्रवेश कर समाप्त होने से उपभोक्ताओं को वस्तुओं की निर्माण लागत कम होगी और महंगाई घटेगी । उत्पादन लागत कम होने से आम जनता और उपभोक्ताओं को सामग्री तुलनात्मक रूप से सस्ते दाम पर उपलब्ध होगी, अनेक करों का

एकत्रीकरण होने से समय की बहुत सारी बचत होगी । निर्माताओं और ट्रेडर्स द्वारा पूर्व में भुगतान किये गये सम्पूर्ण कर की बाधारहित क्रेडिट प्राप्त होगी इस प्रकार से मैं तो निवेदन करूंगा कि किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है । यह कर जहां व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा वहीं आने वाले समय में 2-3 साल हो सकता है कि हमारे राजस्व में कमी आये जिसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार निश्चित रूप से करेगा लेकिन आने वाले समय में बहुत दूरगामी परिणाम होंगे यह भ्रांतियां वेट के समय में भी थी कि वेट आने के बाद राज्य का राजस्व घटेगा लेकिन वेट आने के बाद छत्तीसगढ़ का तो कम से कम राजस्व घटा नहीं बल्कि लगातार बढ़ा क्योंकि यहां टैक्स अदा करने की व्यापारियों की मानसिकता रहती है । मुझे तो आज भी लगता है कि हमें 3 साल या 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इससे कहीं क्षति नहीं होगी, व्यापारी, उद्योगपति या उपभोक्ताओं के हित में बहुत बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम टैक्सेशन के रूप में माननीय मोदी जी ने उठाया है । हम सभी लोगों को इसका समर्थन करके और ऐसा वातावरण निर्मित नहीं करना है जिससे व्यापारी समुदाय, उपभोक्ताओं में भय का वातावरण निर्मित हो । ऐसा वातावरण हम लोगों को नहीं बनाना है । केंद्र में हमारे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ, कांग्रेस पार्टी से सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया उसी प्रकार हमें भी छत्तीसगढ़ में भी इसके पक्ष में वातावरण बनाते हुए सारे दलों को इसके पक्ष में एक वातावरण बनाकर जनता और व्यापारियों में एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो, यह प्रयास करना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिये मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जी.एस.टी. पर व्यापक चर्चा हो चुकी है लेकिन महिलाओं की तरफ से जो राज्य में लगभग 50 प्रतिशत संख्या में हैं उनकी तरफ से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि हमारे ही देश के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की महिला या गृहिणी एक सबसे अच्छी अर्थशास्त्री होती है तो इस बारे में जो मेरी मानसिकता है कि जी.एस.टी. के बारे में चर्चा तो बहुत हुई, 4 घंटे से ऊपर हो गया है परंतु तस्वीर एकदम धुंधली है और बहुत से सब्जबाग सत्ता पक्ष की तरफ से दिखाये गये हैं कि कांग्रेस ने जो जी.एस.टी. बिल पास किया था उसमें व्यापक और अच्छे संशोधन करके उसका मूर्त रूप दिया गया है पर यह तो समय ही बतायेगा कि यह तस्वीर जो धुंधली है, भविष्य में सुंदर बनेगी या प्रदेश के लिये भयावह बनेगी । अभी

जो मैं समझती हूं कि और बहुत सरल तरीके से कहना चाहूंगी कि .....जारी

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\f11\03.45-03.50

.....(जारी डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी) :- उसका मूर्तरूप दिया गया है । पर यह तो समय ही बताएगा कि ये तस्वीर जो धुंधली है वह भविष्य में सुंदर बनेगी या प्रदेश के लिए भयावह बनेगी । अभी जो मैं समझती हूं कि बहुत सरल तरीके से कहना चाहूंगी एक हजार रूपए यदि हम खर्च करते हैं चाहे हॉटल में, चाहे वस्त्र खरीदने में या सोने, चांदी की दुकान में या अन्य किराने की वस्तुओं में खर्च करते हैं तो एक हजार मूल्य की वस्तु खरीदते हैं तो करीब 1300 से 3300 विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं चाहे वह सेल्स टैक्स हो, चाहे वेट टैक्स हो, प्रवेश कर हो आदि आदि । परंतु जब से देश में एन डी ए की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और अरूण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री बने हैं तो एक वकील के रूप में मैं उनका लौहा मानती हूं पर जब से वह फायनेंस मिनिस्टर बने हैं उन्होंने जो भी छोटे मोटे नियम बनाए हैं लगते तो वह छोटे हैं लेकिन उसका बहुत ही बुरा और व्यापक प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है । ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं जैसे, यदि कोई जमीन या घर खरीदना चाहे तो 20 हजार से ऊपर की जो भी राशि रहती है उसे चैक से या बैंक के खाते से निकालकर देना पड़ता है । किसानों, मजदूरों और जो छोटा व्यवसाय करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- वह दो लाख है ।

डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी :- शायद 20 हजार से ज्यादा है । मैं समझती हूं कि 20 हजार से ज्यादा है । क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि मैं तो बेसेकली महिला हूं, डॉक्टर हूं और एक गृहणी भी हूं तो मेरे संज्ञान में 20 हजार है । इससे पूरे भारत की भूमि या जमीन या मकान खरीदने की व्यवस्था चरमरा गई है । पिछले दो, चार महीने पहले सराफा व्यापारियों की दो माह लंबी हड़ताल के बारे में हम लोगों ने सुना था । जब यू पी ए की सरकार थी पूर्व में भी इसी तरह की हड़ताल हुई थी और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी तब वित्त मंत्री थे ।

समय :

3 : 47 बजे (सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

मुझे मालूम है कि रायपुर के ही सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष वहां मिलने गए थे । उन्होंने जो भी टैक्स, एक्साईज ड्यूटी टैक्स अभी लगा है उसको वापस लिया । तो उनके उस लचीले रवैये के कारण सराफा व्यापार अच्छे से पुन: फलफूल रहा था पर जेटली जी ने उस पर पुन: एक्साईज ड्यूटी का टैक्स लगाया है उससे विचलित होकर उन्होंने एक सर्वाधिक लंबी हड़ताल लगभग दो माह की और अंत में लगता है कि थककर उन्होंने वह हड़ताल खत्म कर दी ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- इतना ज्यादा ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत है ?

डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी :- मैं नहीं खरीदती हूं । मेरा तो दिख ही रहा है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- जो ज्यादा खरीद रहा है उसके लिए है । जो खरीदे वह नंबर एक का पैसा दे ।

डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ताधारी पक्ष के हित में ही बात कह रही हूं कि उनकी गृहणियों के लिए यह फायदेमंद होगा । (हंसी)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आप नंबर दो वाले का पक्ष ले रही हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- वह भाभी जी का पक्ष ले रही है और आप कह रहे हैं कि नंबर दो वाले का पक्ष ले रही हैं । आप थोड़ा हिसाब से बोलिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ।

श्री कवासी लखमा :- थोड़ी ठीक ठाक बात करो ।

डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी :- मेरा सोना चांदी से तो उतना वास्ता नहीं है पर निश्चित ही कपड़े वगैरह खरीदने जाती हूं । आज लखमा जी को मैंने एक वायदा किया है कि उनका कुर्ता फटा हुआ है तो मैं आज उन्हें नया कोसे का कपड़ा देने वाली हूं । परंतु वह व्यापारी भी खुश नहीं हैं । यदि आप लोग आपस में ही चर्चा न करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी गहरी निंद्रा में हैं ।

सभापति महोदय :- वह चिंतन की मुद्रा में हैं ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- उनके ऊपर जी एस टी का बोझ पड़ा है । (हंसी)

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी चिंतन की मुद्रा में हैं, आप चिंता मत कीजिए ।

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\f12\.-.5

श्रीमती रेणु जोगी :- सभापति महोदय, इस बारे में चूंकि बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है मैं संक्षप में कहूंगी। अभी मैंने कुछ महीने पहले रतन टाटा जी का एक वक्तव्य पेपर में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि देश के लिए सबसे अच्छा है कि देश में जैसी व्यवस्था चल रही है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। सरकार का कर्तव्य यह होना चाहिए कि उस पर व्यापक निगरानी रखे ताकि जो भी नियम कानून बने हैं उनका संपादन अच्छे से हो सके। चूंकि गांधी जी की सोच थी और उनका सिद्धांत भी था कि सरकार जो भी कार्य करती है उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले। जैसे उस समय इंदिरा आवास, राशन दुकान, एकलबत्ती कनेक्शन, मनरेगा, समर्थन मूल्य से धान या गेहूं खरीदना, कर्ज माफी जैसी योजनाएं यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चलाई थीं तो उसमें हम सबको कोई संदेह नहीं है और उसका स्वागत भी करते हैं परंतु अब जो योजनाएं चलती हैं जैसे मैंने दो-तीन का अभी जिक्र किया उसका परिणाम बहुत गंभीर हो जाता है और इसका मुझे डर है कि जीएसटी अभी तो बहुत लोक लुभावनी घोषणा लग रही है पर उसका भी अंत एक भयानक रूप न ले ले और इसके लिए हम सबको खासकर इसकी जिम्मेदारी हमारे माननीय वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल जी की है कि वह जब उस परिषद में जायें तो हम सबका ध्यान रखकर और न केवल हम सबका बल्कि पूरे प्रदेश का ध्यान रखकर अपनी बात प्रमुखता से उसमें उठायें।

आदरणीय सभापति महोदय, जैसे इंदिरा आवास का हाल ही बता दूं। अटल आवास योजना बनी। घर तो बन गये, 250 घर तो मेरे ही विधानसभा में बन गये पर बिके मात्र 10 । अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी बन रही है। 40 हजार घर बनने वाले हैं पर उनका मूल्य इतना ज्यादा है कि मैं नहीं समझती कि 10 प्रतिशत से अधिक लोगों ने उसे लिया होगा। अंत में मैं यह कहना चाह रही हूं कि जैसे दिल्ली में डीजल, पेट्रोल की कीमतें हमारे प्रदेश की अपेक्षा कम रहती हैं, जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो दिल्ली, हरियाणा या गुड़गांव वगैरह से लेना चाहता है क्योंकि वहां टैक्स कम है तो चूंकि आप मंत्री हैं, जब तक यह लागू हो तो हो पर तब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को भी आप कर में भरपूर रियायत दें ताकि लोग दिल्ली न जाकर जो भी गाड़ी आदि क्रय करना है यहीं से खरीद सकें। जैसा कई राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वेट टैक्स कम किया है हमारे प्रदेश में भी काफी अधिक 25 प्रतिशत वेट टैक्स लगता है पर एयरपोर्ट में वही टैक्स जो कि प्रदेश में आम आदमी को 25 प्रतिशत लग रहा है वह बहुत ही कम कर दिया गया है। जब आप अपना वक्तव्य दें तो वह संख्या आप जरूर बतायें कि जो प्लेन से आते-जाते हैं उन पर कितना वेट टैक्स है? मुझे लगता है कि 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत है। तो इस प्रकार की विसंगति न हो और ऐसा अन्याय आम जनता के साथ न हो ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, संविधान के एक सौ बाईसवां संशोधन विधेयक, 2014 के संबंध में माननीय अमर अग्रवाल जी ने जो यहां संकल्प रखा है आज उसके पारण के लिए पूरी चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर पुरातन काल से देखें तो अपने देश में धन संपदा के नाम पर जमीन और पशुधन पहले था। अपने यहां पहले मूल्य आधारित विनिमय नहीं होता था बल्कि वस्तु विनिमय का सिद्धांत चलता था और इसलिए भारत देश की आजादी के पहले और उसके भी काफी और पहले वस्तुओं का आपस में विनिमय होता था। सौदागरी करने वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करते थे..

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\f13\03.55-03.60

जारी.....श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :-

सौदागरी करने वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करते थे, लोगों की

आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सामान लाते थे । उसके बदले में वहां चाहे अनाज होता हो या पशुधन होते थे उसे लेकर जाते थे । फिर कालान्तर में कुछ राजा आए, राजाओं ने सिक्के चलाने चालू किये । सोने के सिक्के चले, चांदी के सिक्के चले, तांबे के सिक्के चले, यहां तक कि अपने यहां चमड़े के सिक्के चलने का इतिहास मिलता है । एक राजा हुआ जिसने कहा कि रात भर में चमड़े का सिक्का चला दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- ये चमड़े का सिक्का कहां चला, बताइए महाराजा ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- भारत में ही चला है । अगर हम लोग बहुत पुरानी बात न करें तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी टैक्स के नाम पर लगान को जानते थे । जमीन के लगान के अलावा हम लोग टैक्स को उतना समझते ही नहीं थे । मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि जब इंकम टैक्स के बारे में ब्रिटेन में वहां के फाइनेन्स मिनिस्टर ने रखा तो वहां एक बहुत वरिष्ठ सांसद ने संसद में कहा कि ये जो टेक्सेशन प्रणाली आप ला रहे हो इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदुस्तान कहां समझेगा ? तो वित्त मंत्री ने कहा कि हम इसीलिए ला रहे हैं कि वहां के लोग कम से कम समझें । देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे यहां मेड इन इंडिया चालू हुआ। हमारे यहां कुछ नहीं बनता था । बाहर की टेक्नालॉजी लाकर हम उत्पादन करने लगे और उन सामानों को दूसरे देशों में भी बेचने लगे, साथ ही अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने लगे । मेड इंडिया के बाद रिफार्म हुआ, जनता पार्टी का शासन आया उस समय उन्होंने लघु उद्योगों की ओर ज्यादा ध्यान दिया । सेल्फ इम्प्लायमेंट की ओर ध्यान दिया और 1991 में इकोनोमिकल रिफार्म के नाम पर, अगर देश भर में देखें तो एक देश मार्केट इंडिया बन गया । हम लोग बाजार बन गए । बाजार बनने का कारण यह देखने को मिला कि 2014 के पहले की स्थितियां देखें हमारा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ 2 परसेंट से भी नीचे आ गया । 2 परसेंट से नीचे आने के कारण हमारा मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बैठ गया । मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर के बैठने के कारण हमारे यहां अनइम्प्लायमेंट की प्रॉब्लम शुरू हुई । इसी समय में 2003 में माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी इस चीज का अहसास होने के कारण टैक्स रिफार्म के लिए उन्होंने केलकर समिति बनाई । वहां से आगे चलते-चलते कांग्रेस रिजम में भी इंडस्ट्रीयल सेक्टर में जो गिरावट आ रही थी, उसमें कई बार, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को विभिन्न स्तरों पर 5-5 लाख करोड़ रूपए के डायरेक्ट, इन्डायरेक्ट टेक्सेस की छूट दी गई है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर बढ़े और इम्प्लाइमेंट जनरेशन हो । ये जीएसटी के

पीछे उद्देश्य यही है कि मून्यूफेक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना जिसके कारण अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों । दूसरा अभी जो चर्चा हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हम लोग टैक्स लगाने जा रहे हैं, जीएसटी कोई नया टैक्स लगा रहे हैं । टैक्स लगा नहीं रहे हैं बल्कि जो पहले से 15 प्रकार के टैक्स लगे हैं उनको एकीकृत कर रहे हैं । चाहे हमारे राज्य के कर हों या केन्द्र के 7-8 प्रकार के कर हों । इन सब टैक्सेस को मिलाकर 3 नाम दे रहे हैं एक सेंटर जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी और तीसरा इंटर जीएसटी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बिकेगा । माननीय भूपेश जी बोल रहे थे कि हम मेन्यूफेक्चरिंग स्टेट हैं तो हमारे यहां अनइम्प्लायमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी । मेन्यूफेक्चरिंग स्टेट हैं तो उसका घाटा स्टेट को हो रहा है, मेन्यूफेक्चरर को घाटा नहीं हो रहा है । मेन्यूफेक्चरर को फायदा होगा, घाटा स्टेट उठा रहा है । .....

जारी-- श्री अग्रवाल -

-

अग्रवाल\22-08-2016\f14\04.00-04.5

जारी...श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- घाटा स्टेट उठा रहा है और उसी स्टेट के घाटे की आपूर्ति के लिए इतने दिनों तक जो वाद-विवाद होता रहा और अंत में सरकार ने इंश्योरेंस दिया । मैं उस पर बाद में आऊंगा कि किन कारणों से ये इतने दिनों तक लटका रहा तो मैन्युफैक्चरों को घाटा नहीं हो रहा है, बल्कि मैन्युफैक्चरों को फायदा होगा, सुविधा होगी । टैक्स सिस्टम में उसको जल्दी से जल्दी 1. टैक्सेशन करना होगा । सारी इंसपेक्टर राज से उसकी बचत होगी और उसका जो प्रोडक्ट है, वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर बिकेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन इसमें जो विसंगति है कि व्यापारी को हर महीना उसको सरकारी साईड में डालना पड़ेगा, जहां पर इंटरनेट नहीं है, जहां पर सुविधा नहीं है, उनको तो दिक्कत होगी ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- मैं उसमें आ रहा हूं । जो मैन्युफैक्चरर होगा, उसका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जायेगा, सब जगह बिकेगा । अभी कई-कई स्टेट जो अपने सेल्स टैक्स कम कर दिए थे, वहां पर हमारे स्टेट का माल जाकर काम्पटीट नहीं करता था और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा काम्पीटिशन होगा । फिर आईजीएसटी लगाया गया है तो उस

स्टेट में जहां जाकर हमारा माल बिकेगा तो सीएसटी प्लस जीएसटी दोनों गर्वनमेंट आफ इंडिया कलेक्ट करेगी और उसमें जो स्टेट का जीएसटी होगा, वह स्टेट को रिफंड कर देगी । ये बार-बार आ रहा है कि हर जगह जाने पर बढ़ेगा । ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई । जीएसटी में बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि वेट में बढ़ता था, वेट में टैक्स पर टैक्स लगता था और जो टैक्स लगता था, उसके कारण वस्तुओं के दाम बढ़ते थे । अगर आज हम मोटे तौर पर देखें तो 28 से 30 प्रतिशत के टैक्स एक्साईज से लेकर सैल्स टैक्स मिलाकर सारे जगह पर लगते हैं । आज जिस कैप की भी बात हो रही है कि 18 प्रतिशत पर लगेगा या 20 परसेंट पर लगेगा तो ये 20 परसेंट टोटल होगा । तो भी अगर आज हम डिफरेंट चीजों पर 28 से 30 प्रतिशत टैक्स दे रहे हैं तो वह टैक्स में 7 से 8 परसेंट कमी आयेगी । यह 7 से 8 परसेंट जो कमी आयेगी, वह हमारी आय को भी बढ़ायेगी, हमारे कंज्यूमर्स को भी फायदा देगी और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोत्तरी होगी, उनके रिसोर्सेस बढ़ेंगे, उससे अनइम्पलायमेंट जो है, वह होगा ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यहां बार-बार ऐसी बातें आती गईं कि ये टैक्स में आयेगा, ये टैक्स एग्जम्प्ट होगा, बहुत क्लीयर है कि जीएसटी के लिए जो कौंसिल बनेगी, वह तय करेगी और वित्त मंत्री जी या बाकी के जितने भाषण हैं, बहुत सारी बातें आ गई कि कृषि उत्पाद को ले लिया जायेगा, कृषि क्षेत्र को ले लिया जायेगा, कान्ट्रैक्ट को ले लिया जायेगा । अभी ये सिर्फ अनुमान पर है, फाईनल जो कुछ भी होना है, वह परिषद में होगा । अमित जी बोल रहे थे कि इसमें स्टेट का फासनेंसियल पावर कम होगा । मैं समझता हूं कि जीएसटी इस देश के संसदीय लोकतंत्र में उसको मजबूत करने वाला शायद पहला ऐसा उदाहरण होगा । संसदीय लोकतंत्र इस पर बना ही है कि हम असहमति से सहमति की ओर चले । ये पहला उदाहरण होगा कि 2003 की परिकल्पना 2006 में दूसरी सरकार ने रखी और 2016 में आज वह पूरा हुआ । मतलब उसमें 13 साल तक असहमति के बाद कुछ बिन्दुओं पर सहमत होकर हम आये हैं और इस के बाद बहुत सारी चीजों पर इसमें न तो केन्द्र पावर में आ रहा है, जो वह कमेटी बन रही है, कमेटी में 3 चौथाई वोट लेना पड़ेगा । अगर तीन चौथाई वोट, दो तिहाई बहुमत भी नहीं है, सिम्पल मेजारिटी भी नहीं है, जिसमें दो तिहाई वोट का जो स्टेक है, वह राज्यों के पास है । 66 परसेंट पोटिंग पावर राज्य के पास है और 33 परसेंट वोटिंग पावर केन्द्र के पास है और उसमें तीन चौथाई स्टेट लेना पड़ेगा, तब कोई भी वहां से पारित होगा और ये सारी चीजें वहां पर बनने की है, ज्यूडिशियल ट्रियूबनल बनने की बात कही गई है । बार-बार ये

बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोका, मंत्री जी ने एक जवाब दिया, बहुत साफ जवाब दिया कि हम लोग, राज्य चाहता था, इंश्यारेंस चाहता था...

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\f15\04.05-04.10

श्री अमरजीत भगत- इसमें उसी बात को हम लोग बोल रहे थे कि जिसको आपने अभी लागू करने के लिए कहा, पहले आप लोगों ने विरोध किया था।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय- आ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत- आपके वित्त मंत्री जेटली जी जब जब लाये हैं, लोगों के लिए दिक्कत खड़ी किये हैं। अभी उस दिन भाभीजी, मेडम जोगी जी बोल रही थीं कि एक जमीन में उन्होंने बिल लाया, एक सेशन का, अब 20 हजार से ऊपर का जो भी रहेगा, चेक में उनको पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें तो लोगों की परेशानी बढ़ेगी।

सभापति महोदय- आपको बोलने का अवसर मिल गया। अब आप बैठ जाइये।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय- मैं वह बता रहा हूं कि उस बिल में, जो चितम्बरम जी लाये थे, उसमें उन्होंने यह कहा था कि स्टेट को लाने के लिए कानून बनाया जा सकता है। उसमें उन्होंने 'मे' शब्द का उपयोग किया था। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया और अभी जो विधेयक आया है, उसमें 'शैल' का उपयोग किया गया है कि बनेगा ही बनेगा, 5 साल तक हम देंगे ही देंगे। मतलब यह अनिवार्य है। उसमें 'मे' में किया भी जा सकता था, नहीं भी किया जा सकता था। ये 'मे' और 'शैल' ये जो दो शब्द हैं तो ये हाउ टू मे टू द शैल ये जो यात्रा थी मे से शैल तक आने की इसके कारण इतने दिन तक रुका रहा । दूसरी बात उन्होंने कहा कि कंसेस रहेगा जो जी0एस0 काउंसिल रहेगी, लेकिन कंसेस के माध्यम से कोई भी निराकरण होगा। लेकिन कंसेस को उन्होंने कहीं डिफाइन नहीं किया था कि कंसेस कब होगा। 51 परसेंट को मानेंगे, टू थर्ड को मानेंगे। अब डिफाइन हुआ है कि 75 परसेंट कंसेस मस्ट है और तीसरा ये जो आईजीएसटी है, उसको चिदम्बरम साहब का जो पहला प्लान था वह सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसालीडेट फण्ड में ले जाना चाहते थे, जिसका लोग विरोध किये क्योंकि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसालीडेट फण्ड में जायेगा तो फिर दोबारा लोकसभा के फिर विधेयक जायेगा और फिर उस विधेयक के

माध्यम से वह पैसा रिटर्न होगा। इसलिए कंसालीडेट फण्ड में न लाकर के दूसरी जो एसाइन कर स्टेट कर के उन्होंने जोड़ा और वह स्टेट का सेंट्रल में पैसा रहेगा। जैसे ही स्टेट को मिलना होगा, मिल जायेगा, तो सारी चीजें क्लीयर है। इसमें कहीं किसी के पावर को कोई नहीं बतायेगा। बार-बार यह बात आ रही है कि जीएसटी में इंप्रीजनमेंट की बात कही गई है, जेल की बात कही गई है। जेल की बात जीएसटी में नहीं है। आज जो सेंट्रल एक्साइज जो लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, उसमें जेल का प्रावधान है। इसलिए सारा गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स में उसके आधार पर ये बातें हो रही हैं। अभी तो उसके कितने अधिकारी होंगे, क्या संरचना होगी, ये सब जीएसटी काउंसिल के द्वारा तय किये जाने हैं। सारे नियम बनाने हैं। कोई भी विवाद होने पर ज्यूडिश्यरली ट्रिब्यूनल बनाने की भी उसमें व्यवस्था की गई है तो किसी को कहीं भी कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ संविधान में सिम्पल संशोधन देकर के हम भेज रहे हैं और वहां से विधेयक आयेगा। जो चीजें आज अगर एग्जम्ड की गई है टैक्स से, वह कल भी एग्जम्ड की जा सकती है। जो स्टेट के पावर में एग्जम्शन हैं, वह स्टेट एग्जम्ड करेगा। जो सेंट्रल में है, वह सेंट्रल करेगा। जीएस काउंसिल के माध्यम से एग्जम्शन वही रहने वाले हैं। कोई बदलना नहीं है। यह बार बार हो रहा है कि 55 चीजें उन्होंने कहा । उन्होंने 55 परसेंट कहा। बास्केट में 55 परसेंट चीजें हैं। 386 उन्होंने गिना दिया, एग्रीकल्चर के कुछ चीज तो 300 कुछ नहीं उन्होंने 50 परसेंट कहा है कि आल रेडी फुड के हैं।

श्री अमरजीत भगत- स्टेट के बीच में जो दीवार है, उसको निपटाने के लिए आपने ट्रिब्यूनल की भी व्यवस्था नहीं की इसलिए हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट जायेंगे। वैसे भी पहले से उन पर इतना लोड है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय- ट्रिब्यूनल बन गया है।

श्री अमरजीत भगत- अभी जो दिये हैं, उसमें..।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय- है।

सभापति महोदय- अमरजीत जी, आप सुनिये। आपको अवसर मिल चुका है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय- जो जी0एस0 काउंसिल होगी, उसके अगर कोई भी स्टेट और सेंट्रल के कोई भी काउंसिल के विवाद होंगे, उसको निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था है। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि गांव में एक हाथी आया... जारी

श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\f16\04.10-04.15

जारी श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :-एक हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि गांव में एक हाथी आया, सब लोग देखे, किसी ने पांव पकड़ा, तो बोले अच्छा ये खम्भा के बराबर है, कोई सूंड पकड़ा तो बोला की अच्छा ये लम्बा मोटा है, कोई पीठ, पेट पकड़ लिया तो बोले ये दिवाल के समान है तो अभी ये स्थितियां टैक्सेसन के बारे में है। हम लोगों को बहुत सारी चीजें इसी तरीके से हैं और सब अपनी-अपनी जानकारियों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये कराधान की सरलतम प्रणाली बनाने की कोशिश की गई है। टैक्स कितना होगा, किस पर कितना होगा ये सारा उस कौंसिल के माध्यम से डिसाईड होगा। टैक्स कितने प्वाईंट पर वसूला जाएगा, वह इस विधेयक के माध्यम से संशोधन होकर जाना है, जो तीन प्रकार के टैक्स होंगे। मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, जो जीएसटी में हर सेल बिल और परचेस बिल को स्कैन करके सरकारी साईड में अपलोड करना पड़ेगा। उससे व्यापारियों में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, हर रशीद, आप खरीदते हैं बेचते हैं, उसको स्कैन करके आपको बकायदा बेचना पड़ेगा।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय:- अरे भईया रशीद कोई नहीं लगाता है।

श्री मोहन मरकाम:-उसमें प्रावधान है। उसमें आने वाला है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय:- नहीं है। कुछ भी बोलने से नहीं है।

श्री मोतीलाल देवांगन (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर ..।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- क्या मोती भईया, कहां हाथी वाथी को पकड़ना। अपने को हाथी इतना मोटा, उसकी पूंछ, अपन तो पूंछ पकड़कर चल लो, झमेला खत्म, वह निकलेगा तो अपन भी निकल जाएंगे।

श्री मोतीलाल देवांगन (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, देश की संसद, राज्य सभा और लोकसभा में पारित किया जा चुका है और इसी संदर्भ में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा में पारित करने हेतु सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से इसके पक्ष विपक्ष में अपनी बातें रखी हैं। मैं कुछ ही बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसमें जो शंकाएं हमें हैं कि जीएसटी लागू होने से करों की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और पार्लियामेंट में इस संबंध में बहुत लम्बी बहस भी हुई है और यह मांग की गई थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की यह 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह संविधान में ही उल्लेखित हो किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है और जीएसटी लगभग 140 देशों में लागू हुआ है, वहां पर भी लगभग 20 प्रतिशत के नीचे ही जीएसटी को रखा गया है। यहां विशेषज्ञों के द्वारा यह संभावना जताई जा रही है कि इस देश में जीएसटी के माध्यम से 24, 25 और 30 प्रतिशत तक कर लग सकता है। इसके कारण से महंगाई बढ़ेगी, इसके कारण से लोग बेरोजगार होंगे। इस तरह से ये स्पष्ट नहीं है इस देश में 70 प्रतिशत आबादी गरीबों और मध्यम वर्ग की है और महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। जो मैन्युफेक्चरिंग स्टेट है यह कहा जा रहा है कि उन राज्यों को हानि होगी और हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है जिसमें 3 वर्ष शतप्रतिशत हानि की क्षतिपूर्ति होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो बोल रहे थे, पढ़ लिख रहे थे भारी भई, मोतीराम जी तो जीएसटी में एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है।

श्री मोतीलाल देवांगन:- माननीय सभापति महोदय, मैं पढ़कर भी आया हूँ और वही बातें बता रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो सारी बातों में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है तो वह तो सब कह चुके हैं।

श्री मोतीलाल देवांगन :- यहां जो कहा गया है उसकी बात मैं कह रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- मोती भईया अपने को क्या करना है। मैंने पहले कहा कि पूंछ पकड़ कर निकल लो। हाथी अपने आप निकल जाएगा। ये सब चक्कर में कहां लगे हैं ।

श्री मोतीलाल देवांगन:- माननीय सभापति महोदय,75 प्रतिशत चौथे वर्ष में और 5 वें वर्ष में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि 5 वर्ष के बाद में किस प्रकार से नुकसान होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है इसका आंकलन होना आवश्यक है कि वर्तमान में जो 3 हजार करोड़ की जो राजस्व प्राप्त होती है, उसकी भरपाई 5 वर्ष बाद किस प्रकार से होगी यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\f17\04.15-04.20

पूर्व जारी.. श्री मोतीलाल देवांगन :- यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो नगरीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत हैं जो अपने संसाधन से कर वसूलती हैं, उन्हें कर वसूलने का अधिकार नहीं रहेगा और वे केन्द्र सरकार के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। जिस प्रकार से केन्द्रीय योजनाओं में मनरेगा के भुगतान नहीं होते और शिक्षा कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, ऐसी आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं कि नगरीय निकायों में भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और लोग बेरोजगारी का सामना करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी यह कहा जा रहा है, इसमें यह जानकारी दी गई है कि जो अभी 4 प्रतिशत कर लगता है, उसकी जगह में वह जी.एस.टी. के दायरे में आने से 18 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत आयेगा। जो वर्तमान में बीज पर 4 प्रतिशत, दवाई पर 5 प्रतिशत कर लगता है वह 20 प्रतिशत के दायरे में आ सकता है। इसी तरह से पी.डी.एस. भी टैक्स के दायरे में आयेगा। इससे कृषि उत्पाद और गरीबों कों मिलने वाले राशन में मंहगाई बढ़ेगी। उनकी तकलीफ बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी पर आज जो यहां सहमति के लिए चर्चा हो रही है, हम लोगों की भी सहमति दी है। लोकसभा और राज्यसभा में हमारी पार्टी ने भी सहमति दी है, हम लोग भी सहमत हैं। किन्तु छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इस तरह से जो भी यहां पर दिक्कते हैं, उसका समाधान निकले। ऐसा मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों साथ आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री टी.एस.सिंहदेव। (मेजों की थपथपाहट)

समय (अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4.18 बजे

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की विधानसभा की ये विशेष बैठक जिस पर चर्चा जी.एस.टी. बिल की दरों और उसकी कार्य प्रणाली से उत्पन्न होने की संभावित दुषपरिणामों पर बहुत ज्यादा हुई। केवल संविधान के संशोधन के संदर्भ में स्वीकृति देने के लिए वास्तविक तौर में इसे बुलाया गया है। ये हम सब जान रहे हैं कि संविधान में इस प्रकार के संशोधन के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के बाद कम से कम 50 विधानसभाओं से इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी है और वह प्राप्त करने के बाद ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ जायेगी, राष्ट्रपति जी के पास जायेगा इत्यादि। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में कोई दूसरी बात नहीं कहनी है। इस संविधान के संशोधन के लिए विपक्ष भी अपनी सहमति देता है। प्रश्न इस बात का आया और इसी पर चर्चा लोकसभा में भी हुई कि जब हम संविधान के संशोधन के लिए तो स्वीकृति दे रहे हैं, जिन बातों के संदर्भ में वहां पर राय रखी गई, शंकायें प्रकट की गईं, केन्द्र सरकार के स्वयं के चीफ इकानामिक एडवाइजर (सी.ई.ए.) द्वारा प्रस्तुत राय, कमेटियों की प्रस्तुत राय, जिसमें जी.एस.टी. की दर को कैप करने की बात थी, इतने दर से ज्यादा नहीं। उसको संविधान में सम्मिलित करने की बात थी। मैं कुछ कागजों को अभी बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कुछ समय में बोलने के लिए सबको समावेश करने में भी दिक्कत जाती है, लेकिन एक जगह इस बात उल्लेख आया... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\f18\04.20-04.25

.....जारी श्री टी0एस0 सिंहदेव लेकिन एक जगह इस बात का उल्लेख आया- इनकम टैक्स, संविधान में इसका दर अंकित है। यदि यह है तो क्यों हम इसको अंकित करने से पीछे हट रहे हैं ? इस बात को लेकर विवाद की स्थिति थी, जो तीन प्रमुख बिन्दु थे, दो का समाधान हुआ, लेकिन एक का समाधान नहीं हुआ। शासन ने, सत्ता पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिस परिवर्तित रूप में राज्यसभा के सुझावों के बाद लोकसभा ने अंतिम रूप में 122 वां संविधान संशोधन होगा, इसको पास कर दिया। इसमें बातें क्या आई, संविधान में परिवर्तन क्या हो रहा है ? हम लोग स्वीकृति किस चीज की दे रहे हैं ? अब हम जी0एस0टी0 की दर की

स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। अब हम स्वीकृति संविधान में कर लगाने के अधिकार के परिवर्तन की स्वीकृति दे रहे हैं। इसको समझना बहुत जरूरी भी है। शायद इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। संविधान में कर लगाने के दो प्रावधान अंकित थे। एक- जो केन्द्र की सरकार किन-किन वस्तुओं पर टैक्स लगायेगी, दूसरा- राज्य की सरकारों को किन-किन वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार होगा। ये दोनों वस्तुएं कामन नहीं थीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, फिर तो तीसरा भी है, स्थानीय शासन का दसवीं, ग्यारहवीं अनुसूची में भी कर लगाने का अधिकार है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- वह भी इसमें नहीं आता है। संविधान में दो जगह टैक्स लगाने का हम लोगों ने तो उनसे आक्ट्राय ऐसे ही ले लिया था। प्रापर्टी टैक्स वगैरह उनके पास बच गया था। एन्ट्री टैक्स, आक्ट्राय टैक्स उनसे ले लिया था। आज राज्य सरकार लेकर अपना हिस्सा उनको70 प्रतिशत, 90 प्रतिशत देती है। तो जो चर्चा और हमको निर्णय अपने मत के माध्यम से देना है, वह इसी सन्दर्भ में देना है कि क्रान्तिकारी परिवर्तन क्या हो रहा है ? संविधान की यह व्यवस्था कि अलग-अलग वस्तुओं पर इसमें कन्करेलिस्ट नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिन पर केन्द्र सरकार भी टैक्स लगा सकती है और राज्य सरकार भी टैक्स लगा सकती है। जब हम ऐसे अधिकार को संविधान के माध्यम से परिवर्तन कर रहे हैं तब हम क्रान्ति की बात कर रहे हैं। देश का कर कर मूलभूत ढांचा बदल रहा है, इसका मूलभूत ढांचा बदल रहा है और शायद आने वाले सौ साल तक हो, ऐसा चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में कहा था। ऐसे बड़े परिवर्तन के सन्दर्भ में चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। चिंता किस बात की है ? रेणु जी ने बोला, घर चलाने की बात कही, हम सब इस बात को जानते हैं, महिलाओं के अधिकार के सम्बन्ध से लेकर हर परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोलते हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रता ही कई मायनों में वास्तविक स्वतन्त्रता का आधार होता है। इस संविधान संशोधन को इस नजर से भी समझना है कि सबकी सहमति हुई, वहां दलगत सहमति हुई, शायद ए0आई0डी0 एम0के0 राजी नहीं हुआ, वे वाकआऊट कर गए थे। लेकिन बाकी सब दलों ने किस चीज को परिवर्तन करने का किया ? यह जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को अपने आयटम्स पर कर लगाने का अधिकार था, वह समाप्त करने के लिए हम हॉ करने के लिए यहां बैठे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सीमित सन्दर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ जिन आयटम्स पर टैक्स लगा सकता था, अब हम कह रहे हैं कि हम इस अधिकार को छोड़ रहे हैं।

हम राज्य सरकार यह अधिकार केन्द्र सरकार को सौंप दे रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा और बुनियादी परिवर्तन करने की सहमति देने के लिए बैठे हैं, रेट-वेट तो बाद में आयेगा। वह तो जब बिल प्रस्तुत होगा, राज्य को भी अधिकार दिए गए हैं कि स्टेट जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में बिल लाओगे तो आप भी ला सकते हो, यह तो बाद की बात है। किन्तु आज यह समझकर हम सब लोग सहमति दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों को यह मालूम होना चाहिए कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने संविधान में दिए गए उस अधिकार को अब केन्द्र .....

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- केन्द्र को नहीं दे रहे हैं, वह परिषद को ट्रांसफर है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- नहीं, केन्द्र सरकार को दे रहे हैं और उसमें परिवर्तन या किसको छोड़ना है, क्या करना है, उसके लिए कौंसिल को अधिकार दिया गया है और वह कौंसिल भी लॉक साइडेड है। अभी माननीय पाण्डेय जी ने भी इस बात को कहा था, राज्यों की अब आवाज लगभग शून्य हो जायेगी। .....जारी श्री श्रीवास

F-19/Deepak/4.25-30/22-8-2016

जारी.....श्री टी.एस.सिंहदेव

माननीय पाण्डेय जी ने भी इस बात को कहा था कि राज्यों की अब आवाज लगभग शून्य हो जायेगी । किस मायने में, आपके प्रतिनिधि वहां बैठेंगे, समूचे राज्यों के वित्त मंत्री या जिन मंत्रियों को वहां पर सदस्य के रूप में भेजा जायेगा । वह बैठेंगे । कागज में, अब संविधान के संशोधन में, यह रहेगा कि राज्य की भी बात रहेगी । लेकिन किस हद तक । अध्यक्ष महोदय, जितने निर्णय वहां होंगे, वह तीन-चौथाई की बहुमत से होंगे । उपस्थित लोगों के प्रतिनिधियों के तीन चौथाई । और इस तीन चौथाई अर्थात 75 परशेंट में समूचे राज्यों की स्थिति कितनी है, 66 परशेंट । 66.66 इत्यादि । 2/3 । अर्थात सारे के सारे राज्य भी अगर एक होकर किसी बात को कहेंगे, केन्द्र सरकार सहमत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पायेंगे । आप यह अधिकार इस संविधान के संशोध्न के माध्यम से केन्द्र की सरकार को दे रहे हैं । उस कमेटी में भी जिस कमेटी का हवाला आ रहा है । उस कमेटी में भी समस्त राज्य सरकारों की आवाज वहां के

निर्णय को पारित करने के लिए पूरी तरह से नाकाफी होगी । हमारे वित्त मंत्री क्या कहेंगे, हमारे प्रतिनिधि क्या कहेंगे, वह तो छोड़ दिया जाये । 30 में हम एक रहेंगे । लेकिन 30 के 30 एक तरफ और केन्द्र सरकार का 33 परशेंट एक तरफ । 33 परशेंट पास नहीं होने देगा । जब तक केन्द्र सरकार की सहमति उस काऊंसिल में नहीं होगी, आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी वस्तु को कर के दायरे से बाहर नही कर सकते । किसी वस्तु के कर को परिवर्तित नहीं कर सकते । आप अर्थात लगभग कुछ नहीं कर सकते । यह बड़ा संविधान संशोधन पास करने के लिए यहां आज एकत्रित हुये हैं । लगभग सभी ने कहा है कि हां । लेकिन हां किस चीज के लिए । यह अच्छे से हम लोगों के ध्यान में आखिरी हां कहने के पहले जो शायद अब औपचारिकता मत रह गई हो, हमारे ध्यान में जरूर होना चाहिये । हम दे दे रहे हैं, पूरा दे दे रहे हैं । राज्यों के पास जी.एस.टी. फिर परिकल्पनायें हैं, यह भी बात आई, किसका योगदान, क्या योगदान, श्रेय लेना, नहीं लेना । शायद यह राजनीति का हिस्सा है । हमने यह कहा, उन्होंने पहले बात की । कौन लाया । चिदम्बरम जी ने 2005 में पहली बार प्रस्तुत किया । चर्चायें उसके पहले हुई होंगी । ग्यारह साल लग गये, नौं साल तक रूका रहा, जो लोग हां नहीं कह रहे थे, अंतत: उन्हीं के हां कहने पर जो हां कह रहे थे, आज भी ना कहते तो राज्य सभा में पारित नहीं होता । इन सारे परिवेश में जो मूल बात है, वह यह है कि राज्यों के टैक्स लगाने के पृथक और स्वतंत्र अधिकार जी.एस..टी. के संदर्भ में अगर उस काऊंसिल के माध्यम से सीमित हो गये हैं, आप अब अपने ताकत पर कुछ नहीं कर पायेंगे । शेडयूल स्ट्रक्चर पर जिसके लिए पहले देश में बहुत बात हुई । एक लॉ एण्ड आर्डर के संबंध में, उस समय में भी शायद मंत्री चिदम्बरम जी थे । उस समय उन्होंने कहा था कि कानून में परिवर्तन करके कानून की व्यवस्थाओं के तहत एक यह अधिकार केन्द्र को दे दिया जाये । सब ने खूब हो हल्ला मचाया था । ना, ना, ना बिल्कुल नहीं । कानून लागू करने के लिए हमारा थानेदार है, वह केन्द्र सरकार का थानेदार बन जायेगा, हम बिल्कुल सहमत नहीं है । आज कररोपण के संदर्भ में हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं । इसका फेडरल ढांचे पर दूरगामी क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा, जब किसी राज्य को यह लगेगा कि वह छत्तीसगढ़ हो या कोई दूसरा, कि नहीं हमारे मन की बात तो नहीं हो रही है, सब को बटोरा । यह देश कितने सारे फूल अलग-अलग .....

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- नेता जी, वह तो चाय का कमाल है ना । वह तो सब चाय में हो गया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- देखिये, यही फर्क होता है । चाय की बात आ रही है, आज प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है । क्यों ऐसा हुआ । अगर मात्र देश हित की बात थी, आज किसी से आंकड़े थोड़ी छिपे हुये हैं, मैं आज उजागर कर रहा हूँ या आप उजागर कर रहे हो । बहुत सारे लोगों ने इसमें चर्चा की । कमेटियां बनी । इन आंकड़ों को निकाला गया । एक कर प्रणाली आ जायेगी तो देश की जी.डी.पी. को एक से दो प्रतिशत की वृद्धि केवल इसको लाने से हो जायेगी । इसको लाने के बाद व्यापार और परिस्थितियों में परिवर्तन आयेगा तो अलग । हमको ग्यारह साल लगे, चाय पीना पड़ा, यह समझने के लिए, बिना चाय पीये इसको नहीं समझ पाये थे, यह दुर्भाग्य से राजनीति का हिस्सा है, देश की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, हम करेंगे तो सही, दूसरे .....

श्री सुधीर

शर्मा\22-08-2016\f20\04.30-04.35

..जारी श्री सिंहदेव :- एकल कर प्रणाली आ जाएगी तो देश की जी.डी.पी. में एक से दो प्रतिशत की वृद्धि तो केवल इसको लाने से हो जाएगी। उसको लाने के बाद अगर व्यापार और परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा तो वह अलग होगा । अत: हमें 11 साल लगे, ये समझने के लिए चाय पीना पड़ा । (हंसी) बिना चाय पिये हम इसे नहीं समझ पाये थे । अत: ये दुर्भाग्य से राजनीति का हिस्सा है, देश की राजनैतिक व्यवस्था का हिस्सा है कि हम करेंगे तो सही, दूसरा करेगा तो गलत है । अत: ये 9 साल का नुकसान या उसमें से कम से कम 4-5 साल का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था ने भोगा, क्यों? क्योंकि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ये काम अभी भी हो सकता था, लेकिन अगर राजनीति को आगे बढ़ा दूं तो कहूंगा कि भाई, हमारी पार्टी ने कहा कि नहीं, देश हित में इसको हम होने देंगे, आप चाय की बात करो या दूसरी बात करो, पर हम देश हित की बात में इसको होने देते हैं और उसमें भी जिन बातों को स्वीकार किया गया, जो लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में गया था, उसमें भी जो मूल परिवर्तन आया, उसमें जिन बातों के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी बात रख रही थी, उसमें एक प्रावधान था कि अंतर्राज्यीय विक्रय में एक प्रतिशत तक अतिरिक्त कर लगाने की दो या तीन साल तक की व्यवस्था और अगर इस व्यवस्था को आप लागू करते तो ये जो कासकाडिंग टेक इफेक्ट

कहते हैं या यहां लगाया, कर पर कर लगाया, कर के कर पर कर लगाया । छत्तीसगढ़ से माल मध्य प्रदेश गया तो एक प्रतिशत, मध्य प्रदेश से माल गुजरात जाने पर एक और प्रतिशत, गुजरात से महाराष्ट्र जाने पर एक और प्रतिशत, महाराष्ट्र से गोवा पहुंचा तो एक और प्रतिशत, फिर जी.एस.टी. के मायने क्या हुआ ? उस एक प्रतिशत वाली बात को लेकर असहमति कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, जिसको लेकर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने इस जी.एस.टी. को लागू नहीं होने दिया था। यहां माने, लेकिन मुख्यमंत्री जी के रूप में कहा कि नहीं मानते, हमारे प्रदेश को नुकसान होगा । अत: हमारा प्रदेश और देश आज एक प्रतिशत वाली बात को हटाकर आपने ....।

श्री अमर अग्रवाल :- जिस एक प्रतिशत की बातचीत कर रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ के हित में था ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं वही तो कह रहा हूं । मैंने सामान यहीं से उठाना चालू किया था ।

श्री अमर अग्रवाल :- वह छत्तीसगढ़ के हित में था और जो उत्पादक राज्य हैं, उन लोगों की मांग थी, बल्कि उसको हटवाकर आपकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ का नुकसान करवा दिया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने माना न, आपने सहमति दी न ? चाय ने सहमति दी न ? (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ की उसमें सहमति थी, छत्तीसगढ़ ने उसके लिए लड़ा था ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- चाय पीने वालों ने सहमति दे दी कि छत्तीसगढ़ का नुकसान हो । (हंसी) उस समय नहीं दी, क्योंकि व्यापक हित और छत्तीसगढ़, गुजरात का हित । देश का हित एक तरफ और यदि इस व्यवस्था में भी छत्तीसगढ़ का हित निहित हो तो वो भी 11 साल तक इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि इस बिंदु पर भी आप सहमत नहीं हुए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो कंसोलिडेटेड फंड की बात आई, उसका भी उल्लेख पहले जो राज्यसभा में गया, पहले एक्ट के प्रावधान में नहीं था । मैं इसमें देख रहा था कि

इसको आपने इन्क्लूड, ये जो दुबारा यहां से पास होकर जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एण्ड दी स्टेट्स ।

श्री अमर अग्रवाल :- ये इन्पॉवर कमेटी ने करवाया है । ये इन्हीं कारणों से विलम्ब हो रहा था और इसलिए करवाया है कि कंसोलिडेटेड फण्ड में जाता तो बाद में राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलता । इसलिए करवाया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया में आएगा और राज्यों का हिस्सा राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाए, इसमें 11 साल लगाने की जरूरत है ? खैर, इतने समय के बाद भी जो निर्णय सामने आया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए सहमति दें, किंतु जो दिल्ली में भी लगा और किंतु यहां जो हम लोग जोड़ना चाहेंगे कि कम से कम यहां पर चर्चा में आए, क्योंकि अगली बार अब बिल आएगा कि छत्तीसगढ़ में अब एस.जी.एस.टी. को लागू करने के लिए हम किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार का कानून हम प्रदेश के लिए बनाना चाहेंगे और अभी देश में भी आएगा । अभी रेट तय नहीं हुए हैं । क्या आर.एन.आर. के हिसाब से श्री अमर जी को उसका बताया कि जो रेवेन्यू लॉस होने की संभावना या रेवेन्यू रेट हमने एक निकाला कि औसत रेवेन्यू रेट कितना होना चाहिए ? उसको आपके केंद्र सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाईजर ने अपनी तरफ से निकालकर प्रस्तुत किया है और जिसको चाय पीने वालों ने नहीं माना, 18 प्रतिशत कैप करने को आपने नहीं माना। ....जारी

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\g10\04.35-04.40

जारी.....श्री टी.एस. सिंहदेव :- और जिसको चाय पीने वालों ने नहीं माना, 18 परसेंट केप करने को आपने नहीं माना । अधिकतम 18 परसेंट करिये, वह आप लोगों ने नहीं माना और फिर भी हम लोग सहमति दे रहे हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कड़क चाय पिला दी थी लगता है । (हंसी)

लोकनिर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- नेता जी आज चाय कौन-कौन पिये हैं। (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अपन तो बिना दूध वाले हैं, हम लोगों की चाय तो अभी तय है ।

श्री राजेश मूणत :- श्री अजय भैया जी के साथ बैठकर चाय पिये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- वह चाय हम लोग एन.एच. सड़क किनारे पीये थे ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकालने की पद्धति और प्रक्रिया जो जानकारों ने निकाली उसके हिसाब से उन्होंने जो सुझाव दिया । अभी जी.एस.टी. की बात हुई, दूसरे देशों के लिये भी बात हुई स्थिति क्या है । 160-180, 190 देशों में यह कर प्रणाली लागू है उसकी भी बात हुई उस संदर्भ में जो बातें आयी हैं वहां पर दर क्या है, फ्रांस में 19.6 परसेंट, रूस में 18 प्रतिशत, यू.के. में 15 से साढ़े 17 प्रतिशत, न्यूजीलेंड में 15 प्रतिशत, बांगलादेश में 15 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत, सिंगापुर में 7 प्रतिशत, जापान में 5 प्रतिशत, केनेडा में 5 प्रतिशत उदाहरण के लिये ये रेट हैं, अमेरिका में लागू नहीं है, यूनाईटेड किंगडम। जहां पर यह रेट लागू हुए हैं और उन्होंने टैक्स लागू करते समय अलग-अलग देशों ने अलग-अलग वस्तुओं को इस एकल कर से पृथक रखा जो अभी चर्चा का विषय बनेगा । लोग जो बातें अभी उठा रहे हैं वे इसीलिये उठा रहे हैं कि न केवल शंका बतौर, सुझाव बतौर कि आप शिक्षा को लगायेंगे कि नहीं, आप धान को जो नान खरीदेगा उस पर क्या करेंगे, गवर्नमेंट की एजेंसी पर भी लगना है । किस-किस चीजल को छोड़ेंगे, हॉर्टीकल्चर तो आ गया, फिशरीज भी आ गयी, डेयरी भी आ गया, इसमें सब आ गया । जी.एस.टी. में यह सब आ चुका है अब क्या-क्या छोड़ सकते हैं, क्या-क्या वहां से आप करा पायेंगे, किस-किस चीज को आप वहां से छूट दिला पायेंगे, फर्टिलाईजर की क्या स्थिति होगी, इसके ऊपर कर लगेगा कि नहीं । यह बातें जो आने वाले दिनों के लिये हैं उसके संदर्भ में ये बातें रखने का प्रयास हो रहा है और इनमें भी जो बातें आयी हैं, जहां पर इन्हें लागू किया गया है वहां अच्छे ही परिणाम आये हों ऐसी बिल्कुल बात नहीं है । यह आज पास करते समय मैं भी ऐसा मान रहा हूं कि शायद औपचारिकता बच गयी है । हमारे ध्यान में यह होना चाहिए जहां जी.एस.टी. लागू हुई वहां 4 देशों के उदाहरण हैं जिसमें 1 देश में मात्र जी.एस.टी. लागू होने के बाद वहां की आर्थिक दर में वृद्धि आयी, 3 देशों में कमी भी आयी । मैं जी.एस.टी. का पक्षधर हूं, मेरी व्यक्तिगत रूप से जो मेरी सोच है कि जी.एस.टी. एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है किंतु जी.एस.टी. लगाकर, संविधान में संशोधन करके राज्यों के अधिकारों को इस संदर्भ में समाप्त करते हुए हम जिस व्यवस्था को

ला रहे हैं तो हमारे ध्यान में यह होना चाहिए कि कोई इसमें गारंटी नहीं है कि जी.एस.टी. लाईये और विकास दर बढ़ाईये, कोई गारंटी नहीं है यह बात ध्यान में होनी चाहिए । बिल्कुल होगा, अच्छा होगा, मैं भी मानता हूं और मेरी भी यह सोच है कि बेहतर होगा । इतने-इतने टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, एक्साईज टैक्स, फलाना टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स बहुत हो गया था, बहुत खिचड़ी हो गयी थी उसको दाल-भात खाने की जरूरत थी तो दाल-भात पर अपन आ-जा रहे हैं तो यह इससे शायद बेहतर ही होगा । दूसरी बातें हैं जी.एस.टी. है, सी.जी.एस.टी है, आई.जी.एस.टी. है, इंटीग्रेटेढ गुड एंड सर्विसेस टैक्स, स्टेट जी.एस.टी है किसका हिस्सा किसको मिलेगा । जी.एस.टी का, सी.जी.एस.टी. का आपको एक पैसा नहीं मिलेगा । भरपाई के रूप में 5 साल तक जो मिले । पहले प्रारूप में यह भी नहीं था । 5 साल तक मिलेगा यह राज्यसभा के पहले नहीं था, 5 साल तक मिल सकता है और एम्पॉवर्ड कमेटी में यह बात आयी थी कि 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तो दो साल तक पूरा, तीसरे-चौथे, पांचवे साल तक इतना और उसके बाद नहीं । .....जारी

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\g11\04.40-04.45

.....(जारी श्री टी एस सिंहदेव) :- यह भी पहले प्रारूप में नहीं था । पांच साल तक मिलेगा यह राज्यसभा के पहले नहीं था । पांच साल तक मिल सकता है । एम्पावर्ड कमेटी में वह बात आई थी कि 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत दो साल तक पूरा, तीसरे, चौथे, पांचवें साल तक इतना उसके बाद नहीं । पर उसको नहीं मानकर अपन ने पांच साल तक, एक साल भी हो सकता था ।

मुख्यमंत्री (डॉ रमन सिंह) :- मिलेगा ।

श्री टी एस सिंहदेव :- अब हो गया है । यह परिवर्तन के बाद अब हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच एक दो हफ्ते के अंदर जो बातचीत हुई, बातचीत से बहुत कुछ हो जाता है । किसी ने ये भी कहा कि कब बात होती थी, नहीं होती थी, कांग्रेस वाले तो बात ही नहीं करते थे । चिदंबरम जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि लोग मुझे मजाक से चारधाम यात्री कहने लग गए थे । मुझे जी एस टी को लेकर चार धाम की परिक्रमा लगानी पड़ रही थी । उन्होंने वह चार धाम बताए एक, तत्कालीन प्रधानमंत्री । दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोक सभा।

तीसरे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, राज्य सभा और चौथा, एम्पावर्ड कमेटी । उन्होंने कहा कि मैंने चार धाम की खूब परिक्रमा लगाई लेकिन उन चाय पीने वालो को ...।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, उन्होंने अपने नेता का नाम नहीं लिया इसलिए जी एस टी पारित नहीं हुआ । चार धाम में पांचवें का नाम लेते तो तुरंत हो जाता ।

श्री टी एस सिंहदेव :- शायद उन्होंने गलती की । उन्होंने देश हित को देखा और दूसरी राजनीति को कम देखा तो शायद उन्होंने बड़ी गलती की । क्षेत्रीय भावना से ऊपर देश की भावना, भारत माता, शायद उन्होंने उसको देखा । खैर, अब ये लागू होने के बाद इसके संदर्भ में जो बातें आ रही हैं जो लाभ हो सकते हैं उनमें टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म । हम यह मानकर चले कि टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म । क्रेडिट सिस्टम लागू होगा । जिसने पहली बार वस्तु खरीदी वह खरीदते समय टैक्स देगा चाहे वह मेन्युफैक्चर हो चाहे जो हो । जब वह बनाकर आगे भेजेगा अगला आदमी अपने खर्चे जोड़कर जिसको भूपेश भाई कह रहे थे, पाण्डेय जी भी जिसके लिए कह रहे थे, अपने वेल्यू एडीशन जोड़कर 100 रूपए की चीज 120 रूपए में बेचेगा और 120 रूपए पर टैक्स देगा किंतु 100 रूपए पर दिया गया टैक्स 120 टैक्स में समायोजित हो जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा । इसके बारे में बात आ रही है कि शंका क्यों ? रायपुर के ही प्रबुद्ध वर्ग जो व्यापार करते हैं उन्होंने यह शंका व्यक्त की है कि कैसे होगा । इस प्रक्रिया में मान लीजिए कि पहले पाईंट पर जिसको टैक्स देना था या बीच में आखिरी पाईंट के पहले वाले पाईंट ने टैक्स नहीं दिया उसका टैक्स सिस्टम में क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या हम जेल जाएंगे, क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा, क्या क्या होगा ? फिर वह बाद में वह देगा, हमारा टैक्स कहां समायोजित होगा ? शंकाएं हैं । आप जिस कानून को बनाने जो रहे हो इसके बाद अभी तो सिर्फ संविधान संशोधन पर अपने को सहमति देनी है । तो ये बातें व्यापक रूप से चर्चा हैं । देश भर में है । कोई छत्तीसगढ़ रायपुर की बात नहीं है । सभी जगह लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं । यह 18 परसेंट रेट की बात इसका आधार एक उदाहरण स्वरूप यहां पर दिया है । अभी की व्यवस्था और जी एस टी व्यवस्था लागू होने पर अंतर क्या होगा । यदि 100 रूपए की वस्तु पर टैक्स ऑन रॉ मटेरियल आपने 10 रूपए लिया तो दोनों व्यवस्थाओं में 10 रूपए वेल्यू एडिड बाय मेन्युफैक्चर 20 रूपए तो 120 रूपए और जुड़ गया । इस पर 2 परसेंट सेनवेट, आपने 2 परसेंट जी एस टी लगाया यह सब होने के बाद उस उत्पाद की मूल 132 रूपए हो गई । इसके बाद नई और पुरानी व्यवस्था का खेला चालू होता है । पुरानी व्यवस्था में आप सेल्स

टैक्स लेते थे या वेट लेते थे । उदाहरण के लिए इन्होंने 15.2 प्रतिशत लिया और आप जी एस टी में 2 परसेंट लोगे ये 20 रूपए के ऊपर उत्पादन का 132 का जो मूल आ गया फिर उसने जो बेचा रीटेलर ने अपना मार्जिन 20 रूपए का लिया । 132 के ऊपर जब आप 20 रूपए का रीटेलर मार्जिन जोड़कर सेल्स टैक्स लगाओगे तो पुराने टैक्सों के ऊपर टैक्स लगाने की बाद ये वस्तु 167.2 रूपए की पड़ती है । यदि जी एस टी 20 रूपए पर 10 प्रतिशत के हिसाब से लेकर चलते हैं तो ये 154 रूपए होगा । आपको फायदा है । पुराने सिस्टम से इस सिस्टम में फायदा कब है जब आप जी एस टी के रेट को कम रखोगे । ये कैप करने की बात जो संविधान में कह रहे थे, चिदंबरम जी ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि यह मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। आपकी पार्टी के चीफ इकोनॉमिक एडवायजर और आपने जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई उस एक्सपर्ट कमेटी ने आर एन आर इत्यादि वर्कआऊट करके जो दिया और कहा कि 14. इतने से 16. इतना होना चाहिए इसलिए 18 से ज्यादा मत करिए अन्यथा इंफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा । अन्य बातें जो इसमें आई कि स्लेब बनाने की बात है । जो वस्तु आप आर एन आर के हिसाब से रखोगे .....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\g12\.-.5

जारी... श्री टी एस सिंहदेव :- आर.एन.आर. के हिसाब से आप रखोगे मान लो आपने इतना रेट लगा दिया तो जो कुछ वस्तुए हैं जिनको कम आय वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने उसको अपने उदाहरण में अगर आर.एन.आर. रेट एक्स है तो एक्स माईनस, यदि आर.एन.आर. रेट एक्स है तो विशेष विलाश की वस्तुओं पर जो कर लगेगा उसको एक्स प्लस करके आप स्लेब बनाओ और स्लेब के हिसाब से काम करो तो ज्यादा न्यायोचित होगा। कम आय वर्ग के उपभोग की चीजों पर कम टैक्स, रेवेन्यू लॉस आपको नहीं होगा उसके हिसाब से बेस टैक्स और विलाश की वस्तुओं पर, अत्यधिक कीमत की जिन वस्तुओं को कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके लिए एडेड टैक्स ये स्लैब आप बना दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात की है कि जिस बात की चर्चा आई कि मान लीजिए यहां भी अभी कुछ साथियों ने कहा कि शायद छत्तीसगढ़ से ही यह सुझाव गया था कि

हमारा रेवेन्यू लॉस जो हमको होगा उसकी भरपाई के लिए हमको 26 प्रतिशत तक जीएसटी की दर चाहिए अन्यथा हमको रेवेन्यू लॉस होगा, ऐसा या उसके आसपास की बात गई थी।

श्री कवासी लखमा :- सिंचाई मंत्री जी, हमारे नेताजी जो बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है?

श्री टी एस सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 18 परशेंट और 26 परशेंट, 8 परशेंट अगर आपने जीएसटी की दर को जो न्यूनतम की बात कही गई थी बढ़ा दी तो क्या होगा और संविधान में रखने की बात क्यों? हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी चढ़ता है, कभी घटता है। अभी आपने कार्यपालिका को यह अधिकार दे रखा है कि इस टैक्स को आप अपने मन से तो नहीं बल्कि बाजार की परिस्थिति अनुसार निर्णय लेकर आप कम या ज्यादा करो। अब जीएसटी भी यदि इसी दायरे में आ गया, हमको पैसा घट रहा है टैक्स बढ़ा देते हैं तो जो आम उपभोक्ता है उसको इसका/ महंगाई का बहुत ज्यादा भार पड़ सकता है और पड़ेगा इसलिए ये कैपिंग की बात कही जा रही है और उन्होंने तो कहा है कि पार्टी देशव्यापी चर्चा छेड़ेगी, लोगों को बतायेगी कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं क्योंकि इसके पहले हम लोगों को भी कम जानकारी थी। तो ये जब आप करोगे, आप तो बिल बनाकर ले आओगे, हम लोगों से चर्चा उसके पहले नहीं होगी इसलिए इन बातों को अभी रख रहे हैं कि चाहे जब आप सेन्ट्रल काउँसिल में जाओ, चाहे जहां आपको पहल करना है, चाहे बीच में बात करने की बात आये आप उसी पक्ष की बात को रखना और छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने इस रेट से ज्यादा छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए रेट नहीं बढ़ने दिया। इसमें समय तो बहुत लग जायेगा लेकिन आप ही के माध्यम से जो किताब वितरित हुई है इसी के आखिरी पन्नों का उदाहरण- जो यह बात आती है कि रेट नहीं बढ़ेंगे, आपने ही जो पुस्तक सर्कुलेट की है उसमें ही है और इसका नुकसान किनको होना है? आज मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लोग इसके पक्षधर होकर इसको पुश कर रहे हैं कि जीएसटी लाओ-जीएसटी लाओ-जीएसटी लाओ। क्यों? एक- कि जो भी दर लगेगा उनको/उनकी सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा। कारण कि जो जीएसटी लगेगा वह ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वह अपना-अपना दृष्टिकोण है वह कोई सत्यता नहीं है। जैसे आप एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं उसी तरह का वह एक

दृष्टिकोण है। जैसा आपने और हमने दृष्टिकोण रखा, लिखने वाले का दृष्टिकोण है पर उससे आगे जाकर आप सारे तथ्यों को जानते हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इसमें अरिहंदन मुखर्जी का जो आर्टिकल है उसका हवाला है।

अध्यक्ष महोदय :- यह किताब रिफरेंशियल है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह रिफरेंशियल है लेकिन रिफरेंश से ही तो निर्णय करते हैं। कम से कम मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो इतना ज्ञाता नहीं हूं कि मैं निर्णय लूं लेकिन ऐसे ही बातों से तो समावेश करके हम निर्णय करते हैं। अगर सबको मालूम होता या ऊपर देख लेते कि बनाकर भेज दीजिए जीएसटी सब लागू हो जाता। अपन ही को तो करना है। जब इसको करने में 11 साल लग गये तो कई तो बातें हैं जो आज भी सीखी जा रही हैं, आज भी जानी जा रही हैं। ये जो लोग कह रहे हैं आप कहिए न कि ये गलत है। मैन्यूफैक्चरर को जब आप जीएसटी लगाओगे, आज से ज्यादा उस पर जीएसटी का टैक्स लगेगा तो वह उसे उपभोक्ता को दे देगा। और दूसरे जो सीमेंट इत्यादि के जो उद्योग हैं वह आज के दिन 18 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। इनके टैक्स की दर उससे ज्यादा है तो अगर वह उत्पाद का दर कम करेंगे और उपभोक्ता को इसका लाभ देंगे तो यह तो खुशी खुशी कहेंगे कि कम करो, हमारे व्यापार को फायदा मिलेगा। और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होने वाला है?

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\g13\04.50-04.55

जारी.....टी.एस.सिंहदेव :-

और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है ? सर्विस सेक्टर को । सर्विस सेक्टर जो आज हमारी अर्थव्यवस्था में 55 या 57 प्रतिशत योगदान करता है । इसको आपने अभा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर शायद 14 प्रतिशत किया, अगर आपने 18 भी रखा तो इनके ऊपर 4 प्रतिशत और बढ़ने वाला है । न्यूनतम 4 परसेंट और बढ़ने वाला है और अगर आपने 26 कर दिया तो 12 परसेंट तक बढ़ सकता है । 4 से 12 परसेंट तक बढने की संभावना है इसलिए आज के दिन यह बात कही जा रही है कि सहमति के साथ संविधान संशोधन की सहमति हम लोग दें, इसके साथ ही आपकी तरफ से यह आश्वासन आना चाहिए कि भले ही आप न कर

सकें लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को दिखे कि 18 परसेंट से ज्यादा जीएसटी बेस रेट न हो, इसके लिए आपने संघर्ष किया और पहल किया । यह बात नहीं होना चाहिए कि हम तो नहीं लाने दें, हम तो जीएसटी को लागू नहीं करेंगे, जीएसटी की व्यवस्था ठीक नहीं है, 1 परसेंट नहीं होगा तो हमको नुकसान होगा । यह बात क्लीयर आनी चाहिए । भले ही आप न कर सकें । यहां तो ऐसा है कि केन्द्र सरकार अगर हां कहेगी तब आप हां कहेंगे, आपने घोषणा पत्र में बोनस का वायदा किया लेकिन केन्द्र से चिट्ठी आ गई कि नहीं देना है तो आप नहीं दे पा रहे हो । जीएसटी में ऐसा न हो, अगर ऐसा हो तो पूरे छत्तीसगढ़ को मालूम हो कि क्यों हुआ ? मालूम होना चाहिए कि आपने पहल की या नहीं की ? आपने पहल की लेकिन नहीं कर सकें, क्यों नहीं कर सके यह भी छत्तीसगढ़ को मालूम होना चाहिए । छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जानकार व्यक्ति, जानकारी रखने वाले व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक युवा को यह मालूम होना चाहिए कि हम नहीं कर सके और करंट रेट ऑफ टेक्सेशन जहां पर नुकसान होने वाला है । इन्होंने अपनी तरफ से आंकलन किया है, सर्विसेस अभी 14 परसेंट है, नुकसान होगा । बैंकिंग एवं इंश्योरेंस 15 परसेंट है, नुकसान होगा । फूड एण्ड डिंक्स 15 परसेंट है, नुकसान होगा । टेलीकॉम 15 परसेंट है, नुकसान होगा । फार्मा 15 परसेंट है, नुकसान होगा, छूट मिलेगी सो अलग । अगर अभी तक छूट थी तो कोई फायदा नहीं । अध्यक्ष महोदय, रेणु जी ने जिस बात को कहा सबसे ज्यादा नुकसान कपड़ों पर होगा, जो अभी 6 से 7 प्रतिशत है वह कम से कम 18 परसेंट । कम से कम 18 परसेंट होने वाला है । मैं लाभ वाले सेक्टर के संबंध में भी बताना चाहूंगा । कंज्यूमर्स डयूरेबल्स ये 7 से 30 परसेंट है, यह हमारे संज्ञान में होना चाहिए अगर यह 18 परसेंट होगा तो किसे फायदा होगा ? फास्ट मूविंग कंजयूमर्स गुड्स एफएमसीजी 20 से 30 परसेंट है, 18 होने पर 2 परसेंट का फायदा। मीडिया एण्ड एंटरटैनमेंट अभी 22 परसेंट है, फायदा होगा । कार्स एण्ड टू-व्हीलर्स अभी 27 परसेंट है, सीमेंट आज 27 से 32 प्रतिशत है और मल्टीप्लैक्सेस 22 से 24 परसेंट है । कहां फायदा हो रहा है और कहां नुकसान हो रहा है ? जो वर्ग मध्यम से हटकर जिन्हें हम आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं वे जिन वस्तुओं का उपयोग करेंगे उन्हें फायदा हो रहा है या घाटा ? जीएसटी का रेट आज के टैक्स के रेट से, चाहे 10 टैक्स को आप एक कर रहे हो, एक टैक्स लगेगा, कर प्रणाली बेहतर होगी, वसूली की संभावनाएं बेहतर होंगी, कर ज्यादा मिलने की संभावना हो जाएगी, कर चोरी की संभावना भी कम हो जाएगी, इसके बाद इन लोगों के साथ क्या होगा ? उनके उपयोग की वस्तुओं की स्थिति क्या

होगी ? अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, इनको घाटा होने वाला है । इनके ऊपर महंगाई का भार पड़ने वाला है । पूरी व्यवस्था भले ही बढ़ सकती है, आप जितना बढ़ाओगे, उतना सबका वेतन भले ही बढ़ा देना, आप न्यूनतम मजदूरी बढ़ा देना तब शायद घाटा कुछ पटे, वरना आज के दिन तो यही स्थिति है । माननीय भूपेश बघेल जी ने भी श्वेत पत्र की बात कही । संदर्भ यही है कि आप छत्तीसगढ़ को बता दो कि हमको कितना घाटा होने वाला है । एक बार जिस पर सहमति नहीं बन रही थी पेट्रोलियम पदार्थ, यहा कहा जाना कि हमने उस पर छूट कर दी है, यह भी गलत है और शायद गुमराह करने वाला हो । आज की सरकार ने भी, जो भी पिया पिलाया, जो भी समन्वय बनाया । उसमें इसको दायरे से बाहर नहीं किया है । उन्होंने कहा कि अभी नहीं लगेगा, यह कहकर पास किया है कि आगे लगेगा । उसमें भी .....

जारी---श्री

अग्रवाल --

अग्रवाल\22-08-2016\g14\04.55-04.60

जारी....श्री टी. एस. सिंहदेव :- आगे लगेगा, कहकर पास किया है । उसमें भी अगर आप आज 24-25 प्रतिशत वेट ले रहे हैं, 18 परसेंट पर आओगे तो आपको आय का नुकसान होगा और जिन लोगों ने कुछ आंकड़े दिए, उनके अनुमान के हिसाब से छत्तीसगढ़ की लाभ-हानि में काफी बड़ी मात्रा होने वाली है । उन्होंने जो कहा, अमर जी उस बात को बेहतर जानेंगे कि इसमें दो करों में सीधे तौर पर आपको नुकसान होने वाला है-सेन्ट्रल सैल्स टैक्स करीब 900 करोड़ का, एंट्री टैक्स करीब 900 करोड़ तो 1800 करोड़ तो सीधे गए । जो पांच साल तक भरपाई होगी, आगे क्या होगा, पता नहीं और पेट्रोलियम पदार्थों पर जिस दिन, क्योंकि यह होने वाला है, यह आपके एक्ट में आ गया है कि आने वाले समय में आप इसको करोगे । उसमें आंका जा रहा है कि आज के हिसाब से 17सौ करोड़ यानि 18 और 17 कम से कम 35 सौ करोड़, अन्य वस्तुओं को छोड़कर छत्तीसगढ़ के राजस्व को आज के दिन में नुकसान संभावित है तो इसके लिए भी हम हां कह रहे हैं कि हां, ऐसा कर दो । 35 सौ करोड़ का हमको जो नुकसान होगा ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप एक चीज भूल गए हैं । सर्विस टैक्स से जो आय होगी, उसको माईनस कर दो।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- उसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए । उसमें प्लस, माईनस भी होगा । जहां आप ज्यादा ले रहे थे, वह कम भी होगा, जहां कम ले रहे थे, वह ज्यादा भी होगा । फर्क पड़ेगा । ये तो शायद उस समय बात करेंगे, जब आप बना हुआ लाओगे, लेकिन इसमें कई चीज और हैं, जिसमें माईनस जोड़ना बाकी है । फायदे भी होंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है कि फायदे भी होंगे, लेकिन जिन बातों को लेकर बात हुई । अभी एक कागज कुछ और साथियों ने भेजा । ये यहां के व्यापार से जुड़े हुए साथी हैं, इन लोगों की शंकाएं किस प्रकार की है । इंफारमेशन टेक्नालॉजी आपकी जो क्रम है, उसको लागू करने का और उसमें आपने कहा है कि 31 मार्च तक आई.टी. की जो पूरी व्यवस्था है, आल इंडिया बनाकर हम कर देंगे । आज हमको राशन तो नहीं मिलता, जहां आपका यहां से खबर चला जाता है कि वह काम नहीं कर रहा है, लाईन काम नहीं कर रही है, सब काम ठप्प । वह एक महीने में जो रिटर्न नहीं भर पायेगा, उसके साथ क्या होगा, जिनके ऊपर लग रहा है कि इतने रूपये तक की इतने साल की सजा और फाईन, इतने तक का इतने साल का सजा और फाईन, इतने ऊपर का होगा तो इतने साल का सजा और फाईन । ये सारी बातें इनके जेहन में है । इससे ये चिंतित है । अगर आपने ऐसी व्यवस्था लागू की तो स्टैण्ड बाई की क्या व्यवस्था होगी । जो खरीदने वाला है । अभी आप जो टैक्स लगा रहे हैं, वह भी एक तरह से वैल्यू एडेड टैक्स ही है, वेट ही है । लोगों का कहना है कि जीएसटी कोई नई चिड़िया नहीं है, ये हर स्टेज पर जो आप वैल्यू एडीशन करोगे, उस पर ही टैक्स लगा रहे हो । इसको बहुत सोच समझकर इसमें क्रेडिट ट्रांसफर पास ओव्हर किया है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगने की व्यवस्था की गई है, किन्तु उसके बाद भी जो लेने वाला है क्योंकि उसके उपर टैक्स लगेगा । जिसने दिया, अगर उसने जो कमी की तो उसमें क्या स्थिति बनेगी । मैंने हलका सा पहले भी बोला था कि इसको लेकर शंकाएं हैं । जब आप एक्ट बनाएंगे, यहां दोबारा जब हम लोग शायद विंटर सेशन में पास करने की एक बात इसमें रखी गई है तो विंटर सेशन में इस पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले जो तैयारियां आप करके लाओगे, उसमें जरूर हम लोग सोचते हैं कि इसमें विचार करिएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी राज, जिसकी अब काफी चर्चा होने लग गई है । आपने फिर इस कर प्रणाली में भी अभी जो सोच सामने आई है, उसमें कर नहीं देने वालों पर तो आपने इतने साल का और इतने रूपये का इंतजाम कर दिया । कर वसूलने और लगाने वाले के लिए क्या किया है । इस व्यवस्था में हर स्थिति में अगर अधिकारियों को छोड़कर, वे भी

नागरिक हैं, लेकिन अधिकारी नागरिकों को छोड़कर व्यापारी नागरिक, इनके ऊपर किसी भी कमी के चलते एक साल, तीन साल, पांच साल पेनाल्टी के साथ सजा का प्रावधान है तो वसूलने में जिन्होंने कमी की है क्योंकि अगर उन्होंने कमी की होगी, तभी तो वे बच के रह गया होगा । उनका काम है-ये सब देखना, उनका काम है-सबको इस दायरे में लाना । जो अमर जी ने बोला । इसमें आपका टैक्स स्लैब बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो उसमें भी वसूली आयेगी, उसमें प्लस-माईनस बहुत सारी चीजें हैं तो आप उनको भी जरूर इसमें लाना । आपने जाति प्रमाण पत्र वाला एक एक्ट यहां पास किया था और जाति प्रमाण पत्र वाले एक्ट में आपने प्रावधान किया कि जाति प्रमाण पत्र लेने वाला और देने वाला दोनों को दो साल की सजा या कुछ साल की सजा होगी । इसमें जरूर वैसे ही करिएगा । टैक्स वसूलने वाले जिनकी जवाबदारी है और टैक्स देने वाले, जिनको टैक्स

श्री देवांगन

देवांगन\22-08-2016\g15\05.00-05.5

जारी...श्री टी0एस0 सिंहदेव- जाति प्रमाण पत्र वाले एक्ट में आपने यह प्रावधान किया कि लेने वाला और जाति प्रमाण पत्र देने वाला दोनों को दो साल की सजा या कुछ साल की सजा का प्रावधान है। इसमें जरूर वैसा ही करियेगा। टैक्स वसूलने वाले की जिनकी जवाबदारी है और टैक्स देने वाले, जिनको टैक्स देने की जवाबदारी है। ये तो अब सेल्फ असेसमेंट की तरफ हम लोग बढ़ गये। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें जवाबदेही लेने वाले और देने वाले की बराबरी की हो। यह कानून में जरूर व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही बात आयेगी अधिकारी राज? जवाबदारी तो दोनों की बराबर की है। आपकी, हमारी कानून बनाकर थोड़ा आराम से बैठने की है, कानून बना दिया। शायद करदाता के रूप में प्रभावित हों, वरना जो तंत्र है, वह पूरी तरह से हर वर्ग जवाबदेह हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। ये फ्रोडियेंटली आफ फाल्सिफाई करने की सेक्शन 73(1) का इन्होंने हवाला दिया। सेक्शन 73 का हवाला दिया है। 50 लाख इवेशन वगैरह की बातें हैं। इसमें बहुत से लोग चिंतित हैं। मैं आपके पास इसको भेज भी दूंगा। आपके पास आ भी गया होगा। लेकिन इन बातों को भी ध्यान में रखकर आगे की बात करेंगे तो आज की ये जो सहमति की बात हो रही है कि सर्वसम्मति से इन बातों को संज्ञान में रखते हुए भी हम लोग हां कह रहे हैं। इस कानून के संविधान परिवर्तन

के लिए तो इन बातों को जब अगली बार कानून पेश करेंगे तो जरूर ध्यान में रखेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। इनफ्लेशन बढ़ सकता है। अधिक रेट लग गया। करदाताओं के ऊपर अन्यायपूर्ण ऐसी व्यवस्थाएं ना हो कि उनको बहुत ज्यादा दबाव, गलत करने वालों को सजा ना दी जाए यह कोई नहीं कहता, लेकिन गलत होने देने वाले को भी सजा का प्रावधान रहे तो अच्छा होगा। अंत में इस संविधान संशोधन के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की भी संवैधानिक अधिकार टैक्स लगाने का हम केन्द्र सरकार को देने के निर्णय को ले रहे हैं, यह मानते हुए कि अगर इसमें केन्द्र की सरकार को यह अधिकार देने के बाद भी पूरी अर्थ-व्यवस्था को, देश की अर्थ-व्यवस्था को और उसमें छत्तीसगढ़ की भी अर्थ-व्यवस्था है, अंतत: उसको हम लाभ पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात को ध्यान में रखकर इसे संविधान के संशोधन को सहमति देते हुए अपनी बात को मैं यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय- मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (डॉ0 रमन सिंह)- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश एवं राज्यों में लगातार वर्षों की मेहनत के बाद यह अवसर आया है कि जीएसटी यानी गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स बिल लागू करने के लिए राज्य सभा और लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन विधेयक आम सहमति से इसे मंजूर किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। पूरे देश में इसका स्वागत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा के लिए आज यहां आपने छत्तीसगढ़ की विधान सभा में विशेष सत्र आहूत किया। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे अमूल्य सुझाव, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्नचिह्न इस विषय को लेकर आए, जिसकी व्यापक चर्चा उस समय होगी, जब इस विधान सभा में केन्द्र सरकार के माध्यम से कानून के रूप में हम उसको प्रस्तुत करेंगे और एक-एक विषय पर डिबेट होगी। चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस टैक्स का हो। उसके लिमिटेशन क्या हैं, उसके कैप्स क्या हैं, ये सारे विषय उसमें होंगे। मगर आज मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे सभी माननीय मंत्री अग्रवाल जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और व्यापक रूप से सारे बिन्दुओं को आज इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखा, को धन्यवाद दूंगा । माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने हिस्सा लिया, देवजी पटेल, श्री धनेन्द्र साहू जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री भूपेश बघेल जी, लाभचंद बाफना जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री सांवलाराम डाहरे जी, श्री अमरजीत भगत, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री कवासी लखमा, अमित अजीत जोगी जी, श्री श्रीचंद सुंदरानी, डॉ0(श्रीमती) रेणु जोगी जी, श्री

प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्री मोतीलाल देवांगन जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष टी0एस0 सिंहदेव साहब ने इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी लंबी चर्चा के बाद....

जारी... श्रीमती सविता

सविता\22-08-2016\g16\05.10-05.15

जारी डॉ रमन सिंह :- श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, श्री मोतीलाल देवांगन और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव साहब ने इस पर हिस्सा लिया। एक बड़ी लम्बी चर्चा के बाद आजादी के 70 वर्ष और उस 70 वर्ष के इस कालखण्ड, यात्रा में ये अपने आप में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वह नजारा भी हम लोग टेलीविजन के माध्यम से देख रहे थे। कैसे लोकसभा में, कैसे राज्यसभा में इस विषय को लोगों ने इस पर अपनी सहमति दी। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। एक इच्छाशक्ति के साथ और इच्छाशक्ति तब होती है जब उसके साथ लोकसभा की ताकत और विधान सभा की ताकत होती है। नरेन्द्र मोदी जी ने बहुमत के साथ एक ऐसी पार्टी का गठन किया, ऐसे सरकार का गठन किया, जिसके अंदर इच्छाशक्ति है और उस इच्छाशक्ति के कारण ये आज उपलब्धि हम सब को दिख रही है और इसमें न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, अरूण जेटली जी को और उसके साथ ही साथ विपक्ष के सभी दलों को, हमने राज्यसभा और लोकसभा का डिबेट देखा है। सब ने जिस प्रकार इसका स्वागत किया है, वे बधाई के पात्र हैं। आज इस विधान सभा के माध्यम से उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) एक बेहतर कदम हमने उठाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्पना क्या है, इसके पीछे सोच क्या है ? एक देश, एक झण्डे के नीचे, एक पहचान और एक कर व्यवस्था इस पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की एक व्यवस्था का नाम है, जिसमें जीएसटी लागू करने की व्यवस्था की है। अभी तक क्या था, क्या दिक्कतें थीं? 7 दशकों में जो विसंगति थी, असमंजस, भ्रम और दोहरापन था। ये कर के दोहरेपन, राज्य के अलग, केन्द्र के अलग और अलग-अलग व्यापारी या उपभोक्ता को इसके लिए परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसके लिए छुटपुट प्रयास हुए। मुझे लगता है कि आज सभी ने बताया कि 8 प्रकार के केन्द्रीय कर, 8 प्रकार के

राज्य के कर, 16 प्रकार के अलग-अलग कर के मकड़जाल में न केवल व्यापारी, बल्कि उपभोक्ता भी उलझा रहता था कि कहां क्या टैक्स लग रहा है और इस पर स्पष्टता न होने की वजह से, इसमें जो लिकेजेस होते थे, उसको दूर करने के लिए ये विषय यदि आज दोहरे कर रोपण से मुक्ती का एक रास्ता यदि निकल रहा है तो एक बड़ी उपलब्धि देश के संबंध में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में न केवल केन्द्र सरकार, 29 राज्यों में दो विधान सभायुक्त सम क्षेत्रों में, 32 कर क्षेत्रों में बंटा हुआ है यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कर, पूरी की पूरी सिस्टम है। 32 सेक्टर में बंटा हुआ है और सब के अलग-अलग नियम कानून प्रक्रिया और टैक्स के अलग-अलग हिस्से हैं कि कितना किसको लेना है और जब आप इस युग में ये कल्पना करते हैं कि ग्लोबल विलेज के रूप में एक देश, पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में समझते, पूरे हिन्दुस्तान को एक बाजार के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो इस प्रकार के 32 कर क्षेत्रों में बंटा हुआ देश कैसे बेहतर तरीके से कर व्यवस्था को पूरा कर सकता है। इसकी कल्पना इस देश में आज से हजारों साल पहले हुई और आज उस महानायक का नाम लेना चाहूंगा चाणक्य। चाणक्य ने ये व्यवस्था की कि कर व्यवस्था के माध्यम से राज्यों का एकीकरण कैसे हो सकता था, उसके दौर में 16 महाजनपदों में देश बंटा हुआ था। पर चाणक्य ने कहा कि जब तक एकीकरण का काम इस देश के अंदर नहीं होगा तब तक राष्ट्र के रूप में पहचान नहीं बनेगी, राज्य के रूप में विभाजित शक्तियों के रूप में अलग-अलग कर रोपण की व्यवस्था करेंगे और चाणक्य की इस कल्पना और उस नीति का परिणाम था कि उस दौर में अर्थव्यवस्था से राष्ट्रव्यवस्था को देश को एक सूत्र में बांटने की कल्पना हुई। जब राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, राज्य की कल्पना थी और आज इतने लम्बे समय बाद हम कह सकते हैं कि आज सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। यदि घटनाक्रम को इतिहास में पलट कर देखें, 70 साल की यात्रा में हिन्दुस्तान के एकीकरण के दो बड़े महत्वपूर्ण स्टेप हुए। जिन्होंने इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया और उस भूगोल, इतिहास बदलने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने 562 रियायतों का विलय करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रतिभाजित किया। (मेजों की थपथपाहट) मैं पहले लाईन में इस बात का खण्डन करना चाहूंगा .....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\22-08-2016\g17\05.10-05.15

पूर्व जारी.... डॉ. रमन सिंह :- विलय करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रतिपादित किया। मैं पहले लाईन में इस बात खंडन करना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कश्मीर के लिए कभी ये नहीं कहा, जो आज इसका जिक्र किया गया। उसको हटा देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह किताब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगा।

डॉ. रमन सिंह :- इस देश के अंदर कभी किसी वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा था कि कश्मीर कोई हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, उसको अलग पाकिस्तान से जोड़ दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लिखी हुई सैकड़ों किताब हमने जीवन में पढ़ा है, सारे संदर्भ पढ़ा है, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तो एकीकरण के लिए देश को ऐसी दिशा दिखाई है, जब निजाम हैदराबाद हिन्दुस्तान में अलग होना चाहता था, उन्होंने सेना भेजकर उसको एक घंटे में सरेन्डर किया। भोपाल का गवाह है कि कराची में भोपाल बैंक खोल लिया। अलग अस्तित्व की बात करने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि 12 घंटे के अंदर यदि इस देश में विलय नहीं होता, भोपाल के उस नवाब को इस देश में वो कानून की व्यवस्था के अंदर लाने की पर्याप्त हमारे पास शक्ति है। उसको 12 घंटे के अंदर विलय करना पड़ा। 562 अलग-अलग रजवाड़ों को जो अपने आप को राष्ट्र समझते थे, उनको गलतफहमी थी, उनको एक घंटे में, यदि इस देश का स्वरूप बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। मैने राजनीतिक जीवन के इतनी लंबी यात्रा में आज तक किसी फोरम में, किसी मंच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे ऊंचे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य। मुस्लिम बाहुल्य और बहुत सारे इलाके थे। हैदराबाद में क्या स्थिति थी ? उस समय भोपाल की क्या स्थिति थी ? 36 स्थान ऐसे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जोड़ देता हूं। गुजरात के एक राज्य जूनागढ़ ने पाकिस्तान में अपने आप को सीट कर दिया था।

डॉ. रमन सिंह :- कर दिया था। जूनागढ़ ने कर दिया था। महाराज, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ताकत थी कि उन्होंने सारे राजवाड़ों को एक दिन में ठीक करके दिखाया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ताकत नहीं थी। ये ताकत थी भारत डोमीनियन आफ इंडिया। ये जितने राज्यों को कह रहे हैं कि उनके पास दम नहीं था, शायद मुख्यमंत्री जी भूल गये होंगे, ये सारी रियासतें अंतर्राष्ट्रीय कानून में पृथक कानूनी राज्य माने जाते थे। इनका विलीनीकरण ऐसे नहीं हुआ। देश ने उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संधि की है। ऐसे वैसे ये राजा नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जैसे भारत देश की मान्यता थी, वैसे ये 562 रियासतों की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय कानून में थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एक विषय रखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कश्मीर के मुद्दे में ये बात कही।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैने तो आपको पहले ही कहा कि गिल साहब की किताब मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, आप पढ़ लीजिए। मैनें संदर्भ बताया। वह संदर्भ गलत है तो आप बोलिये कि वह संदर्भ गलत है। ... (व्यवधान)..

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आप इतिहास पढ़ लीजिए, कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला सरदार पटेल देखें। कश्मीर से मेरे भावनात्मक संबंध हैं, कश्मीर का मामला मैं देखूंगा और नेहरू जी की गलती के चलते कश्मीर आज विवाद में पड़ गया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :-गिल साहब की किताब मैं मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगा। आप उसको देख लेना कि लिखा है या नहीं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अलग-अलग संदर्भों में एक हजार लोगों ने अलग-अलग किताबें किसी न किसी विषय को प्रेरित होकर लिखी। मगर वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे व्यक्ति के लिए कोड करने के लिए अधिकृत किताब नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इसकी जांच करवा लीजिए। अधिकृत है या नहीं, आप पहले जांच करवा लीजिए। उन तथ्यों की जांच कराईये, फिर आगे की बात करें।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यदि राज्यों के विलीनीकरण के लिए चर्चा करना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय, उसकी भी चर्चा दो दिन चलेगी और उसके लिए भी चर्चा के लिए हम तैयार हैं। राज्यों के विलीनीकरण की बात..।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसको भी करा लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राज्यों के विलीनीकरण के ऊपर अवश्य चर्चा कराईये।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जी.एस.टी. पर केन्द्रित रहूंगा। मगर मेरा नायक, राजनीतिक क्षेत्र में जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैरे राजनीति में उस दृष्टि से सोचा कि उससे सर्वोच्च व्यक्ति तो इस देश की राजनीति में विरले होंगे। (मेजों की थपथपाहट) उसके ऊपर यदि ये बात आती है तो मुझे पीड़ा हुई है। मुझे दु:ख हुआ। कम से कम वो मापदंड स्थापित करने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने हिन्दुस्तान को एकसूत्र में बांधने के बाद चाणक्य के बाद बड़ा भूमिका निभाई। मैं आज इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। मगर मैं चाहूंगा कि ऐसी बात को कोड करके उस 562 राज्यों के विलीनीकरण को अच्छा और बुरा, या राज्यों की मर्जी थी तो विलय हो गया, किसी के मर्जी से विलय नहीं हुआ, ये हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी है....(जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\22-08-2016\g18\05.15-05.20

.....जारी डॉ0 रमन सिंह किसी की मर्जी से विलय नहीं हुआ, यह हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी है, हिन्दुस्तान की ताकत है, जिसकी वजह से राज्यों को इस गणतन्त्र में विलयनीकरण होना पड़ा। यह किसी की मेहरबानी से विलयनीकरण नहीं हुआ।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- राजाओं की सहमति को छोटा मत करे, मुख्यमंत्री जी। यह भी मुख्यमंत्री जी का अनुचित व्यवहार है। उनकी सहमति रही, दम कितना था, यह अलग बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो वल्लभ भाई पटेल की पालिसी थी कि साम,दाम, दण्ड, भेद से राजाओं को सहमति के लिए तैयार किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक राजा बोल रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाए। अभी आप एक राजा बोल रहे हो या नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बोल रहे हो।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जी0एस0टी0 पर चर्चा करिये। जी0एस0टी0 पर चर्चा हो।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- 15 अगस्त, 1947 ...

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अभी एक राजा के उदगार निकल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक लीडर के उदगार हैं।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- 01 जनवरी, 1948 तक राजा थे। आपके छत्तीसगढ़ में भी ये राजा 01 जनवरी, 1948 तक थे। 15 अगस्त को इनका विलयनीकरण नहीं हुआ था। उस समय वल्लभ भाई पटेल से लेकर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जिन बातों को लेकर अन्तराष्ट्रीय संधि, जिस पर वे कायम नहीं रह पाये। बहुत सारी बातों पर कायम नहीं रह पाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, छत्तीसगढ़ के विलयनीकरण का भी एक इतिहास है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- वह इतिहास की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितने लोगों ने अपनी सहमति से विलयनीकरण किए और कितने लोगों ने पटेल पर दबाव में किया ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- कब हुआ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कितने लोगों ने सहमति से ? इसका भी इतिहास एकाध दिन बताइयेगा।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- क्या 15 अगस्त 1947 को हुआ ? यह तो बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योंकि इस विलयनीकरण में आपका अधिकार....

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- आप इतिहास के ज्ञाता हो, क्या छत्तीसगढ़ के राजाओं का विलयनीकरण 15 अगस्त को हुआ ? कब हुआ था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके इलाके के ही एक राजा ने विलयनीकरण से इंकार कर दिया था। बाद में विलयनीकरण में दस्तखत किए थे।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- कब विलयनीकरण हुआ था, यह तो बताईये ? कब हुआ

श्री अजय चन्द्राकर :- 1950 तक विलयनीकरण चला था।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- ईस्टर्न एजेंसी के रियासत थे, कब विलयनीकरण हुआ ? 01 जनवरी, 1948. 15 अगस्त को नहीं हुआ। बकायदा संधि हुई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- 15 अगस्त आजादी के बाद कशमीर मामलों में, आप करते नहीं तो जाते कहां ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- ऐसा करके उनको छोटा मत बनाईये। ऐसा करके राजाओं में दम नहीं था, यह शोभा नहीं देता है।

श्री धनेन्द्र साहू :- यह विषय जी0एस0टी0 का है। (.....व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे हैं या राजा के रूप में बोल रहे हैं।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय सरगुजा रियासत के महाराजा माने जाते थे, जिनको भारत सरकार ने ...

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब लोकतन्त्र आ गया है, राजशाही खत्म हो गई है। आप अभी भी राजा मत समझिये।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- 1971 तक महाराजा का टाइटल दिया, जिसके लड़के को राजा का टाइटल दिया। उस परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप 1947 की बात कर रहे हो। राजाओं में दम नहीं था, यह आपने 1947-1948 के सम्बन्ध में कहा, आज की नहीं। आज आप कहो कि नेता प्रतिपक्ष में दम नहीं, मैं चुप रहूंगा। लेकिन बाप-दादाओं के योगदान के लिए बोलोगे, तो नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। आपको इज्जत देना है तो दो नहीं देना है नहीं दो, लेकिन आप बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी बहुत इज्जत करते हैं।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- उस समय के लोगों की भी इज्जत करिये, जिनके पास बहुत कुछ था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी राजशाही जग गई है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- उनका बहुत कुछ लिया गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने ही लिया। लेकिन बहुत कुछ लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी राजशाही जग गई है, लगता है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- नहीं-नहीं, राजशाही नहीं जागी है। मान-सम्मान की बात है। .....(व्यवधान)

श्री देवजी भाई पटेल :- तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की गलती के कारण आज तक कश्मीर सुलग रहा है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- बात दादाओं के लिए नहीं चलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी सोई राजशाही जाग गई है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- राजशाही नहीं, मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं एक राज परिवार में पैदा हुआ हूँ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जी0एस0टी0 पर चर्चा कराईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो उसको कौन मना कर रहा है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसको कौन मना कर रहा है। आप राज परिवार में पैदा हुए हो, आज राजाओं का राज खत्म हो गया है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- मेरे जीवन में चाहे जिस कारण से हुआ हो,

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज राजाओं का राज खत्म हो गया है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म है, जिस परिवार की आज भी मान्यता है।

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\22-08-2016\g19\04.25-04.30

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, जी.एस.टी. पर चर्चा कराईये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसको कौन मना कर रहा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मुझे बहुत गर्व है । चाहे जिस कारण से हुआ हो.....

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप राज परिवार में पैदा हुये, आज राजाओं का राज खत्म हो गया है । राजशाही नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- चाहे जिस कारण से हुआ हो, मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा भाग, यह नेता प्रतिपक्ष नहीं है, एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म है, जिस परिवार की आज भी मान्यता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- राजशाही मानों या जो मानों । दम नहीं है कहोगे बाप दादाओं में तो नहीं मानूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाप दादाओं का नाम मैंने नहीं लिया है । आपने लिया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- लिया है । रिकार्ड दिखवा लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप रिकार्ड दिखवा लीजिए । राजाओं में दम नहीं था, कहा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मेरे बाप-दादा राजा नहीं थे क्या । राजा नहीं थे, महाराजा थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके महाराजा के लिए थोड़ी बोला है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, जी.एस.टी. पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमरजीत जी, आप राजा के अंडर में हो या नेता प्रतिपक्ष के अंडर में हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह लाल साहब के अंडर में है । राजा के अंडर में नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- मुख्यमंत्री जी, जी.एस.टी. का विरोध किये, हम उस बात को नही पकड़े । आप नया विवाद क्यों बढ़ा रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप जी.एस.टी. पर चर्चा कराईये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप अमरजीत से पूछ रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि जो रियासत के राजा थे, उनके प्रति सम्मान है कि नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम तो आज भी आपका सम्मान करते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप करो या नहीं करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपका आज भी सम्मान करते हैं । अमरजीत जी, अब (X X) लोगों के अंडर में नहीं रहना चाहते । अब वह लोकतंत्र में रहते हैं । राजाओं के अंडर में नही रहना चाहते ।

श्री अमरजीत भगत :- पहले जो व्यवस्था थी, उसको भी मानते थे, आज जो व्यवस्था है, उसको भी मानते हैं । आज भी महाराज साहब बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित करें ।

श्री अमरजीत भगत :- वहां की जनता का सम्मान है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे हैं ।

सदन की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम 5 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है ।

(सदन के द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

अध्यक्ष महोदय :- अब जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसी को कन्टिन्यू करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री वृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर भड़काने के लिए शब्द बोला गया था । ताकि सदन गरम हो जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मालूम है, आप भी राजाओं से दुखी हो ।

डॉ.रमन सिंह :- मेरा एक छोटा प्रश्न है, जिसका मैं जवाब नहीं चाहूँगा । प्रश्न आपके लिए और विधान सभा के लिए । 1947 के पहले इस देश में अंग्रेजों का राज था । अंग्रेजों का राज था और किसी का राज नहीं था । अंग्रेज ही शासन चला रहे थे । राजाओं तो सिर्फ उनकी एजेंट की भूमिका में काम करते थे । अंग्रेजों का राज था इस देश में । 1947 में आजादी मिली। मेरा यह जवाब नही, प्रश्न है । जो लम्बे समय तक इस देश की जनता, प्रदेश की जनता.....

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी भी यही कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में .....(व्यवधान)..... आपने संधि क्यों की । अगर यह केवल अंग्रेजों के अधीन थे, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, आपने क्यों इनके साथ संधि की । क्यों सरदार पटेल ने इनके साथ चर्चा की ।

(X X) अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके पहले 700 साल मुगलों का राज रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका औचित्य क्या है । आप उस बात को बार-बार क्यों बोल रहे हो ?

श्री मोहन मरकाम :- आज उसी पर चर्चा हो जाये ।

डॉ.रमन सिंह :- .....तो मैं उसको छूता ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं जी.एस.टी. पर आ रहा हूँ ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा किस बात के लिए बुलाई गई है । उस विषय पर चर्चा करिये ना ।

डॉ.रमन सिंह :- पटेल जी बीच में आये तो मुझे आना पड़ा । राजा हैं तो राजा साहब खड़े हो गये । हम तो पटेल के पक्षधर हैं । जिन्होंने विलीनीकरण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और आज भी दूसरा काम .....

श्री अमरजीत भगत :- आपका भी तो किसी न किसी रियासत से संबंध हैं ?

डॉ.रमन सिंह :- रियासत के सभ्य नागरिक थे । मगर मैं इस बात को मानने वालों में से एक हूँ कि आजादी में, 1947 में अंग्रेजों को भगाया, जिसका राज

हिन्दुस्तान पर शासन, शोषण और दोहन कर रहे थे । इससे मैं 100 प्रतिशत सहमत हूँ। बीच में कोई नहीं था । उसके लिए अभी डिबेट करने की जरूरत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो विषय पर अपनी बात शुरू करूंगा । जो सहकारी संघवाद की अवधारणा, जो माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच रही है, इस देश को एकजुट करने का, जोड़ने का । इसका संविधान के भाग 13 पर समुचित प्रावधान है.....

श्री सुधीर

शर्मा\22-08-2016\g20\05.25-05.30

..जारी डॉ. रमन सिंह :- मैं तो दो विषय पर अपनी बात शुरू करूंगा कि जो सहकारी संघवाद की अवधारणा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच इस देश को एकजुट करने और जोड़ने की रही है और इसका संविधान के भाग-13 में समुचित प्रावधान है, मगर आज कॉन्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी ? संविधान के अनुच्छेद-246, इसमें जिस व्यवस्था का मूल एक लाईन का प्रश्न है और एक लाईन का जवाब है, केंद्र, राज्य के कर

व्यवस्था को 246 में पृथक-पृथक बांट दिया गया था । अमेण्डमेंट 246-ए में जो हो रहा है, इसी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने का है, एक साथ मिलाने का है और इसकी शुरूआत, जो ये प्रश्न उठ रहा था कि ये तो वेट है, मैं कहूंगा कि अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के सरलीकरण की प्रक्रिया और आमूलचूल सुधार की शुरूआत जी.एस.टी. कुछ नहीं, बल्कि माल और सेवाओं पर समुचित वेल्यू एडेड टेक्स इन ए वेट ही है । ये उसी का स्वरूप है, जो राज्यों और केंद्र के बीच बंटा हुआ था, उसके एकीकरण का है और वेट की शुरूआत माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने, जब इस वेट की चर्चा होती है, जब लोकसभा में भी वेट की चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि इतनी बड़ी सोच को लेकर, किसने इसकी शुरूआत की? वर्ष 2000 में श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने राज्य के वित्त मंत्रियों की सशक्त कमेटी का गठन 2004 में किया और इस ऐतिहासिक पहल के फलस्वरूप 2005 में वेट व्यवस्था को राज्यव्यापी तौर पर लागू करने के लिए, जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, जो राष्ट्रव्यापी जी.एस.टी. व्यवस्था की जिसने अनुशंसा की, यही आधार स्तम्भ उस जी.एस.टी. की शुरूआत की है और धारा-246 में आवश्यक संशोधन के लिए, जिसमें एक बार अनुच्छेद-246 (क) में सवैधानिक रूप से 10 साल की इस यात्रा में इतनी चर्चा और इतनी बहस, जिसके बारे में श्री अमर जी ने बहुत डिटेल में बताया, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी ने इसको बहुत स्पष्ट करने का और सरलीकरण करने का प्रयास किया और हमारे सभी सदस्यों ने इसको व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया । इतनी लंबी चर्चा के बाद एक विषय का समाधान निकला और अब ये विषय आता है, आज जिन विषयों में चर्चा हो रही थी, वह सारी चर्चा, जब हम इस विषय को लेकर जी.एस.टी. परिषद का गठन और इसका स्ट्रक्चर क्या है ? जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो बड़ा स्पष्ट रूप से पहले भी कहा गया कि जी.एस.टी. काऊन्सिल बनेगी, उसमें राज्यों की बढ़त है, 67 प्रतिशत स्टेट का, 34 प्रतिशत सेंट्रल का और 75 प्रतिशत, जब तक उसमें मेजोरिटी नहीं होगी, तब तक उसमें संशोधन नहीं हो सकता । केंद्र का 34 प्रतिशत हिस्सा है, राज्य जब तक नहीं चाहेगा, केंद्र की मर्जी नहीं चलेगी, जो नेता जी बोल रहे थे कि केंद्र जो चाहेगा, कर लेगा, जो राज्य चाहेगा, उसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 67 प्रतिशत का बहुमत रहेगा, इसलिए हम उसमें अपना दबाव बनाकर रखेंगे और ये एक प्रकार से राज्यों के सशक्तीकरण के हिसाब से एक मजबूत कदम है, जो कदम बार-बार उठाए गए, हिन्दुस्तान की राजनीति में इस दो साल में श्री मोदी जी ने जो कदम उठाये हैं और केंद्र व राज्य, दोनों एक-दूसरे की सहमति के बिना ये

75 प्रतिशत वोट दोनों को नहीं मिल सकता, राज्य चाहे तो भी नहीं और केंद्र चाहे तो भी नहीं। इसलिए समन्वित रूप से एक आम सहमति के साथ ही इस विषय को, हो सकता है कि इसलिए इसे सहकारी संघवाद कहा जाता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप और मोदी जी दोनों इसका विरोध क्यों कर रहे थे ? आज उसका पक्ष ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है ?

डॉ. रमन सिंह :- कोई विरोध के बारे में हमारे माननीय, इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है । (हंसी) आज अध्यक्ष जी ने 4 घंटे का समय दिया था और इसमें 7-8 घंटे हो गए, उसके बाद भी वही प्रश्न, जहां से शुरूआत हुई थी, वही प्रश्न आप अभी भी कर रहे हो । अब एक बार श्री अमर जी से अकेले में मिल लेना, वे और अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय लगेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जी.एस.टी. परिषद है, ये परिषद संयुक्त रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से करमुक्त वस्तु, सेवा पर चिन्हांकन, कर की दरों का निर्धारण, केंद्र तथा राज्य सरकार के मॉडल कानून और नियमों की तैयारी, केंद्र और राज्य के आपसी कर विवाद के निपटारे संबंधी कार्य किये जायेंगे । परिषद के निर्णय पुराने दो तिहाई अंश राज्यों का हिस्सा रहेगा और तीन चौथाई बहुमत से इसको पास किया जायेगा। ....जारी

श्रीमती यादव

नीरमणी\22-08-2016\h10\05.30-05.35

जारी.....डॉ. रमन सिंह :- दो तिहाई अंश राज्यों का हिस्सा रहेगा और तीन चौथाई बहुमत से इसको पास किया जायेगा इसका मतलब है कि राज्य की व्यापक सहमति इसमें जरूरी है और उसके बिना इसको पास नहीं किया जा सकता और यह टीम इंडिया का जो कांसेप्ट माननीय मोदी जी ने किया है उस टीम इंडिया के कांसेप्ट में इस देश को मजबूती से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और एक प्रकार से नये युग का जब हम पूरे मार्केट को दुनिया के सामने खोल रहे हैं । पूरे हिंदुस्तान में मुक्त व्यापार की कल्पना करते हैं तो टैक्स के यदि अलग-अलग स्ट्रक्चर में हम आर्थिक एकीकरण की दिशा में नहीं जायेंगे तो यह बेहतर होगा । माननीय मोदी जी ने दो बड़े कदम उठाये हैं कि राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के लिये, केंद्र

सरकार के राज्य के अंश में 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की वृद्धि की है । यह हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक कदम था । (मेजों की थपथपाहट) यह पहली बार हुआ है । नयी खनिज नीति मिली है जिसमें स्टेट का शेयर बढ़ा और स्टेट की आमदनी बढ़ी है । कर के बारे में एक प्राचीन जो चाणक्य ने इसमें भी दो सूत्र किये क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक आधार बनाकर छोड़ा जो हजारों सालों तक जो व्यवस्था बनी रही उसमें उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था का एकत्रीकरण कैसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी मधुरस फूलों से इकट्ठा करता है और शहद बनाता है और शहद बनाने के बाद मधुमक्खी उसका यूज नहीं करता, लोग उसका उपयोग करते हैं, मेहनत करता है मगर फूलों को तकलीफ नहीं होती । मधुकण इकट्ठा करने के लिये ऐसी ही कर व्यवस्था होनी चाहिए । इसमें शहद की तरह उसका जनमानस उपयोग कर सके । (मेजों की थपथपाहट) दूसरा एग्जाम्पल चाणक्य ने दिया, कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए । जैसे समुद्र के अंदर पानी गर्मी में भाप बनकर उड़ता है और बाद में वही पानी के रूप में वर्षा करता है और जनमानस को लाभ देता है तो कर व्यवस्था का उपाय ऐसा ही होना चाहिए कि व्यवस्था बने लेकिन उसका जनसाधारण पर उपाय हो तो दो कोड उन्होंने किया, ऐसी ही कर व्यवस्था का नाम है जी.एस.टी. जिसमें स्मूथली इन सारे सिस्टम को डवलप करने के लिये कार्ययोजना जो आने वाले समय में बनेगी यह जी.एस.टी. उपयोगआधारित है । जहां उपभोक्ता तक पहुंचेगा उस पाईंट पर टैक्स लगेगा, निर्माण करने वाली अलग-अलग हिंदुस्तान की सैकड़ों एजेंसी हो सकते हैं और अलग-अलग राज्य हो सकते हैं मगर अंतिम बिंदु पर जब टैक्स लगता है तो इस सारे विषय में इसमें निर्माताओं के लिये भी बेहतर है जो अलग-अलग राज्यों में जो अलग-अलग नीति, ट्रक की लंबी लाईन लगी रहती थी । व्यवस्था में दिक्कत होती थी । अलग-अलग 36 से ज्यादा हर इंडस्ट्री के छोटे-बड़े हिसाब-किताब रखने की जरूरत पड़ती थी उसको सरली करने का उपाय और इस वेल्यूएडीशन के आधार पर वह टैक्स पटायेगा, इनपुट रिवेट की बात जो अभी कहा जा रहा था । इंनपुट रिवेट सरल, ईजी हो जायेगा क्योंकि अंतिम बिंदु पर आकर टैक्स लग रहा है । उसके बाद जहां-जहां उसका वेल्यूएडीशन हुआ उस वेल्यूएडीशन को एड नहीं होगा जो टोटल उसकी कास्ट में हम जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु में आ रहे हैं तो आज की स्थिति में उपभोक्ता के लिये बेहतर व्यवस्था होगी और जो निर्माता है, जो व्यापारी है उसके लिये भी इनपुट रिवेट के लिये इजी प्रक्रिया

निकल जायेगी क्योंकि अब वह सारी व्यवस्थाओं में अंतिम बिंदु पर कर लगाने का लाभ है । इसमें राज्य सरकार को इसमें जो फर्क पड़ेगा कि जो शंका और जो चिंता हो रही थी । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की दो बातों से मैं सहमत हूं कि हमें 1800 करोड़ का नुकसान हमें प्रथम दृष्टया दिखता है कि इसमें हमको होगा मगर इस बिल के संबंध में जब हम विरोध करने दिल्ली भी जाते थे तो एक बात का हम बार-बार जिक्र करते थे । चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार हो और उनके वित्तमंत्री जी के साथ चर्चा होती थी, चाहे हमारी सरकार और हमने पहली बार कहा कि इस राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित किया जाये और इसको मेंडेटरी किया जाये तो 5 साल तक.....जारी

.....श्री यादव

यादव\22-08-2016\h11\05.35-05.40

.....(जारी डॉ रमन सिंह) :- होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए और इसको मेंडेटरी किया जाए तो पांच साल तक इस प्रकार केंद्र सरकार ने जवाबदारी ली है कि पांच साल तक ये पूरी की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी । पांच साल में इकोनॉमी ऐसी बढ़ जाएगी कि छत्तीसगढ़ और बाकी राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेगी । हमारे कर का जो साईज है वह बेहतर हो जाएगा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं यह छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है ।

श्री अमरजीत भगत :- महाराज, आपने कांग्रेस राज में खूब मजा लिया है । जब भी गये हैं वहां से बहुत ले लेकर आए हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक क्षतिपूर्ति के लिए एक विषय जो सबके मन में था उसको बेहतर तरीके से किया जाएगा । कर अपवंचन पर रोक लगेगी, इंस्पेक्टर राज की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही साथ जी एस टी के अंतर्गत जहां एक ओर वेल्यू एडिट टैक्स की सेवाओं पर भी लागू करने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा वहीं सी एस टी और प्रवेश कर समाप्त करने पर, ये दो महत्वपूर्ण विषय है सी एस टी और प्रवेश कर समाप्त होने से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा छत्तीसगढ़ में नाके

समाप्त होंगे । कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत में जो आज एक कल्पना है पूरे देश में वेरियरलेस करना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे । मैक इन इंडिया और मैक इन छत्तीसगढ़ इसमें हमको लाभ मिलेगा । घरेलू उद्योग को बाहरी उत्पादों के प्रतिस्पर्धा में दो प्रकार से लाभ मिलेगा । एक, निर्यात आधारित घरेलू उत्पाद की लागत कम होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मुकाबला कर सकेंगे । दूसरा, इंपोर्ट माल की प्रतिस्पर्धा पर घरेलू माल सक्षम होंगे । यदि आज हम कहते हैं कि स्टील की कीमत में और उसके आधारित की कीमत में कमी आएगी तो यदि छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ता है, छत्तीसगढ़ के व्यापार में वृद्धि होती है तो यहां पर मजदूरों से लेकर व्यापार तक इसका लाभ मिलेगा और उसके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी । उद्योग के बढ़ने से अपने आप पूरी इकोनॉमी बढ़ती है । हजारों, लाखों मजदूरों को काम मिलता है । इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बेहतर फायदा मिलेगा। सच्चे मायने में पूरा देश एक बाजार के रूप में विकसित होगा । देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को इसमें बेहतर होगा । उपभोक्ता के बारे में नेता प्रतिपक्ष जी ने केशकेडिंग की बात की, दोहरे कर व्यवस्था के बारे में बात की । इसका सबसे अच्छी बात है कि इससे दोहरी कर रोपण शत प्रतिशत रूकेगा । माल और सेवा पर कर लगाने पर जी एस टी में यदि कोई सबसे अधिक आम उपभोक्ता लाभांवित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक शब्द में कहा कि इस जी एस टी आने के बाद कंज्यूमर ईज किंग । उनकी धारण है कि इस देश की पूरी व्यवस्था बनने के बाद अंतिम रूप से उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा । इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि सभी व्यवस्थाओं में जब हम कैप की, लिमिट की बात करते हैं कि किस विषय में सर्विस टैक्स में हम कितना जाएंगे, अन्य स्थानों पर हमारी कैपिंग क्या होगी, 18 परसेंट, 20 परसेंट, 26 परसेंट, ये सारे विषय जो आज इस विधान सभा में चर्चा में आए, ये सारे के सारे पर बैठकर हम जब चर्चा करेंगे, सभी राज्यों के फायनेंस मिनिस्टर, केंद्र के फायनेंस मिनिस्टर कमेटी के माध्यम से ये सारे विषय पर चर्चा करेंगे । यह प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की चिंता है, इस सदन की चिंता है, इस चिंता को दूर करने के लिए हम बैठकर चर्चा करेंगे कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है और इसका रास्ता निकालने के लिए तीन विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनके लिए एक व्यवस्था और चिंता करनी चाहिए । सर्विस टैक्स में हम किस दिशा में कितना जा सकते हैं ये चिंता स्टेट करेगा, स्टेट की कौंसिल करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा और जहां जहां भी टैक्स की छूट हम प्रोवाईड कर रहे हैं उनके हितों

का संरक्षण करने के लिए कौंसिल है उस कौंसिल में हमारा प्रस्ताव अन्य राज्यों का प्रस्ताव एक साथ समुचित रूप से आएगा तो निश्चित रूप से उस विषय का अतिरिक्त बोझ की व्यवस्था देने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इस प्रकार बहुत सारे विषय हैं जो आने वाले समय में जब हम आने वाले सत्र में जब इसका पूरा का पूरा स्वरूप हमारे सामने आएगा, विधान सभा में आएगा, परिष्कृत रूप से आएगा उसमें इन शंकाओं का समाधान कैपिंग से लेकर अलग अलग टैक्स के विषयों को लेकर देश की इकोनॉमी पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा, मजबूत बाजार के रूप में विकसित होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज बहुत सार्थक चर्चा हुई, पर्याप्त चर्चा हुई । इसमें से बहुत सारे बिंदु होंगे जब हमारे मंत्री जी कौसिंल में जाकर बात करेंगे । वहां इस विषय पर ध्यान दिलाएंगे कि हमारे सदस्यों की, छत्तीसगढ़ राज्य की चिंता है, किसानों की चिंता है, छोटे व्यापारियों की चिंता है, छोटे व्यापारियों, उद्योग की चिंता है, उनके सर्वाइवल की चिंता है । ये सारे विषय हमारे ध्यान में हैं और आने वाले समय में इसका समुचित निराकरण करने की दिशा में जब हम बैठेंगे उस विषय को प्रस्तुत करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आज मैं सबको धन्यवाद दूंगा । बहुत अच्छी सार्थक चर्चा के बाद मुझे लगता है हिंदुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा में इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया, अन्य राज्यों ने सर्वसम्मति से, आम सहमति से जी एस टी को पास किया । अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक सहमति से इसको आज यहां पर स्वीकार करें । (मेजों की थपथपाहट)

श्री मिश्रा

मिश्रा\22-08-2016\h12\.-.5

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार में जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको आप कैसे रोकेंगे? आपकी सरकार में डेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है यह डेड इन्वेस्टमेंट होना बंद करिये। हाऊसिंग बोर्ड डेड इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कई जगह डेड इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आप उसे बंद करें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप ही ने ऐसा कहा था कि अभी जीएसटी पर केन्द्रित रखो। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "यह कि यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के (ख) एवं (ग) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है।

(संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।) (मेजों की थपथपाहट)

समय: सायं 5.41 बजे **प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

सभापति, विशेषाधिकार समिति (श्री संतोष बाफना) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूं कि - माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के तत्कालीन जिलाधीश, श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के तत्कालीन जिलाधीश, श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री कुरैशी

कुरैशी\22-08-2016\h13\05.45-05.50

सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के एक दिवसीय नवम् सत्र के समापन अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एवं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब अल्प सूचना पर सत्र आहूत हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया के निर्धारण के तारतम्य में आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प को पारित करने हेतु यह विशेष सत्र आहूत किया गया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि पक्ष-विपक्ष के आप माननीय सदस्यगणों ने वस्तु एवं सेवा कर के विषय में सम्यक और सारगर्भित चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्पन्न हुई चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि सदन में जीएसटी के विषय में आप माननीय सदस्यों ने जिस ढ़ंग से अपने विचार रखें, यह आपके विषय पर अध्ययन और संसदीय दायित्वों की पूर्ति के प्रति आपकी वचनबद्धता को परिभाषित करता है। मैं यह कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का संसदीय सौहार्द्र और संसदीय संस्कृति को संवर्धित करने में आप सतत् रूप से अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में निरन्तर सफल होते रहें।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि भविष्य में सक्षम और समृद्ध भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा । राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक नीतियों से हम सुदृढ़ हों अपितु हमारी अर्थनीति से वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान बने और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में केन्द्र सरकार का यह दूरदृष्टि प्रयास है।

जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर पर केन्द्रित इस विशेष सत्र के समापन अवसर पर एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को

पूर्ण कर जब जीएसटी बिल कार्यरूप में अधिनियमित होगा तो इससे कर प्रणाली आसान होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तथा उद्योग एवं उद्यमियों को कर अनुपालन में आसान होगा। सामान्य धारणा यह भी है कि उपभोक्ताओं के लिये भी वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक कुशल वितरण से कीमतों को कम करने की संभावनाएं भी बढ़ जायेगी ।

जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के विषय में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र शासन, अर्थशास्त्री एवं उद्योग जगत ही नहीं वरन् देश का जनमानस भी संपूर्ण भारत में इस नई कर व्यवस्था को देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य अनुभव करने लगा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मत भिन्नता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा ने लोककल्याण के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पक्ष-प्रतिपक्ष की भावना से ऊपर उठकर संसदीय मूल्यों को जो सुदृढ़ता प्रदान की है वह संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिये मार्गदर्शी है। आज आपने जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन के संकल्प पर विस्तार से सारगर्भित चर्चा कर सर्वसम्मति से पारित कर इस तथ्य को भी स्थापित किया है कि लोककल्याण और राष्ट्रहित से संबद्ध प्रत्येक विषय पर हम अपने विचारों को व्यक्त करके भी राष्ट्र हित या प्रदेश हित में एकमत है। आपके इस उच्च संसदीय संस्कारों की मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं (मेजो की थपथपाहट)।

यह उल्लेखनीय है कि इस एक दिवसीय सत्र में संपन्न बैठक में 6 बजे तक लगभग 7 घंटे कार्यवाही हुई जिसमें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प पर 6 घण्टे 23 मिनट चर्चा हुई।

विशेष सत्र के समापन अवसर पर पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने जीएसटी के विषय में समग्र प्रमाणिक जानकारियों को निरंतर रूप से आमजनों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया । इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रिगण, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही अल्प सूचना पर आहूत इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

इस अवसर पर मैं आवाहन करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद !

जय - हिन्द ! जय - भारत ! जय - छत्तीसगढ़ !

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्य, राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित ।

(सायं 05 बजकर 50 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई)

रायपुर
22 अगस्त, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा